

(126 Eng pgs) and 231-Hindi pages

Main Home Page → NRDWP → About NRDWP → NRDWP guidelines -2023

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राजीव गांधी पेयजल मिशन

ग्रामीणभारत में लोगों की पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आंदोलन
कार्यान्वयन संबंधी कार्यढांचा (फ्रेमवर्क) (अद्यतन 2013)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

भारत सरकार

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

ग्रामीण भारत में लोगों की पेयजल सुरक्षा
सुनिश्चित करने हेतु आंदोलन

दिशानिर्देश-2013

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
भारत सरकार

पंकज जैन, आई.ए.एस.

सचिव

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

प्राक्कथन

वर्ष 2009 में, पंचायती राज संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों को सम्बद्ध करने वाले विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को अपनाते हुए सतत आधार पर स्वच्छता, पर्याप्तता, सुगमता एवं समानता के अनुसार जल उपलब्धता का स्थायित्व सुनिश्चित करने पर मुख्य जोर देते हुए, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के रूप में संशोधित किया गया था।

तथापि, एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन कार्यवाहों (फ्रेमवर्क) को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया से हुए अनुभवों और प्राप्त सफलताओं के परिणामों तथा एनआरडीडब्ल्यूपी में शेष रह गई कमियों के विश्लेषण से इस बात का पता चला है कि कतिपय घटकों में कुछ संशोधन करने की जरूरत है और कार्यक्रम के कुछ अन्य विषयों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। राज्यों से परामर्श करने के बाद कार्यवाहों में संशोधन किए गए हैं जिनमें से कुछ को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है जबकि अन्य विषयों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर ध्यान संकेन्द्रित करने, घरेलू नल कनेक्शन में बढ़ोत्तरी करने तथा पेयजल आपूर्ति मानदंडों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को शामिल करना होगा। इन परिवर्तनों में एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन में एक नया मार्ग प्रकल्पित है। मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- हैंडपम्पों के बजाए विशेषकर वैयक्तिक घरेलू नलों के जरिए पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति पर ध्यान देना ताकि भूजल के विदोहन पर दबाव में कमी की जा सके और जल के स्थायित्व को सुनिश्चित किया जा सके;
- प्रणालियां तैयार करने हेतु 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के मानक से ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए सेवा स्तरों में बढ़ोत्तरी;

- रासायनिक संदूषण तथा जापानी एन्सेफलाइटिस और एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम (जेई/ईएस) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्धारित वित्तपोषण के साथ जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज पर अधिक बल देना;
- लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना ताकि 2017 तक देश में कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को उनके पारिवारिक परिसरों अथवा 100 मीटर की परिधि के अंदर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की सुविधा उपलब्ध हो सके और आज 13 प्रतिशत की तुलना में कम से कम 30 प्रतिशत आबादी के पास वैयक्तिक घरेलू नल कनेक्शनों की सुविधा प्राप्त हो सके;
- ग्रामीण जल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता के बीच संयोजित दृष्टिकोण ताकि इन दोनों सेवाओं के साथ बसावटों की संतुष्टि प्राप्त की जा सके;
- स्पष्ट तथा विशिष्ट संकेतकों के साथ एक प्रबंधन अंतरण सूचकांक (एमडीआई) के माध्यम से ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के बारे में ग्राम पंचायतों को कार्यों, निधियों और कर्मियों के पर्याप्त अंतरण को प्रोत्साहित करना, जिसके आधार पर राज्यों में राष्ट्रीय आवंटन की 10 प्रतिशत राशि पर निर्णय लिया जाएगा।
- पेयजल आपूर्ति संबंधी सभी नई योजनाओं को उनकी लाइफ साइकिल लागत न कि प्रति व्यक्ति लागत, को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, उनका अनुमान लगाया जाएगा तथा कार्यान्वित किया जाएगा;
- अपशिष्ट जल शोधन और उसका पुनः उपयोग प्रत्येक जल आपूर्ति योजना अथवा परियोजना का अभिन्न अंग होगा, आयोजना प्रक्रिया में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एंड एम) की धारणा लाना;
- ऐसे राज्यों को प्राथमिकता देना जो पाइप द्वारा जल आपूर्ति के साथ कवरेज में पीछे चल रहे हैं;
- राष्ट्रीय स्वच्छता ऊर्जा निधि (एनसीईई) से प्राप्त मिश्रित वित्तपोषण के साथ दूरस्थ, लघु बसावटों तथा अनियमित बिजली आपूर्ति वाली बसावटों के लिए नवीकृत दोहरी ऊर्जा चालित सौर पम्पों के साथ समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों वाले राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करना;
- जल आपूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं प्रबंधन के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना;
- जल बजटिंग तथा आपूर्ति पक्ष एवं मांग पक्ष आयोजना दोनों के माध्यम से समेकित जल संसाधन प्रबंधन की भागीदारीपूर्ण आयोजना और कार्यान्वयन;

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी वाली संकेंद्रित बसावटों के कवरेज के लिए निधियों का निर्धारण;
- घरेलू जल कनेक्शन लेने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करने हेतु आशा कर्मियों को प्रोत्साहन;
- ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) की स्थापना;
- भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई निधियों के वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करना;
- उपरोक्त को सुविधाजनक बनाते हुए, योजनाओं के परिचालन और अनुरक्षण के लिए विस्तृत मैनुअल, स्थायित्व गतिविधियां, जल आपूर्ति योजनाओं के लिए मॉडल डीपीआर तथा जल गुणवत्ता निगरानी और जांच प्रोटोकाल तैयार किए गए हैं;
- कार्यक्रम की लेखा और लेखा-परीक्षा संबंधी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना;
- उपरोक्त परिवर्तनों और संशोधनों को अब एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यवाहों में शामिल कर लिया गया है तथा कार्यान्वयन के इस अद्यतन कार्यवाहों (फ्रेमवर्क) में उन्हें प्रकाशित किया जा रहा है।

आशा है कि इस फ्रेमवर्क से कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

(पंकज जैन)

विषय वस्तु

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन.....	iii
संक्षिप्ताक्षर.....	x
मापन इकाई.....	xiii
राष्ट्रीय नीतिगत कार्यढांचा (फ्रेमवर्क).....	1
1. राष्ट्रीय लक्ष्य.....	1
2. बुनियादी सिद्धांत	1
3. विजन एवं उद्देश्य	2
3.1 विजन.....	2
3.2 उद्देश्य.....	2
3.3 लक्ष्य-नीतिगत योजना.....	3
4. आमूलचूल बदलाव.....	4
5. स्रोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय.....	7
6. दीर्घकालिक स्थायित्व.....	9
7. महत्वपूर्ण मुद्दे.....	10
8. मानदंड.....	10
कार्यक्रम.....	14
9. संशोधित कार्यक्रम.....	14
9.1 परिवार स्तर पर पेयजल सुरक्षा.....	14
9.2 एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए निर्धारित निधि.....	18
9.3 एनआरडीडब्ल्यूपी के घटक.....	19
9.4 लोचनीय नीति.....	25
9.5 एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों के आवंटन हेतु मानदंड.....	26
9.6 प्रोत्साहन निधियां.....	27
9.7 परिचालन एवं अनुरक्षण निधियां.....	28
9.8 ग्रामीण विद्यालयों और आंगनवाडियों में पेयजल का प्रावधान.....	29
9.9 पेयजल के लिए जन सुविधाएं.....	30

9.10	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति/एससीपी और टीएसपी घटक के लिए निधियों का निर्धारण.....	31
9.11	महिला (जेंडर) सशक्तीकरण और बजट.....	32
10.	सहायक गतिविधियां	32
10.1	सम्प्रेषण और क्षमता विकास.....	34
10.2	प्रबंधन आसूचना प्रणाली.....	35
10.3	अनुसंधान और विकास.....	36
10.4	जल गुणवत्ता निगरानी और जांच (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस).....	38
11.	अन्य सहायक गतिविधियां	40
11.1	रिग्स और हाइड्रो फ्रेक्चरिंग यूनिट्स.....	40
11.2	निगरानी एवं जांच एकक.....	40
11.3	कार्यक्रम एवं परियोजना निगरानी और मूल्यांकन.....	41
11.4	विदेशी सहायता एजेंसियां.....	42
	सुपुर्दगी तंत्र	45
12.	संस्थागत गठन	45
12.1	राष्ट्रीय स्तर.....	45
12.2	राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियां.....	45
12.3	राष्ट्रीय आसूचना केंद्र की भूमिका.....	47
12.4	राज्य स्तर.....	48
12.5	जिला स्तर.....	49
12.6	उप-जिला स्तर.....	49
12.7	ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर.....	50
12.8	गैर-सरकारी संगठन तथा सीएसओ की भूमिका.....	50
12.9	आशाकर्मियों को प्रोत्साहन.....	52
12.10	सार्वजनिक निजी भागीदारी.....	52
	आयोजना, निधि रिलीज एवं निगरानी	57
13.	ग्राम एवं जिला जल सुरक्षा योजना.....	57
14.	वार्षिक कार्य योजना (एएपी).....	58
15.	आयोजना.....	61
16.	निधियों का प्रवाह.....	64
17.	निधियों की रिलीज.....	66
18.	लेखा परीक्षा.....	72

19.	निगरानी.....	73
19.1	ऑनलाइन निगरानी.....	73
19.2	राज्य स्तर.....	75
19.3	सामुदायिक निगरानी एवं सामाजिक लेखा परीक्षा.....	77
20.	विनियमन और मूल्य निर्धारण	79

अनुबंध.....	82
अनुबंध-I.....	82
क. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के मानदंड.....	82
ख. कवरेज के लिए मानदंड	83
ग. एमडीजी के लिए संयुक्त निगरानी कार्यक्रमों की परिभाषाएं.....	83
घ. स्वच्छता के मानदंड-सुरक्षित पेयजल.....	87
अनुबंध-II स्थायित्व के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश.....	89
अनुबंध-III जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) के लिए कार्यढांचा (फ्रेमवर्क).....	98
अनुबंध-IV डब्ल्यूएसएसओ-सम्प्रेषण एवं क्षमता विकास एकक (सीसीडीयू).....	113
अनुबंध-IVक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए आईईसी दिशानिर्देश.....	120
अनुबंध-IVख एचआरडी अभियान के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति.....	130
अनुबंध-IVग ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों को नियोजित करने हेतु दिशानिर्देश.....	133
अनुबंध-V कम्प्यूटरीकरण संबंधी दिशा-निर्देश तथा एमआईएस.....	138
अनुबंध-VI आरडब्ल्यूएसएस के लिए अनुसंधान एवं विकास पर नीति विषयक दिशानिर्देश.....	148
अनुबंध-VII राज्य, जिला और ग्राम स्तरों पर संस्थागत ढांचा.....	154
अनुबंध-VIII प्रबंधन अंतरण सूचकांक-संकेतक और वेटेज.....	187
अनुबंध-IX एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों की रिलीज हेतु प्रपत्र.....	190
अनुबंध-X वर्ष 20.....20.....के लिए उपयोग प्रमाणपत्र.....	197
अनुबंध-XI जल गुणवत्ता निर्धारण संबंधी आवंटन-उपयोग हेतु दिशानिर्देश.....	202
अनुबंध-XII दूसरी किश्त की रिलीज के लिए जांच सूची.....	211
अनुबंध-XIII लेखा परीक्षा रिपोर्ट-एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए प्रपत्र.....	213

संक्षिप्ताक्षर

एएमसी	वार्षिक अनुरक्षण संविदा
एसएसएचए	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू)	सम्प्रेषण और क्षमता विकास एकक
सीईई	पर्यावरण एवं शिक्षा केंद्र
सीजीडब्ल्यूबी	केंद्रीय भू-जल बोर्ड
सीएसई	विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीडब्ल्यूसी	वृहद जल सुरक्षा कार्य योजना
डीए	महंगाई भत्ता
डीडीपी	मरुभूमि विकास कार्यक्रम
डीपीएपी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीडब्ल्यूएसएम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीएस	वैश्विक पारिस्थितिकी प्रणाली
जीएसआई	भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण
एचएडीपी	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
आईसीटी	सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी
आईएमआईएस	समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईआईएच एंड पीएच	भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान
आईआईआरएस	भारतीय दूर संवेदी संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

एम एंड आई	निगरानी एवं जांच
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनजीआरआई	राष्ट्रीय भू-विज्ञान अनुसंधान संस्थान
एनआईसी	राष्ट्रीय आसूचना केंद्र
एनआईसीएसआई	राष्ट्रीय आसूचना केंद्र सेवा इंक
एनआईसीडी	राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान
एनआईआरडी	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
एनपीसी	राष्ट्रीय परियोजना समिति
एमजीएनआईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरएससी	राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनबीए	निर्मल भारत अभियान
ओ एंड एम	परिचालन एवं अनुरक्षण
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरडबीबीएमएस	सम्बद्ध डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली
आरजीएनडीडब्ल्यूएम	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
एससी	अनुसूचित जाति
एसएचजी	स्व-सहायता समूह
एसएलएसएससी	राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीए	राज्य तकनीकी एजेंसी
एसडब्ल्यूओटी	ताकत-कमजोरी-अवसर-धमकी
एसडब्ल्यूएसएम	राज्य जल एवं स्वच्छता अभियान
टीए	यात्रा भत्ता
टीएससी	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

यूटी	संघशासित प्रदेश
वीएपी	ग्राम कार्य योजना
वीडब्ल्यूएससी	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
डब्ल्यूएसएसओ	जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूक्यूएमएंड एस	जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच

मापन इकाई

एलपीसीडी	लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
एम	मीटर

चित्र

ग्रामीण आबादी को मूलभूत पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी नीति के भाग के रूप में सरकार द्वारा अधिष्ठापित प्रथम ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं 1950 में कार्यान्वित की गईं।

राष्ट्रीय नीतिगत कार्यवाही (फ्रेमवर्क)

1. राष्ट्रीय लक्ष्य

प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू बुनियादी जरूरतों के लिए सतत आधार पर पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। इस बुनियादी जरूरत में न्यूनतम जल गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाना चाहिए और यह जरूरत हर समय और प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता और आसानी से पूरी होनी चाहिए।

2. बुनियादी सिद्धांत

- जल एक सार्वजनिक वस्तु है और प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल मांगने का अधिकार है।
- लोगों की यह बुनियादी जरूरत पूरी हो, इस बात को सुनिश्चित करना सरकार का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है।
- जन-स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उसके माध्यम से आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है और सरकार को चाहिए कि वह समाज के सबसे कमजोर और लाभ से वंचित वर्गों की इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने को सर्वोच्च तरजीह दे।
- सभी की पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करने की नीति का वाणिज्यीकरण नहीं किया जाना और न ही ऐसे लोगों को इससे मना किया जाना चाहिए जो ऐसी सेवा का मूल्य चुका पाने में असमर्थ हैं।
- पेयजल आपूर्ति को केवल बाजार शक्ति पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। सभी को जीविका आपूर्ति उपलब्ध कराने की महत्ता तथा जनता के स्वास्थ्य के साथ इसके अनिवार्य संबंध को स्वीकार करना होगा।

- इस प्रकार प्राइवेट एजेंसियों द्वारा पेयजल आपूर्ति के वाणिज्यीकरण की बजाए पब्लिक-पब्लिक पार्टनशिप (अर्थात गांव के भीतर पेयजल के वितरण के लिए ग्राम पंचायत और पीएचईडी के बीच) पर अधिक जोर दिया जाता है।
- जल आपूर्ति प्रणाली के प्रयोक्ता प्रभागों में क्रॉस-सब्सिडी का एक अंतर्निमित्त घटक होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक रूप से पिछड़े समूह इस बुनियादी न्यूनतम जरूरत से वंचित न रह जाएं।

3. विजन, उद्देश्य और लक्ष्य

3.1 विजन

ग्रामीण भारत में सभी के लिए हर समय पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल।

3.2 उद्देश्य

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में,

- क) सभी परिवारों को उचित दूरी में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने और इसका उपयोग करने में समर्थ बनाना;
- ख) समुदाय को उनके पेयजल स्रोतों की निगरानी करने और उन पर नजर रखने में समर्थ बनाना;
- ग) इस बात को सुनिश्चित करना कि समुदाय आधारित जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाते समय स्वच्छता, विश्वसनीयता, स्थायित्व, सुविधा, समानता और उपभोक्ता की प्राथमिकता मार्गदर्शक सिद्धांत हों;

- घ) ऐसी ग्राम पंचायतों, जिन्होंने खुले में शौच की प्रथा से मुक्त पंचायतों का दर्जा हासिल कर लिया है, में प्राथमिकता आधार पर पेयजल विशेष रूप से पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना;
- ड) सभी सरकारी विद्यालयों और आंगनवाडियों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- च) पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों को उनके गांवों में उनके अपने पेयजल स्रोतों के प्रबंधन में उचित सहायता और माहौल उपलब्ध कराना;
- छ) पारदर्शिता बरतने और लिए गए निर्णयों के बारे में बताने के लिए पब्लिक डोमेन में रखी गई जानकारी के साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र के जरिए जानकारी उपलब्ध कराना।

3.3 लक्ष्य-कार्यनीतिगत प्लान (2011-2022)

मंत्रालय ने वर्ष 2011 से 2022 तक की अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए एक कार्यनीतिगत प्लान तैयार किया है। कार्यनीतिगत प्लान का लक्ष्य इस प्रकार है :

- इस बात को सुनिश्चित करना कि प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति के पास वर्ष भर जिसमें प्राकृतिक आपदाओं का समय भी शामिल है, पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू प्रयोजनों तथा मवेशियों के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल है।
- वर्ष 2022 तक, देश के प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके परिवार के परिसर में या बगैर किसी सामाजिक या वित्तीय भेदभाव के उसके घर से अधिक से अधिक 50 मीटर की चढ़ाई या सीधी दूरी पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर जल मिलेगा। अलग-अलग राज्य उच्चतम मात्रा का मानदंड अर्थात प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर का मानदंड अपना सकते हैं।

4. आमूलचूल बदलाव

- 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज का आधार बसावट से लेकर परिवार तक निर्धारित किया गया था अर्थात् समुदाय में सभी परिवारों के लिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति मुख्य रूप से हैंडपम्पों के जरिए की जाती थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, पाइप के जरिए जल की आपूर्ति पर विशेष बल दिया जाएगा जिसका लक्ष्य कम से कम आधी ग्रामीण आबादी को उसके परिवार के परिसर में या बगैर किसी सामाजिक या आर्थिक भेदभाव के उसके घर से अधिक से अधिक 100 मीटर की चढ़ाई या सीधी दूरीपर कम से कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है।
- राज्य, जिला और ग्राम स्तरों पर पेयजल सुरक्षा के लिए इस उपाय को शुरू करते समय इस बात को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पारिवारिक स्तर पर पीने और खाना पकाने की बुनियादी न्यूनतम जरूरत तथा अन्य घरेलू और मवेशियों की जरूरतें पूरी हो रही हैं।
- पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था में पेयजल के संदूषण को रोकने के लिए, जहां कहीं भी संभव हो, 24x7 आपूर्ति अपनाने की सलाह दी जा सकती है। बुनियादी न्यूनतम जरूरत से अधिक जल आपूर्ति की व्यवस्था का खर्च उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाए।
- ऐसा सुनिश्चित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि उत्पादन (जल शोधन संयंत्र/हैंडपंप) और उपयोग (परिसर स्तर) दोनों बिन्दुओं पर पेयजल गुणवत्ता मानकों की स्वच्छता और विश्वसनीयता बरकरार रखी जाए।
- खुद की साफ-सफाई और परिवार स्तर पर उचित भंडार से विशेष ध्यान दिए जाने से परिवार में पनपने वाले रोगों में कमी आएगी जिससे जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी और समुदाय का कल्याण होगा।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की गई है :-

2017 तक,

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम आधे ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जल की आपूर्ति की गई है; कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कनेक्शन के जरिए पाइप से जल आपूर्ति की सुविधा उठाते हैं; 20 प्रतिशत से कम परिवार सार्वजनिक नलों का इस्तेमाल करते हैं और 45 प्रतिशत से कम परिवार हैंडपम्पों या अन्य सुरक्षित और पर्याप्त निजी जल स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। सभी सेवाओं में प्रतिदिन आपूर्ति के घंटों की संख्या और आपूर्ति की गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन किया जाता है।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण भारत के सभी परिवारों, विद्यालयों और आंगवाडियों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा है और इन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल मिल रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों को कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों और प्रणालियों के प्रबंधन के लिए उचित सहायता और माहौल प्रदान किया जाएगा।

2022 तक,

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जल की आपूर्ति की गई है; कम से कम 80 प्रतिशत परिवार कनेक्शन के जरिए पाइप से जल आपूर्ति की सुविधा उठाते हैं; 10 प्रतिशत से कम परिवार सार्वजनिक नलों का इस्तेमाल करते हैं और 10 प्रतिशत से कम परिवार हैंडपम्पों या अन्य सुरक्षित और पर्याप्त निजी जल स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं।

पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों को कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों और प्रणालियों के प्रबंधन के लिए उचित सहायता और माहौल प्रदान किया जाएगा।

- जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, 1990 में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) आईएस: 10500 तैयार किया गया और इसे 2012 में संशोधित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल गुणवत्ता के लिए संशोधित दिशा-निर्देश (2004) तथा अपशिष्ट एवं गंदले जल के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश (2006) भी जारी किए हैं। दोनों दिशा-निर्देशों में स्वास्थ्य पर आधारित लक्ष्य निर्धारण दृष्टिकोण अपनाया गया था।
- पीने और खाना पकाने के लिए आपूर्ति किए जाने वाले जल में बीआईएस मानकों के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता बरकरार रखी जानी चाहिए और अन्य घरेलू एवं मवेशी संबंधी जरूरतों के लिए जल स्वीकार्य मानक का होना चाहिए।
- जल गुणवत्ता प्लान जल गुणवत्ता समस्या के निर्धारण को जल सुरक्षा समाधान से सम्बद्ध करता है। इसमें उपयुक्त गुणवत्ता उपाय निर्धारित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण और साफ-सफाई की जांच दोनों शामिल हैं। यह गुणवत्ता आश्वासन का एक साधन है जो कैचमेंट से उपभोक्ता तक और जल से लेकर शौचालय तक जल गुणवत्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- भूजल, सतही जल, वर्षाजल और पुनः इस्तेमाल किए गए रि-साइकल्ड जल के इस्तेमाल के लिए स्वास्थ्य पर आधारित लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। प्रत्येक के लिए, जल स्रोतों की बजाए जल के उपयोग में आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता निर्धारित की जानी चाहिए।
- जल आपूर्ति के संदूषण के संभावित जोखिम को कम करने के लिए जल की आपूर्ति के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम बनाए जाने की जरूरत है। “जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम” (अनुबुध-III) में इसके बारे में बताया गया है।

- किसी बसावट में जल आपूर्ति प्रणाली लगाए जाने से भी उस बसावट को तब तक पूर्णतः कवर की गई बसावट का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि उस बसावट में प्रत्येक परिवार को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती।
- समुदायों को उनकी खुद की जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, क्रियान्वयन और प्रबंधन में सक्षम बनाने के लिए, राज्य को यह कार्यक्रम पीआरआई खासकर ग्राम पंचायतों को सौंप देना चाहिए ताकि वे गांव में इसका प्रबंधन कर सकें।

5. स्रोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय

- अलग-अलग परिवार के स्तर पर जल सुरक्षा हासिल करने के प्रयोजनार्थ जल आपूर्ति प्रणाली किसी एक स्रोत पर टिकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अलग-अलग परिस्थितियों में जल की उपलब्धता में कमोवेश होता रहता है।
- प्राकृतिक आपदा के दौरान या विभिन्न स्रोतों के प्रदूषित हो जाने की वजह से अकेला पेयजल स्रोत या तो अस्वच्छ हो सकता है या इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता जिसके फलस्वरूप कई लोगों, विशेषकर सीमांत लोगों और पशुधन को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- जल सुरक्षा में अलग-अलग इस्तेमाल के लिए अलग-अलग स्रोतों का उपयोग करते हुए जल का भंडारण और संरक्षण करना शामिल है अर्थात् उचित तरीके से एकत्र एवं संग्रहित किया गया वर्षा जल, पीने और खाना पकाने के लिए शोधित किया गया सतही जल/भूजल, नहाने और कपड़ा धोने के लिए अशोधित जल तथा शौचालयों में फ्लशिंग के लिए मटमैला/अपशिष्ट जल।

- ऐसे अवसरों पर जोखिम और जल की कमी से बचने के लिए तथा विश्वसनीयता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, एक अच्छे फ्रेमवर्क के तहत विभिन्न स्थितियों और अलग-अलग समय में उपलब्ध विभिन्न पेयजल स्रोतों पर विचार किया जाना चाहिए।
- घरेलू प्रयोजनों के लिए जल के एक समान उपयोग, प्रबंधन और आवंटन हेतु “जल का बुद्धिमता पूर्ण प्रबंधन” करना जिस में पारम्परिक और गैर पारम्परिक दोनों प्रकार के जल संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करना तथा कैचमेंट से ले कर उपभोक्ता तक समाधान उपलब्ध कराते हुए “जल गुणवत्ता और जल की मात्रा” दोनों पर ध्यान दिया जाना शामिल है।
- पारम्परिक प्रणालियों के नवीनीकरण, सतही एवं भूजल के मिश्रित उपयोग, समुदाय और परिवार दोनों स्तरों पर वर्षा जल का एकत्रीकरण करते हुए समेकित दृष्टिकोण अपनाना। इससे और जोखिम और जल के अभाव में कमी आएगी।
- समुदाय और परिवार दोनों स्तर पर पेयजल के लिए वर्षा जल का संचयन एवं एकत्रीकरण करने से कुछेक महीनों विषम परिस्थितियों में भी पेयजल की उपलब्धता बनी रहेगी। पर्याप्त मात्रा में संचयन किए जाने से यह पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त हो सकता है।
- नई या पुरानी सभी प्रकार की भूजल आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के लिए भूजल पुनर्भरण व्यवस्था को सिस्टम डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।
- भूजल और सतही पेयजल स्रोतों के लिए कैचमेंट की सुरक्षा करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे मानव एवं पशु मलमूत्र तथा जैविक संदूषण के अन्य स्रोतों से पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। अच्छी तरह से बनाए गए बांध, चैनल, तल की सुरक्षा तथा स्थिरीकरण तालाबों के जरिए अपशिष्ट जल के किफायती प्रबंधन हेतु निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान) और महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ तालमेल भूमिगत और सतही पेयजल स्रोतों की सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है।

- सिस्टम डिजाइन और इसके निष्पादन में गाद निकालने सहित पुराने तालाबों के पुनरुद्धार और नए तालाबों के निर्माण हेतु मनरेगा कार्यक्रम के साथ तालमेल का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, परिवार और समुदाय स्तर पर भूजल एक्विफर में पुनर्भरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल भूजल की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि इसकी प्रचुरता भी सुनिश्चित होगी।
- परिवार स्तर पर पेयजल की सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, कम्युनिटी स्टैंड-एलोन जल शुद्धिकरण प्रणालियों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- उपर्युक्त सभी दृष्टिकोणों को उपयुक्त तरीके से मिलेजुले ढंग से अपनाने से समुदाय स्तर पर पेयजल का बुद्धिमतापूर्ण प्रबंधन किया जा सकेगा।

6. दीर्घकालीन स्थायित्व

- सभी परिस्थितियों में और सभी समय आजीवन पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दर निर्धारण की उचित प्रणाली लागू करते हुए ग्राम पंचायतों/गांवों में ग्रिड सप्लाईंग मीटर्ड बल्क वाटर के रूप में वैयक्तिक उप-जिला, जिला और या राज्य स्तरीय जल आपूर्ति बनाने की जरूरत हो सकती है। किंतु इससे पाम्परिक पेयजल स्रोतों एवं जल के मिश्रित उपयोग सहित विविध स्रोतों की महत्ता कम नहीं हो जाती है।
- राज्य या जिला या उप-जिला स्तरीय ग्रिड प्रमुख पाइपलाइनों, नहरों या प्रमुख जल निकायों/स्रोतों को जोड़ने वाली किसी अन्य उपयुक्त प्रणाली के रूप में हो सकता है।
- शोधन डिलीवरी प्वाइंट या स्रोत पर किया जा सकता है, परंतु जल गुणवत्ता परीक्षण दोनों जगहों पर किया जा सकता है।

7. महत्वपूर्ण मुद्दे

12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जिन गंभीर क्षेत्रगत मुद्दों का समाधान किए जाने की जरूरत है उनके बारे में नीचे संक्षेप में बताया गया है :-

- हैंडपंपों की बजाय पाइप द्वारा जल आपूर्ति किए जाने पर ध्यान देने की जरूरत
- प्रणालियों की डिजाइनिंग हेतु ग्रामीण जल आपूर्ति के सेवा स्तर को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर से बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर करना
- इस समस्या से निपटनेके लिए 12वीं योजनावधि में जलगुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज पर अधिकतम जोर देना
- पाइप द्वारा जल आपूर्ति करने के मामले में पिछड़ रहे राज्यों को प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना।
- समेकित कार्य योजना जिले वाले राज्यों पर विशेष ध्यान
- योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना
- ग्रामीण जल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता के बीच संयुक्त दृष्टिकोण ताकि इन दोनों सेवाओं से बसावटों को संतृप्त किया जा सके।
- जल संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यों की भागीदारीपूर्ण आयोजना और कार्यान्वयन
- भूजल पर अतिनिर्भर रहने की बजाय धीरे-धीरे सतही जल स्रोतों पर निर्भर करना और भूजल, सतही जल और वर्षाजल का मिश्रित उपयोग।

8. मानदंड

- मानदंडों और दिशानिर्देशों को व्यापक बनाने तथा समुदाय को उनकी जरूरत के आधार पर एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना करने की छूट

देने के लिए इस बात की सिफारिश की गई है कि समुदाय के साथ परामर्श करके वांछित सेवा स्तर का निर्णय लिया जाना चाहिए।

- सेवा के स्तर को आमतौर पर किसी खास स्तर की सेवा के लिए प्रयोक्ता की बुनियादी जरूरत और परिवार स्तर पर निरंतर संतुष्टि के माध्यम से व्यक्त की गई मांग के मुद्दे से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।
- इसका लक्ष्य सेवा सुपुर्दगी के वाटर लैंडर को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए ताकि अंततः सभी ग्रामीण परिवारों को उनके परिसर में ही पाइप के जरिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा सके। महिलाओं और बालिकाओं को विशेष रूप से जल ढोकर लाने के बोझ से मुक्ति दिलाने, कुपोषण संबंधी मुद्दों का समाधान करने और पढ़ाई तथा अवकाश के लिए बचे समय को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। दूरस्थ स्रोतों से जल ढोकर लाते समय संभावित संदूषण को रोकने के लिए भी यह आवश्यक है।
- एआरडब्ल्यूएसपी के प्रारंभ होने से लेकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सेवा का बुनियादी न्यूनतम सेवा स्तर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में यह न्यूनतम स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए जैसा कि अनुबंध-1 में दिए गए ब्यौरे में दर्शाया गया है।

सेवा सुपुर्दगी का वाटर लैंडर

असुरक्षित स्रोत, छिछला हैंडपंप, नहर, ढके हुए कुएं, ट्यूबवेल हैंडपंप, स्टैंडपोस्ट, अलग-अलग और अनेक पारिवारिक कनेक्शन

- उस बसावट को कवर न की गई या आंशिक रूप से कवर की गई बसावट के रूप में माना जाएगा जिसमें सभी परिवारों को किसी एक सुविधाजनक स्थान पर निरंतर आधार पर बुनियादी न्यूनतम स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है।

- गुणवत्ता या परिमाण के नजरिए से कवर की गई बसावटों के बीच कोई अंतर नहीं है क्योंकि इसमें से किसी भी मामले में परिवार की पर्याप्त मात्रा में वैकल्पिक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए एक जैसे उपाय किए जाएंगे।
- 0-15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वाली बसावटों को सर्वोच्च तरजीह दी जानी चाहिए, इसके बाद 15-30 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति वाली बसावटों को, फिर 30-40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वाली बसावटों को तरजीह दी जानी चाहिए।
- इन्हीं मानदंडों के आधार पर किसी खास बसावट की कवरेज का दर्शाया जाना चाहिए।
- योजना की डिजाइनिंग और योजनागत निवेश करते समय समानता और बुनियादी न्यूनतम जरूरतों के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

चित्र

आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने तथा जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को तत्काल बढ़ाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

कार्यक्रम

9. संशोधित कार्यक्रम

9.1 परिवार स्तर पर पेयजल सुरक्षा

- 11वीं योजना के प्रारंभ से ही, परिवार स्तर पर पेयजल सुरक्षा हासिल करने का प्रयास किया जाता रहा है। प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता का तात्पर्य बसावट में सभी वर्गों की आबादी के स्वच्छ पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता हरगिज नहीं हो सकती।
- इस प्लान के अंतर्गत, 0 प्रतिशत आबादी कवरेज से लेकर शत-प्रतिशत से कम की आबादी कवरेज वाली शेष बची सभी बसावटों तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के रूप में निर्धारित की गई नई एवं मौजूदा बसावटों को कवर किया जाएगा, जल आपूर्ति योजनाओं का स्थायित्व सुनिश्चित किया जाएगा तथा “स्लिप बैक” योजनाओं को अंतर्विष्ट किया जाएगा। आयोजना में 0-25 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत-50 प्रतिशत की आबादी कवरेज वाली बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज को तरजीह दी जाएगी।
- 2011 की जनगणना में सूचित किया गया है कि 22.17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पेयजल स्रोत 500 मीटर से अधिक दूरी पर हैं। ऐसी बसावटों के निकट पेयजल की आपूर्ति किए जाने को सर्वोच्च तरजीह दी जानी चाहिए। यह भी बताया गया है कि 11.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवार खुले कुएं से पेयजल प्राप्त करते हैं और 4 प्रतिशत परिवार अन्य स्रोतों (हैंडपंप/ट्यूबवेल, नल या कुएं के जल के अलावा) से। ऐसे परिवारों वाली बसावटों को भी प्राथमिकता आधार पर कवर किया जाना चाहिए।

- जल आपूर्ति योजनाओं को रख-रखाव करने, जल गुणवत्ता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक समान तरीके से आसानी से जल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दृष्टिकोण

ग्रामीण जल आपूर्ति पर किस ढंग से विचार किया जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दृष्टिकोण में उस नजरिए में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है। कार्रवाई और फोकस के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार होंगे :-

- हैंडपंपों की बढ़ती हुई संख्या और इसके परिणामस्वरूप देशभर में भूजल के स्तर में होती गिरावट को देखते हुए, जिसके कारण जल गुणवत्ता संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, सतही जल पर आधारित योजनाओं की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हुए हैंडपंपों की बजाए पाइप के जरिए जल आपूर्ति को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की आयोजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक सेवा का स्तर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर ही रुका पड़ा है। ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति के सेवा स्तरों के बीच के अंतराल को उत्तरोत्तर ढंग से कम करने के लिए अब इस बात की आवश्यकता है कि प्रणालियों की डिजाइनिंग के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति के सेवा स्तरों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानदंड से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाए।
- विगत की कुछेक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज पर ध्यान दिए जाने के बावजूद अभी भी ऐसी बसावटें बड़ी संख्या में मौजूद हैं और प्रत्येक वर्ष और अधिक बसावटों की जानकारी दी जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष बची

तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित नई बसावटों की कवरेज पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ही इस संकट को दूर कर लिया जा सके।

- पाइप द्वारा जल आपूर्ति की मात्रा सेवा स्तर में बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 2011 की जनगणना के परिणामों को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि पाइप द्वारा जल की आपूर्ति कर पाने में पिछड़ रहे राज्यों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाए।
- समान विकास सुनिश्चित करनेके लिए, आईएपी जिले वाले राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति के विकास पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
- इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं का सेट अब पिछड़ न जाए और बहुमूल्य निवेश सुरक्षित रहे, योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है।
- पेयजल आपूर्ति का जनस्वास्थ्य पर तथा स्वच्छता संबंधी कार्यों की सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, स्वच्छता संबंधी गैर-प्रभावी कार्य पीने वाले जल की गुणवत्ता को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता के बीच संयुक्त दृष्टिकोण को एक विशेष ध्यान देने वाला क्षेत्र बनाना होगा ताकि बसावटों और ग्राम पंचायतों में ये सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

जल का मिश्रित उपयोग

- भूजल या पेयजल के किसी एक स्रोत पर अतिनिर्भर रहने की बजाए विभिन्न स्रोतों अर्थात्, भूमिगत सतही जल तथा पुनर्भरण/छत पर जल एकत्रीकरण सहित वर्षा जल एकत्रीकरण के मिले-जुले उपयोग पर और पाइपों के जरिए भारी मात्रा में पानी की ढुलाई पर भी निर्भर रहना चाहिए।

विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण

- पेयजल की सुरक्षा जिस मूल आधार पर सुनिश्चित की जा सकती है वह है - पंचायती राज संस्थाओं और सामुदायिक भागीदारी के जरिए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण।
- इसे समुदाय की भागीदारी से मिशन मोड में हासिल किए जाने की जरूरत है और साथ ही उनकी जानकारी और कौशल को इस तरह से समृद्ध करने की जरूरत है जिससे कि ग्रामीण परिवारों और समुदायों को उनके पेयजल स्रोतों और प्रणालियों का प्रबंधन एवं रख-रखाव करने में सही मायने में अधिकार सम्पन्न बनाया जा सके।
- राज्य और जिला स्तरों पर सूचना और जानकारी का एक वेयरहाउस बनाए जाने की आवश्यकता है जो कि प्रौद्योगिकियों, जल आपूर्ति की पारंपरिक/गैर-पारंपरिक, अभिनव प्रणालियों का "हार्डवेयर" बनाने और इसे कौशल ज्ञान समुत्साह एवं समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा खुद जल आपूर्ति परियोजनाओं के स्वामित्व की इच्छा से जोड़ने का कार्य नियमित रूप से कर सकता है।
- गांव के अंदर जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार और/या उसकी कार्यान्वयन एजेंसियां/जनोपयोगी संस्थाएं गांव तक बल्क मीटर्ड वाटर की ढुलाई, इसके शोधन और वितरण की जिम्मेवारी उठा सकती हैं जबकि गांव के भीतर पेयजल प्रबंधन और वितरण की जिम्मेवारी पीआरआई या उसकी उप-समितियों अर्थात्

ग्राम पंचायत/ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएसई/वीडब्ल्यूएसई)/पानी समिति की होगी।

- सरकार सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाएगी तथा गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों एवं सिविल सोसायटी की सहायता से गांव के भीतर जल आपूर्ति प्रणालियों तथा स्रोतों का प्रबंधन करने में स्थानीय समुदाय/पीआरआई की क्षमता बढ़ाएगी।
- प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव की दृष्टि से समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को विद्यमान पेयजल आपूर्ति प्रणालियों का अंतरण।
- पेयजल आपूर्ति योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव में मदद करने के लिए मंत्रालय ने एक प्रचालन एवं रख-रखाव नियमावली तैयार की है।
- अच्छे कार्य निष्पादन और स्थायित्व हासिल करने के लिए पुरस्कार देना।
- पंचायती राज के तीनों स्तरों "निधियों, कार्यों और कर्मियों" का अंतरण करने की दृष्टि से प्रक्रिया, समय सीमा और संवृद्धि को दर्शाते हुए इस प्रकार से इक्विटी मैपिंग की जानी चाहिए जिससे कि वे ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में सक्षम बन सकें।
- स्थानीय आयोजना में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, कौशल और क्षमताओं को ध्यान में रखकर सामुदायिक और पारिवारिक स्तर पर आपूर्ति प्लान तैयार करना शामिल है।
- पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों तथा ग्राम पंचायत/ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएसपी/वीडब्ल्यूएससी) के सदस्यों का प्रशिक्षण स्थानीय आयोजना के लिए अत्यंत आवश्यकता है और इसका पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

9.2 एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए निर्धारित निधि

एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए निर्धारित निधियां इस प्रकार हैं :-

- (i) सिविकम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 प्रतिशत
- (ii) अल्पवृष्टि और जल की कम उपलब्धता वाली दुष्कर परिस्थितियों का सामना करने के मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) वाले क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत।
- (iii) रासायनिक रूप से संदूषित गुणवत्ता प्रभावित बसावटों वाले और बैक्टेरियोलॉजिकल संदूषण युक्त जेई/एईएस प्रभावित उच्च प्राथमिकता जिलों वाले राज्यों का आवंटन हेतु जल गुणवत्ता का 5 प्रतिशत।
- (iv) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्याओं को दूर करने में राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को सहायता मुहैया कराने के लिए प्राकृतिक आपदा का 2 प्रतिशत।

9.3 एनआरडीडब्ल्यूपी के घटक

ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में एनआरडीडब्ल्यूपी की मौजूदगी, स्थायित्व और गुणवत्ता संबंधी उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत जिन घटकों पर सभी निधियों, निर्धारित की गई 5 प्रतिशत जल गुणवत्ता तथा 2 प्रतिशत प्राकृतिक आपदा निधि को छोड़कर, का उपयोग किया जाएगा, वे इस प्रकार हैं :-

- (i) कवरेज, आपूर्ति न की गई, आंशिक रूप से आपूर्ति की गई और निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु।
- (ii) स्थायित्व-स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा हासिल करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए।
- (iii) जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।
- (iv) संचालन एवं रख-रखाव पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को चलाने, मरम्मत और प्रतिस्थापन लागत पर किए गए खर्च के लिए।
- (v) जल गुणवत्ता निगरानी और जांच

(vi) सहायक क्रियाकलाप

(i) केन्द्रीय स्तर पर

- एनआरडीडब्ल्यूपी - पूर्वोत्तर राज्य: वार्षिक एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित किया जाएगा जिसमें लागत को केन्द्र और राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर वहन किया जाएगा।
- एनआरडीडब्ल्यूपी - डीडीपी : वार्षिक एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन का 10 प्रतिशत डीडीपी क्षेत्रों वाले राज्यों को आवंटित किया जाएगा जिसको शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी।
- एनआरडीडब्ल्यूपी (जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) : वार्षिक एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन का 5 प्रतिशत ऐसे राज्यों को आवंटित किए जाने के लिए निर्धारित किया जाएगा जिनके पेयजल स्रोत रासायनिक संदूषण से प्रभावित हैं और जहां जापानी इन्सेफलाइटिस/एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। इस आवंटन से शुरू किए जाने वाले क्रियाकलापों का विवरण अनुबंध XI में दिया गया है। इसके लिए केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर निधियों को वहन किया जाएगा जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर के लिए 90:10 के आधार पर लागत को वहन किया जाएगा।
- एनआरडीडब्ल्यूपी (प्राकृतिक आपदा) : 2 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधि पेयजल आपूर्ति मंत्रालय के पास पड़ी रहेगी और इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं को दूर करने में राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

- शेष 73 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधि का आवंटन गैर-पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाएगा जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर निधियों को वहन किया जाएगा जबकि जम्मू व कश्मीर के लिए इसका 90:10 के आधार पर वहन किया जाएगा।

केन्द्रीय स्तर पर एनआरडीडब्ल्यूपी का घटक, प्रयोजन, वितरण और केन्द्र-राज्य के बीच लागत वहन पद्धति।

	एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन	केन्द्रीय केन्द्र-राज्य के बीच लागत वहन पद्धति
गैर-पूर्वोत्तर राज्य	73 प्रतिशत	पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50
पूर्वोत्तर राज्य	10 प्रतिशत	90:10
डीडीपी क्षेत्र वाले राज्य	10 प्रतिशत	शत प्रतिशत केंद्रीय अंश
जल गुणवत्ता (निर्धारित) रसायनिक संदूषण और जेई/एईएस प्रभावित राज्य	5 प्रतिशत	पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50
प्राकृतिक आपदा	2 प्रतिशत	शत प्रतिशत केंद्रीय अंश

ii राज्य स्तर पर

राज्य स्तर पर विभिन्न घटकों के लिए कार्यक्रम निधि निम्नानुसार उपलब्ध होगी :

- एनआरडीडब्ल्यूपी (कवरेज) :** वार्षिक एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की 47 प्रतिशत राशि का आवंटन कवरेज के लिए किया जाएगा, जिन्हें निर्धारित अंतर्राज्य आवंटन मानदंड के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर निधियों को वहन किया जाएगा जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर के लिए 90:10 के आधार पर लागत को वहन किया जाएगा।

- **एनआरडीडब्ल्यूपी (जल गुणवत्ता) :** वार्षिक एनआरडीडब्ल्यूपीनिधि की 20 प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता समस्याओं को दूर करनेके लिए आवंटित की जाएगी ताकि ग्रामीण समुदायों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। इसके लिए केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर निधियों को वहन किया जाएगा जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर के लिए 90:10 के आधार पर लागत को वहन किया जाएगा।
- **एनआरडीडब्ल्यूपी (संचालन एवं रख-रखाव) :** अधिकतम 15 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का आवंटन किया जाएगा, जिसका ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा उपयोग किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर निधियों को वहन किया जाएगा जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर के लिए 90:10 के आधार पर लागत को वहन किया जाएगा।
- **एनआरडीडब्ल्यूपी (स्थायित्व) :** शत प्रतिशत केंद्रीय अंश आधार पर इस घटक के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधि निर्धारित की जाएगी, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच आवंटित किया जाएगा, जिसका उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्रोतों और प्रणालियों के स्थायित्व के जरिए पेयजल सुरक्षा हासिल करने में प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। इस घटक का वित्तपोषण पूर्णतः केंद्र द्वारा किया जाएगा (इस घटक के लिए राज्य अंश की आवश्यकता नहीं है)। राज्यों को जिलावार पेयजल सुरक्षा प्लान तैयार करना होगा और एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रदत्त निधियों का उपयोग इस प्लान में निधियों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
- **एनआरडीडब्ल्यूपी (डीडीपी क्षेत्र) :** वार्षिक एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन का 10 प्रतिशत डीडीपी ब्लॉकों/जिलों वाले राज्यों को दिया जाएगा। इसका वित्तपोषण शत प्रतिशत केंद्रीय अंश आधार पर किया जाएगा।

- **एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) :** शत प्रतिशत केंद्रीय अंश आधार पर प्रदत्त 5 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधि का उपयोग विभिन्न सहायक क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा। स्वच्छ पेयजल को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर पाने में ग्रामीण समुदायों को सक्षम बनाने, उन्नत प्रौद्योगिकी अर्थात् सैटेलाइट डाटा/इमेजरी का उपयोग करने, जीआईएस मैपिंग, एमआईएस एवं कम्प्यूटरीकरण, इत्यादि के लिए और अन्य क्षेत्रगत सहायक क्रियाकलापों अर्थात् आईईसी, क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, सम्मेलन, सेमिनार, अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप, डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) संरचना इत्यादि के लिए इन सहायक क्रियाकलापों को निष्पादित किया जाएगा।
- **एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) :** शत प्रतिशत केंद्रीय अंश आधार पर प्रदत्त 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का इस्तेमाल जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा। जमीनी स्तर पर जल गुणवत्ता की जांच करने तथा राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने एवं इन्हें चलाने के लिए ये क्रियाकलाप किए जाएंगे। मार्गदर्शन हेतु यूनिफार्म पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकाल का संदर्भ लिया जा सकता है।

राज्य स्तर पर एनआरडीडब्ल्यूपी का घटक प्रयोजन, विवरण और राज्य के बीच लागत वहन पद्धति:

घटक	प्रयोजन	राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन का वितरण	केन्द्र-राज्य के बीच लागत वहन पद्धति
कवरेज	आपूर्ति न की गई, आंशिक रूप से आपूर्ति की गई और निचली श्रेणी में चली गई बसावटों में पर्याप्त	47 प्रतिशत	पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50

	मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना		
गुणवत्ता	जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	20 प्रतिशत	
संचालन एवं रख-रखाव	पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को चलाने, मरम्मत और प्रतिस्थापन लागत पर खर्च के लिए	अधिकतम 15 प्रतिशत	
स्थायित्व	स्रोतों और प्रणालियों के स्थायित्व के जरिए स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा हासिल करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना	अधिकतम 10 प्रतिशत	100:00
सहायता	डब्ल्यूएसएसओ, डीडब्ल्यूएसएम बीआरसी, आईईसी, एचआरडी, एचआईएस और कम्प्यूटरीकरण अनुसंधान एवं विकास इत्यादि जैसे सहायक क्रियाकलाप	5 प्रतिशत	100:00
जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच	जमीनी स्तर पर बसावटों में जल गुणवत्ता की निगरानी एवं जांच के लिए तथा राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर प्रयोगशाला लगाने एवं इनका उन्नयन करने	3 प्रतिशत	100:00

	के लिए		
कुल		100 प्रतिशत	

9.4 लोचनीय नीति

- जल आपूर्ति प्रणालियों को विकेंद्रीकृत बनाने और इनके प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेवारी पंचायतों को सौंपने वाले राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। चूंकि राज्यों में जल गुणवत्ता समस्या वाली बसावटों की संख्या तथा छूट गई आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या की दृष्टि से काफी अंतर है, इसलिए राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों अर्थात कवरेज और जल गुणवत्ता के अंतर्गत इस छूट के साथ निधियां उपलब्ध होंगी कि वे उस घटक को चुन सकते हैं जिसके अंतर्गत वे निधियां प्राप्त करना चाहेंगे। इस प्रकार राज्य स्तर पर उपलब्ध 67 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग कवरेज या जल गुणवत्ता की समस्या से निपटनेके लिए किया जा सकता है।
- स्थायित्व घटक के लिए आवंटन शत-प्रतिशत सहायता अनुदान के आधार पर 10 प्रतिशत तक सीमित है। ऐसे राज्य जो स्थायित्व घटक के लिए 10 प्रतिशत से कम के उपयोग का प्रस्ताव करते हैं, उन्हें इस मामले में लिए गए निर्णय का औचित्य पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को बताना होगा।
- केवल ऐसे राज्यों/क्षेत्रों को छूट दी जाएगी जहां “जल की मात्रा अधिक” है (सामान्य वार्षिक वृष्टि 1500 मि.मी. से अधिक)। “कम जल” वाले क्षेत्रों के लिए “स्थायित्व” निवेश में कोई छूट देना व्यवहार्य नहीं होगा (सामान्य वृष्टि 150 मि.मी. से कम), क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में

पुनर्भरण ढांचे, स्रोतों के पुनरुद्धार (बेकार पड़े बोर वेल) और जल संचयन ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- स्थायित्व के लिए किए गए आवंटन का उपयोग सतही जल, वर्षा जल और भूजल का मिश्रित उपयोग करके उस जल पुनर्भरण ढांचों का निर्माण करते हुए सिर्फ पेयजल सुरक्षा हासिल करने के लिए किया जाएगा और इसमें जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, अतिदोहित, संकटग्रस्त और कम संकटग्रस्त क्षेत्रों जैसे कि सीजीडब्ल्यूपी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा राज्य सरकार द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में निर्धारित किए गए किसी अन्य क्षेत्र पर अधिक जोर दिया जाता है। स्थायित्व संबंधी परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश अनुबंध-II में दिए गए हैं।
- स्थायित्व संबंधी परियोजनाएं शुरू करने के लिए, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि मौजूदा और प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल स्रोतों का प्रत्यक्ष रूप से पुनर्भरण हो और उसके लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्थायित्व संबंधी नियमावली और “मोबिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फार सस्टेनिबिलिटी” संबंधी विस्तृत नियमावली का अवलोकन ऐसी परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए किया जाए।

9.5 एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों के आवंटन के लिए मानदंड

25.02.2010 से एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों के लिए निधियों के आवंटन का मानदंड निम्नानुसार होगा (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया) :-

- एनआरडीडब्ल्यूपी (डीडीपी क्षेत्र) के मामले में, निधियों के आवंटन का मानदण्ड अन्य घटकों की निधियों के मानदण्ड की तरह ही होगा, किंतु इसमें डीडीपी ब्लॉकों के ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बद्ध जानकारी पर भी विचार किया जाएगा। 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में भूमि

संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय का मरुभूमि विकास कार्यक्रम चल रहा है। राज्य सरकार के ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के प्रभारी विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीडीपी ब्लॉकों के लिए रिलीज की गई निधियां संबंधित जिले को रिलीज कर दी गई हैं जिसमें वे डीडीपी ब्लॉक आते हैं। डीडीपी क्षेत्रों वाले राज्य तथा ब्लॉक की संख्या एवं क्षेत्र नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं।

- वित्तीय वर्ष के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के आवंटन की जानकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में दी जाएगी।

क्र.सं.	मानदंड	वेटेज (प्रतिशत)
1	ग्रामीण जनसंख्या	40
2	ग्रामीण अ.जा. और अ.ज.जा. आबादी	10
3	ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी के अंतर्गत आने वाले राज्य और विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य	40
4	मैनेजमेंट डिवोल्यूशन इंडेक्स द्वारा भारित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंधन करने वाली ग्रामीण आबादी	10
	कुल	100

*डीडीपी क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में सहायता प्राप्त आबादी के अनुपात पर विचार करते हुए, गर्म मरुभूमि क्षेत्रों को 90 प्रतिशत तथा ठंडे मरुभूमि क्षेत्रों को 10 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा।

9.6 प्रोत्साहन निधि

- राज्यों को निधियों के आवंटन के मानदण्ड में मैनेजमेंट डिवोल्यूशन इंडेक्स (एमडीआई) द्वारा भारित “ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंधन करने वाली ग्रामीण आबादी” के लिए 10 प्रतिशत वेटेज दिया गया है। एमडीआई की गणना करने के लिए संकेतक और वेटेज का ब्यौरा अनुबंध-VIII में दिया गया है।

- आवंटन के इस मानदण्ड का उपयोग क्षेत्र में विकेंद्रीकरण और सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन निधि देने के लिए किया जाएगा।
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र को विकेंद्रीकृत करने और इसमें सुधार लाने में राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पहले "ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंधन करने वाली ग्रामीण आबादी" से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे ताकि मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आवंटन को अंतिम रूप दे सकें।
- इसे पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों को "निधियों, कार्यों और कर्मियों" के अंतरण की प्रक्रिया, समय सीमा और वार्षिक प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए "एक्टिविटी मैपिंग" कराई जानी चाहिए।
- यह प्रोत्साहन निधि कार्यक्रम आवंटन का हिस्सा है और एनआरडीडब्ल्यूपी के विशिष्ट घटकों के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

डीडीपी ब्लॉक वाले राज्यों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	ब्लॉकों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में
1	आंध्र प्रदेश	1	16	19136
2	गुजरात	6	52	55424
3	हरियाणा	7	45	20542
4	हिमाचल प्रदेश	2	3	35107
5	जम्मू एवं कश्मीर	2	12	96701
6	कर्नाटक	6	22	32295
7	राजस्थान	16	85	198744
	कुल	40	235	457949

9.7 परिचालन एवं अनुरक्षण निधियाँ

- राज्य/सं.रा. क्षेत्र एनआरडीडब्ल्यूपी की 15 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग कर सकते हैं तथा राज्य/सं.रा. क्षेत्र सदृश्य अंशदान भी करेंगे। वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पीआरआई को अनुदानों के रूप में दी गई निधि के साथ-साथ इस अंशदान राशि का उपयोग पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर हुए परिचालन एवं अनुरक्षण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। राज्यों को चाहिए कि वे पीआरआई द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए उन्हें जरूरी परिचालन एवं अनुरक्षण निधि प्रदान करें।
- ग्राम पंचायत में चल रही सभी जल आपूर्ति योजनाओं का रख-रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। बहुग्रामीण और बल्क वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए स्रोत, शोधन संयंत्र, राइजिंग मेन्स इत्यादि का रख-रखाव पीएचईडी संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाएगा जबकि गांव के भीतर वितरण और अन्य घटकों के रख-रखाव के लिए वित्तपोषण का सतत स्रोत तैयार करने का प्रयास करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त निधि तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई संचालन एवं रख-रखाव निधि पंचायतों को रिलीज कर दी गई है।
- “ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)” परियोजनाओं के मामले में, सुविधा ग्राही को दिए जाने वाले पुरा अनुदान में संचालन एवं रख-रखाव निधि को शामिल नहीं किया जाएगा।
- राज्य सुव्यवस्थित संचालन एवं रख-रखाव करने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई संचालन एवं रख-रखाव नियमावली का उपयोग कर सकते हैं या राज्य विशिष्ट संचालन एवं रख-रखाव नियमावली तैयार कर सकते हैं।

9.8 ग्रामीण विद्यालयों और आंगनवाडियों में पेयजल का प्रावधान

- सभी राज्यों को मौजूदा ग्रामीण सरकारी विद्यालयों एवं आंगनवाडियों और उनमें से कितने विद्यालयों और आंगनवाडियों में पेयजल की सुविधा है, उनकी संख्या के बारे में राज्य शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त आंकड़ों को एकत्र करने और इसे आईएमआईएस में फीड करने की जरूरत होगी।
- शेष सरकारी ग्रामीण विद्यालयों और आंगनवाडियों (सरकारी/पब्लिक/सामुदायिक भवनों में स्थित) में 2012-13 के अंत तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।
- इस कार्य का एक हिस्सा केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के जरिए पूरा किया जाएगा और शेष को एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत कवर किया जाएगा।
- ऐसे विद्यालयों या आंगनवाडियों में वाटर प्यूरिफिकेशन प्रणाली लगाई जा सकती है जहां पेयजल स्रोतों में बैक्टेरियॉजिकल या अत्यधिक लौह के संदूषण की समस्या है। एनआरडीडब्ल्यूपी (कवरेज) और गुणवत्ता के लिए आवंटित निधि में से इस प्रयोजन पर खर्च किया जाएगा जिसको केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा।
- राज्यों को ग्रामीण विद्यालयों की कवरेज के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और प्रत्येक माह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को उपलब्धियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की जरूरत होगी।
- यह कार्यक्रम एसएसए और आईसीडीएस के सहयोग से कराया जाएगा।

9.9 पेयजल के लिए जनसुविधाएं

- ग्रामीण संदर्भ में, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेयजल सभी सार्वजनिक स्थलों जिनमें विद्यालय, आंगनवाड़ी, सार्वजनिक भवन, पीआरआई कार्यालय, सामुदायिक भवन, बाजार, मंदिर

अन्य धार्मिक संस्थान, बाजार स्थल, मेला ग्राउंड, शमशान भूमि इत्यादि शामिल हैं, पर उपलब्ध कराया जाएगा।

- इस कार्यक्रम में सुविधाजनक स्थलों पर स्ट्रीट स्टैंडपोस्ट लगाकर बढ़ती हुई आबादी की जरूरत को भी पूरा किया जाएगा।

9.10 अ.जा. और अ.ज.जा. की निधियों का निर्धारण-एससीएसपी और टीएसपी घटक

- केन्द्रीय स्तर पर एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की 22 प्रतिशत राशि अनु.जाति उप-प्लान के लिए तथा 10 प्रतिशत राशि जनजातिय उप-प्लान के लिए निर्धारित की गई हैं जिसका उपयोग अ.जा./अ.ज.जा. बहुल बसावटों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए किया जाएगा।
- अ.जा. और अ.ज.जा. बहुल बसावटों में निरंतर आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के किसी भी तरह से अ.जा. और अ.ज.जा. बहुल बसावटों में पेयजल आपूर्ति के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का प्रतिशत तय करना होगा जैसा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है। ऐसी बसावटें जहां 40 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचितजातियों की है, अनु.जाति बहुल बसावटें तथा जहां 40 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की हैं, अनुसूचितजनजाति बहुल बसावटें मानी जाती हैं।
- यदि किसी राज्य में अ.जा. या अ.ज.जा. का प्रतिशत अधिक है और वहां निर्धारित प्रावधानों से अधिक निर्धारण/उपयोग की आवश्यकता है, उस स्थिति में अतिरिक्त निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

- राज्य सरकारों/सं.रा. क्षेत्र प्रशासन को अ.जा./अ.ज.जा. वाली बसावटों में स्वच्छ पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता की स्थिति की अलग से निगरानी करनी चाहिए।

9.11 महिला (जेंडर) सशक्तिकरण और बजट

चित्र

- ग्राम पंचायत/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों (जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी) के सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य विशेष रूप से अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाएं होनी चाहिए।
- जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी छठी अनुसूची क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को छोड़कर अन्य ग्राम पंचायत की स्थायी या उप-समिति हानी चाहिए। जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.वर्गों के प्रतिनिधियों की विधिवत भागीदारी का प्रावधान किया जाना चाहिए।

10. सहायक कार्यक्रम और जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच क्रियाकलाप

- ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां राज्यों को क्षेत्र के दीर्घावधिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। परियोजना तैयार करने, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं

की तकनीकी जांच एवं मूल्यांकन के लिए राज्य तकनीकी एजेंसी को काम पर लगाना। हाइड्रो-जिऑ-मॉर्फोलॉजिकल मानचित्र, सैटेलाइट-डाटा एजेंसी, जीआईएस मैचिंग सिस्टम, बसावटों और जल स्रोतों की विशेष पहचान के लिए जीपीएस प्रणाली का उपयोग, समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आईएमआईएस) को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए सहायता और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलाप।

- एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) : सॉफ्टवेयर सपोर्ट क्रियाकलाप करने के लिए राज्यों को प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधि रिलीज की जाएगी। भारत सरकार इन क्रियाकलापों के लिए आवंटित राशि के अलावा कोई अतिरिक्त राशि प्रदान नहीं करेगी। नीचे दर्शाए गए सभी सहायक कार्यकलाप 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेंगे। इसके लिए, प्रत्येक राज्य को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत समुचित संख्या में स्टाफ के साथ जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) की स्थापना करनी चाहिए। डब्ल्यूएसएसओ में इंजीनियरों और तकनीकी स्टाफ, जो उनमें पहले से हो सकते हैं, के अलावा सामाजिक विकास, मानव संसाधन विकास, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों, जो भी आवश्यक हो, की भर्ती की जाएगी। इन निधियों का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए किया जाएगा :-

- (i) डब्ल्यूएसएसओ, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्तर पर परामर्शदाताओं के लिए सहायता।
- (ii) ब्लॉक संसाधन केन्द्रों की स्थापना एवं इनका संचालन।
- (iii) डब्ल्यूएसएसओ द्वारा डब्ल्यूएसएसओ के अंतर्गत सीसीडीयू द्वारा शुरू किए गए प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों और जागरूकता सृजन के लिए सहायता उपलब्ध कराना।
- (iv) सेवा प्रदायगी में बेहतर जबाबदेही, कारगर निगरानी और पारदर्शिता लाने के लिए जिला एवं सब-डिविजनल स्तर पर एमआईएस हेतु हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट उपलब्ध कराना।

- (v) राज्य से सम्बद्ध अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप।
 - (vi) परियोजना तैयार करने, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की तकनीकी जांच एवं मूल्यांकन के लिए राज्य तकनीकी एजेंसी को काम पर लगाना। हाइड्रो-जिऑ-मॉर्फोलॉजिकल मानचित्र, सैटेलाइट-डाटा एजेंसी, जीआईएस मैचिंग सिस्टम, बसावटों और जल स्रोतों की विशेष पहचान के लिए जीपीएस प्रणाली का उपयोग, समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आईएमआईएस) को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए सहायता और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलाप।
 - (vii) अन्य सहायक कार्यकलाप।
- एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) : जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यकलाप शुरू करने के लिए राज्यों को प्रत्येक वर्ष 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधि रिलीज की जाएगी। इन कार्यकलापों में जिला एवं उप-जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उन्नयन, फील्ड टेस्ट किटों एवं रिफिलों की आपूर्ति और आसान जल गुणवत्ता परीक्षणों के लिए जमीनी स्तर के कामगारों को प्रशिक्षण देना शामिल होगा।

एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) और एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) निधियों से राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

क) एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता निधि)

10.1 जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (सम्प्रेषण एवं क्षमता विकास)

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तथा सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यक्रमों का 2004-05 में आपस में विलय कर दिया गया था तथा भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचार एवं क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू) की स्थापना के लिए शत प्रतिशत सहायता अनुदान उपलब्ध कराया था। अब सीसीडीयू को जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन में मिला दिया जाएगा। गांव में पाइप के जरिए जल की आपूर्ति की जाने वाली परियोजनाएं शुरू करने से पहले, जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी बनाई जानी चाहिए, उनके सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें स्रोत एवं प्रणाली के चयन, मांग गुणवत्ता का आकलन, आयोजना, निगरानी, निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव के कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे गांवों में इसके लिए लक्ष्यबद्ध आईईसी और एचआरडी क्रियाकलापों की जरूरत होती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को ग्रामीण जल आपूर्ति एवं इससे संबंधित मुद्दों के सभी पहलुओं की जानकारी देना और पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों/जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन तथा संचालन एवं रख-रखाव संबंधी कार्यकलाप कर सकें। इस प्रकार, विशिष्ट क्षेत्र के परामर्शदाताओं और जीपी/जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी एवं ग्रामीण आपूर्ति विभाग के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए बनाए गए संसाधन केंद्रों के जरिए डब्ल्यूएसएसओ और डीडब्ल्यूएसएम को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) के अंतर्गत किए जाने वाले क्रियाकलापों के लिए अनुबंध-IV में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

10.2 प्रबंधन आसूचना प्रणाली

एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रभावी आयोजना, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन आसूचना प्रणाली में निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है :

- लघु एवं सूक्ष्म स्तर पर आयोजना एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति डाटा की बसावटस्तरीय स्थिति का रख-रखाव।
- आरडीबीएमएस में डाटा की प्रोसेसिंग और स्टोरिंग करने तथा इंटरनेट के जरिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक डाटा पहुंचाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने हेतु चरणबद्ध ढंग से उप-डिविजनल स्तर तक कम्प्यूटर सुविधाओं के लिए सहायता।
- पेयजल स्रोतों के स्थान का पता लगाने के लिए जीपीएस साधनों की खरीद और सर्वे ऑफ इंडिया से डिजिटल नक्शों की खरीद सहित ग्राम आधारित जीआईएस मानचित्र तैयार करने, इसके स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए सहायता।
- कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाना एवं इसका रख-रखाव करना ताकि राज्य इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों की आयोजना, निगरानी और कार्यान्वयन में कम्प्यूटरिंग क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें और आईएमआईएस एप्लिकेशन के जरिए मुख्य सर्वर पर सम्बद्ध डाटा उपलब्ध करा सके।
- एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) निधि एमआईएस कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एमआईएस और कम्प्यूटरीकरण परियोजना संबंधी दिशा-निर्देश अनुबंध-V में दिए गए हैं।

10.3 अनुसंधान एवं विकास

- ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र में उभरती हुई नई चुनौतियों और मुद्दों को देखते हुए, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक अनुसंधान एवं विकास परामर्शदात्री समिति (आरडीएसी) बनाई गई है। ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र संबंधी अनुसंधान एवं विकास परामर्शदात्री समिति (आरडीएसी) के कार्यों में अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (i) प्रयोक्ता विभागों और सामुदायिक संगठनों अर्थात् गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), स्वैच्छिक एजेंसियों इत्यादि से क्षेत्रगत समस्याओं का निर्धारण करना।
 - (ii) अनुसंधान, विकास और अभिनव पहलों के लिए नए विचार देना और ऐसी परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना और श्रष्ट क्षेत्रों का निर्णय लेना।
 - (iii) विशिष्ट अनुसंधान, विकास, नवीन एवं प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए संस्थाओं और वैज्ञानिकों का पता लगाना तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आमंत्रित करना।
 - (iv) क्षेत्र से सम्बद्ध अंतर-क्षेत्रगत और अलग-अलग क्षेत्रों की अनुसंधान परियोजनाएं तैयार करने में वैज्ञानिकों/संगठनों की मदद करना।
 - (v) विशिष्ट एवं नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े वर्तमान महत्व के दस्तावेज तैयार करने में मंत्रालय की मदद करना।
 - (vi) ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रों के विशिष्ट संदर्भ में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों तथा उपयोगी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और इन्हें अपनाने में मददगार मसलों पर मंत्रालय को सलाह देना।
 - (vii) एक जैसे कार्यकलापों से जुड़ी अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाना और डब्ल्यूएटीएसएन क्षेत्र के हित के लिए इनमें सामंजस्य बिठाना।
- ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर विचार करने/मंजूरी देने के लिए सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक परियोजना मंजूरी समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। समिति परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय अनुसंधान एवं विकास परामर्शदात्री समिति (आरडीएसी) की सिफारिशों पर विचार करेगी।

- विभिन्न राज्यों के संबंधित विभागों में अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें पर्याप्त स्टाफ और आधारभूत सुविधा के साथ अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ को प्रमुख राज्य तकनीकी एजेंसी के संपर्क में रहना पड़ता है।
- तकनीकी संस्थाओं का नेटवर्क मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन कर सकता है। अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ को निगरानी एवं जांच इकाई के सम्पर्क में ही रहना होगा और उचित अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्टों का अध्ययन करना होगा।
- अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के प्रलेखन एवं सूचना केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए।
- अनुसंधान एवं विकास के श्रष्ट क्षेत्रों को दर्शाने वाला दिशानिर्देश अनुबंध-VI में दिया गया है।

ख) एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधि)

10.4 जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच के मुद्दे पर पर्याप्त बल दिया गया है। परिवार स्तर पर पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से बसावटों से प्राप्त निगरानी एवं जांच संबंधी परिणामों को मंत्रालय के डाटाबेस पर भी डाला जाता है तथा इसकी निगरानी की जाती है।

फरवरी, 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम को अब एनआरडीडब्ल्यूपी में मिला दिया गया है।

जल गुणवत्ता निगरानी और जांच के विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध-III में दिए गए हैं। संक्षिप्त में यह कार्यक्रम इस प्रकार है :-

- आरजीएनडीडब्ल्यूएम, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम के कार्यान्वयन” के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों (नवम्बर, 2004) में डब्ल्यूक्यूएम एंड एस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वर्णित दृष्टिकोण, कार्यनीति और तौर-तरीके को अपनाए जाने की जरूरत है।
- बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण के लिए एक वर्ष में कम से कम दो बार और रासायनिक संदूषण के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी पेयजल स्रोतों का परीक्षण किया जाना चाहिए।
- एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्य कुछ चुनिंदा रासायनिक मानदण्डों (आवश्यकता के आधार पर) और जैविक मानदण्डों के परीक्षण की व्यवस्था के साथ राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन कर सकते हैं। एनआरएचएम के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर जल गुणवत्ता (जैविक मानदण्ड) परीक्षण की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र में कॉलेज/स्कूल लैब जैसे अन्य लैब के पास उपलब्ध ऐसी सुविधाओं का उपयोग कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है।
- गांवों में सभी पेयजल स्रोतों में रासायनिक और जैविक संदूषण की प्राथमिकता जांच के लिए मौजूदा फील्ड टेस्ट किटों का इस्तेमाल जारी रह सकता है। रिफिलों की व्यवस्था और फील्ड टेस्ट किटों को बदलने का कार्य भी इसी राशि से किया जा सकता है।
- डब्ल्यूक्यूएम एंड एस के आईईसी और एचआरडी कार्यकलाप डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) कार्यकलापों के हिस्से के रूप में किए जाएंगे।

- फरवरी, 2006 से अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए ग्राम पंचायत स्तर के पांच व्यक्तियों अर्थात् आशा, आंगनवाड़ी कर्मी, विद्यालय शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि की सेवाएं जांच कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल की जाती रहेंगी। नए कर्मियों और रिफ्रेशर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण वार्षिक तौर पर दिया जाना चाहिए।
- नामित प्रयोगशालाओं द्वारा जांचे गए सभी स्रोतों के परीक्षण परिणामों को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रविष्टि करके निगरानी की जाएगी। बसावट और परिवार संबंधी आंकड़े ग्राम स्तर के दो सदस्यों (i) ग्राम सभा में चुना गया जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी का सदस्य जो पंचायत के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हो और (ii) एनआरएचएम का आशा, द्वारा एकत्र किए जाएंगे। वे गांव में इस्तेमाल किए गए फील्ड टेस्ट किटों के परीक्षण परिणामों को अभिप्रमाणित भी करेंगे।

10.4.1 जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) प्रोटोकॉल

कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करने के लिए एक डब्ल्यूक्यूएम एंड एस प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है।

11. अन्य सहायक कार्यकलाप

11.1 रिंग्स और हाइड्रोफ्रैक्चरिंग यूनिट

- रिंग्स/हाइड्रोफ्रैक्चरिंग यूनिट की खरीद पर खर्च एनआरडीडब्ल्यूपी कवरेज निधि से किया जाएगा जिसको केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा।
- इन मशीनों और साजो-सामान का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्ष की शुरुआत में राज्य के लिए एक रिंग मॉनिटरिंग प्लान बनाया जाना चाहिए।

11.2 निगरानी एवं जांच इकाई

- आवश्यक सहायक स्टाफ के साथ एक सुयोग्य वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में राज्य मुख्यालयों में एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ एवं जांच इकाई की स्थापना की जानी चाहिए।
- कार्यान्वयन एजेंसियों से निर्धारित रिपोर्टों के जरिए ऑन लाइन जानकारी प्राप्त करने (प्रगति निगरानी प्रणाली), डाटा का रख-रखाव करने तथा केंद्र सरकार को अंतिम तारीख तक निर्धारित डाटा ऑन लाइन प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी निगरानी इकाई की होगी।
- यह इकाई जल गुणवत्ता के निगरानी पहलुओं, सेवा की पर्याप्त तथा जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के अन्य गुणात्मक पहलुओं के प्रति भी जवाबदेह होगी।
- यह इकाई संबंधित विभाग, केन्द्रीय/राज्य भूजल बोर्ड के सहयोग से जलगुणवत्ता द्वारा भी तैयार करेगी। विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए संस्थाओं द्वारा तैयार की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों के ब्यौरे इकाई द्वारा जमीनी स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- निगरानी और जांच इकाईयों में हाइड्रोलॉजिस्ट, जिऑलिजिसिस्ट,कम्प्यूटर विशेषज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटरों इत्यादि के तकनीकी पद भी होंगे।
- गुणवत्ता नियंत्रण इकाई निगरानी एवं जांच इकाई का अभिन्न अंग होना चाहिए और इसे अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। जल आपूर्ति योजनाओं में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को नियंत्रित/विनियमित करने की जिम्मेवारी इसी इकाई की होगी और यह इकाई क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक रूप से अनुप्रयोग सुनिश्चित करेगी।
- खर्च को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा। केन्द्रीय अंश एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) निधि से पूरा किया जाएगा।

11.3 कार्यक्रम और परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन

केन्द्र सरकार प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थाओं के जरिए समय-समय पर निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन कराती है।

- राज्य सरकार भी ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में उसी के समान निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन करा सकती है। ऐसे प्रस्ताव को एसएलएसएससी की बैठक में अनुमोदित कराए जाने की जरूरत होती है।
- इस प्रकार का मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को सहायक क्रियाकलाप निधि से शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराएगी।
- इन अध्ययनों की रिपोर्टें मंत्रालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

11.4 विदेशी सहायता एजेंसियां

- विभिन्न विदेशी सहायता एजेंसियां अर्थात् विश्व बैंक, जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी, केएफडब्ल्यू आदि ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने की इच्छुक हैं। राज्य जो इस प्रकार की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे वर्णित परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं :
- विदेशी वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं में समुदाय आधारित मांग जनित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को संस्थागत बनाने का मजबूत घटक होना चाहिए।

- इन परियोजनाओं में सॉफ्टवेयर क्रियाकलाप संबंधी जरूरतों, पेयजल आपूर्ति, स्थायित्व संबंधी उपायों, लक्षित समुदायों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त कराने में मदद किए जाने, पर्यावरणीय स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा, आय सर्जक क्रियाकलापों आदि का उल्लेख होना चाहिए।
- प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच की गई है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त योजना विभागों का अनुमोदन किया जाना चाहिए।
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य में सचिव स्तर पर इसकी प्रगति की निगरानी की जानी चाहिए ताकि लागत को बढ़ने से रोका जा सके और उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

चित्र

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभाव की नियमित रूप से निगरानी एवं मूल्यांकन कराएगा।

सुपुर्दगी तंत्र

12. संस्थागत ढांचा

12.1 राष्ट्रीय स्तर

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय निम्नलिखित कार्य करेगा :

- राज्यों को नीतिगत मार्गदर्शन तथा वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभाव की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन कराना।
- एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों के अनुसार डब्ल्यूएसएसओ के गठन में राज्यों की सहायता करना।
- प्राकृतिक आपदा की स्थिति में क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति प्रणालियों को फिर से चालू करने में राज्यों की सहायता करना।

12.2 राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियां

विशिष्टीकृत एवं नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों तथा ग्रामीण जल एवं स्वच्छता क्षेत्र के विशेष संदर्भ में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय एजेंसियां निर्धारित की गई हैं :-

- सभी केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (सीएसआईआर) प्रयोगशाला, अर्थात् सीएसएमसीआरआई (भावनगर), आईटीआरसी (लखनऊ), सीएमईआरआई (दुर्गापुर), एनसीएल (पुणे), एनईईआरआई (नागपुर) इत्यादि।
- केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
- जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया (जीएसआई)
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार)
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार)
- केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)
- राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी)
- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एनआईसीडी)
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी)
- राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (जोधपुर)
- सेंटरफोर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट (सीएसई)
- सेंटर फोर एन्वायर्नमेंट एंड एज्युकेशन (सीईई)
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)
- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)
- क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईई)
- इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ (आईआईएच एंड पीएच)
- आरडब्ल्यू एंड एस क्षेत्र विकास से संबंधित कोई अन्य केन्द्रीय एजेंसी

राष्ट्र स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ

मंत्रालय राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने, नीति बनाने और इसे क्रियान्वित करने में तकनीकी सलाह देने, विशिष्ट तकनीकी समीक्षा करने, तकनीकी छानबीन करने, मंत्रालय और राज्यों को ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विभागों की क्षमताओं को बढ़ाने वाली सहायता मुहैया कराने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची तैयार करेगा।

12.3 राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र की भूमिका

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आसूचना केंद्र (एनआईसी), केन्द्र स्तर पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के लिए तकनीकी पारदर्शिता के रूप में कार्य करेगा और राज्य एनआईसी राज्य सरकार के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेगा तथा ई-शासन जरूरतों के संबंध में राज्यों को सहायता प्रदान करने के प्रति जिम्मेवार होगा।

- एनआईसी सेंट्रल डाटाबेस भी तैयार करेगा और देश का नेशनल रूरल हैबिटेशन डायरेक्टरी बनाने की जिम्मेवारी इसी केंद्र की होगी।
- एनआईसी की भूमिका में स्थान और अन्य कोडों को मानक बनाने के कार्यक्रमलाप भी शामिल किए जाएंगे जिससे मानक कोड के आधार पर राज्य डाटाबेस के साथ दो तरफा संपर्क बनाने में मदद मिलेगी।
- राज्य सरकारें राज्य और केन्द्रीय एमआईएस के बीच अंतः प्रचालन के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसी कोडिंग पद्धति का कड़ाई से अनुपालन करेगी।
- राज्य स्तरीय एनआईसी अधिकारी केवल एमआईएस और कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं के लिए एसएलएसएससी समिति का सदस्य होता है और वह सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी

कार्यकलापों के लिए ई-शासन/आईसीटी परामर्शदाता के रूप में राज्य सरकार की मदद कर सकता है।

- राज्य स्तर पर एनआईसी राज्य इकाई सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन तैयार करने और परस्पर सहमत प्रस्तावों के अनुसार प्रशिक्षण देने सहित राज्य के एमआईएस कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

12.4 राज्य स्तर

लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग/बोर्ड राज्य स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं शुरू करने वाली प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। बदली हुई जल संसाधन स्थिति तथा प्रयोक्ता आधारित मांगोन्मुख दृष्टिकोण पर बल देते हुए विकेंद्रीकृत कार्यनीति लागू करने की जरूरत में संप्रेषण तौर-तरीकों, पीआरए तकनीकों और मात्र सेवा प्रदाता की बजाए सुविधाप्रदाता के रूप में उनकी बदली हुई भूमिका को समझने के लिए इन इंजीनियरिंग विभागों की आवश्यकता है। इसके लिए मौजूदा पीएचईडी/बोर्डों को समुदाय की जरूरतों और उनकी ताकत और कमजोरियों का अध्ययन करते हुए बदलते हुए परिदृश्य के प्रति उन्हें जिम्मेवार बनाते हुए उनका पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करने की आवश्यकता होगी।

प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित संस्थाएं होंगी :

- राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)
- राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी)
- राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए)
- जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ)

इनमें से प्रत्येक निकाय के गठन और कार्यों के बारे में अनुबंध-VII में बताया गया है।

12.5 जिला स्तर

जिला स्तर पर एक जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया जाएगा और यह मिशन जिला पंचायत/परिषद के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मार्गदर्शन में कार्य करेगा। ऐसे राज्य जिन्होंने उपयुक्त पीआईआई संरचना का गठन नहीं किया है, जैसा कि अनुसूची 6 के क्षेत्रों के मामले में होता है और जो वैकल्पिक व्यवस्था से डीडब्ल्यूएसएम के कामकाज का सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं, एक उपयुक्त निकाय बना सकते हैं और इसी निकाय के माध्यम से जिला जल सुरक्षा योजना तैयार करके क्रियान्वित की जाएगी। डीडब्ल्यूएसएम ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाओं का विश्लेषण करेगा और इन्हें जिला स्तर पर समेकित करेगा। यह कार्यान्वयन हेतु जिला आधारित जल सुरक्षा योजना तैयार करेगा। जिला स्तर पर सभी अन्य संबंधित कार्यक्रमों में तालमेल और इनका वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाएगा। मनरेगा योजना, भूमि संसाधन विभाग की समेकित वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाएं, केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोग निधि, एनआरएचएम, कृषि मंत्रालय की विभिन्न वाटरशेड और सिंचाई योजनाएं, जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं इत्यादि इससे संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं। परामर्शदाता और कार्यालय स्टाफ डीडब्ल्यूएसएम की सहायता करेंगे। डीडब्ल्यूएसएम का गठन और कार्य अनुबंध-VII में दर्शाया गया है।

12.6 उप-जिला स्तरीय

जल और स्वच्छता दोनों के मसलों पर ग्राम पंचायत/जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी को निरंतर सहायता प्रदान करने और उनके एवं डीडब्ल्यूएसएम के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र को ग्राम पंचायतों/जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी एवं स्थानीय समुदाय के सदस्यों को लगातार जानकारी देने, उन्हें प्रेरित करने और प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा जाएगा ताकि वे अपने-अपने गांवों/बसावटों में

स्वच्छ पेयजल और बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित कर सकें। बीआरसी स्टाफ और इसके कार्यकलापों पर किए गए खर्च को एनआरडीडब्ल्यूपी सहायता निधि से पूरा किया जा सकता है। बीआरसी के गठन और कार्यों का विवरण अनुबंध-VII में दर्शाया गया है।

12.7 ग्राम/ ग्राम पंचायत स्तर

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में उसकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की आयोजना, निगरानी, कार्यान्वयन तथा संचालन एवं रख-रखाव हेतु स्थायी समिति/उप-समिति के रूप में एक ग्राम पंचायत/ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी) की स्थापना की जाएगी ताकि इसमें ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस समिति को एनआरएचएम के तहत बनाई गई ग्रामीण स्वास्थ्य समिति में मिलाया जा सकता है ताकि ग्राम स्तर पर जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का एक साथ समाधान किया जा सके। जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी में 6 से 12 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि गांव के निर्धनतम वर्गों एवं अ.जा., अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं शामिल होती हैं। यह समिति ग्राम पंचायत की जल एवं स्वच्छता संबंधी स्थायी समिति/उप-समिति के रूप में कार्य करेगी और ग्राम पंचायत का अभिन्न अंग होगी। जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के गठन और कार्य राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत बनाए गए उप-नियमों से विनियमित किए जा सकते हैं।
- पुरा परियोजना में, सुपुर्दगी की मुख्य जिम्मेवारी सुविधा ग्राही की होगी जो कि जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी ग्राम पंचायत के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

12.8 गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों की भूमिका

ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में स्वजलधारा और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत प्राप्त अनुभव से पता चला है कि गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों ने सामुदायिक एकजुटता में और जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना और प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे निम्नलिखित कार्यकलापों में भी भूमिका निभा सकते हैं :-

- सूचना का प्रचार-प्रसार : एनजीओ और सीएसओ समुदायों को दिशानिर्देशों के बारे में विविध प्रभावी और विभिन्न प्रकार की संप्रेषण पद्धतियों के जरिए जानकारी दे सकते हैं और उन्हें कार्यक्रम में हिस्सा लेने से संबंधित उनकी भूमिकाओं, शक्तियों या जिम्मेवारियों के बारे में बता सकते हैं।
- संस्थागत निर्माण : सिविल सोसायटी संगठन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से लेकर जिला और राज्य स्तर तक आयोजना, प्रबंधन, तकनीकी, रख-रखाव एवं सोशल इंजीनियरिंग संबंधी पहलुओं पर संस्थाओं का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जमीनी स्तर के संगठन ग्राम सभा और पीआरआई को सामूहिक कार्यकलाप में जबरदस्त सहायता प्रदान कर सकते हैं ताकि वे दिशानिर्देशों के प्रावधानों को कारगर ढंग से क्रियान्वित कर सकें।
- राज्य स्तर पर तैनाती : कार्यक्रम को उसकी मूल भावना के अनुरूप चलाने के लिए स्टेट मैकेनिज्म और प्लान तैयार करने में सीएसओ को शामिल किया जा सकता है।
- आयोजना और तकनीकी सहायता : अनेक सिविल सोसायटी संगठनों के पास जल संसाधन, वाटरशेड और अन्य संबंधित कार्यक्रमों में कामकाज करने का काफी अधिक तकनीकी अनुभव है। जहां तक संभव हो, विशेष रूप से ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में इस अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकता है।

- निगरानी : समुदाय को ग्राम सभा और स्व-सहायता समूह के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी करने का अधिकार दिया जाएगा। सीएसओ और एनजीओ अधिकार सम्पन्न बनाने वाली इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं।

नियुक्ति का संस्थानीकरण : उपर्युक्त क्षेत्रों की पूरी प्रक्रिया और प्रयास में एनजीओ की सुविधा प्रदान करने वाली क्षमताओं को संस्थागत बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए, इस प्रक्रिया में भागीदार सिविल सोसायटी संगठनों को उनकी स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेवारियों के साथ स्थान दिए जाने की जरूरत है।

सिविल सोसायटी संगठनों का चयन : सीएसओ का चयन पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए तथा उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जाएगा। राज्य अपनी विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखकर सीएसओ के चयन के लिए पात्रता या अर्हता मानदंड तय कर सकते हैं। चुना गया सीएसओ प्रस्तावित कार्य संचालन के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए।

सिविल सोसायटी संगठनों का क्षमता निर्माण : सीएसओ की क्षमताएं बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाने की जरूरत है ताकि उन्हें उनकी जिम्मेवारियां पूरी करने में मदद की जा सके तथा अधिकार सम्पन्न बनाया जा सके।

12.9 आशा कर्मियों को प्रोत्साहन

परिवारों को उनके मकानों में टेप (नल) कनेक्शन लगाने के लिए प्रेरित करने वाले आशा कर्मियों को प्रति कनेक्शन 75₹ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) निधि से दी जाएगी।

12.10 सार्वजनिक-निजी भागीदारी

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में देश के सभी ग्रामीण परिवारों में परिवार स्तर पर पाइप के जरिए सुनिश्चित मात्रा में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने, ग्रामीण आबादी की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भारी मात्रा में निवेश करने की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में मौजूदा प्रणालियों और नई प्रणालियों के संतोषप्रद संचालन एवं रख-रखाव के लिए टैरिफ और कलेक्शन संबंधी मसलों को हल करने, संचालन एवं लागत के प्रभाव को बढ़ाने तथा वित्तीय शिक्षा एवं प्रबंधकीय क्षमता प्रदान करने की भी जरूरत पड़ती है। इस संदर्भ में राज्यों को कुशल संचालन और सेवा प्रदाता की सेवा लेते समय सार्वजनिक निजी भागीदारी से विनियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक जिम्मेवारियां निभाने में मदद मिलती है। राज्यों द्वारा पीपीपी के जिन कुछ मॉडलों पर विचार किया जा सकता है, वे हैं- मुख्यतः मौजूदा प्रणालियों के लिए सर्विस कांटेक्ट, मैनेजमेंट कांटेक्ट, लीज कांटेक्ट तथा मुख्य रूप से नई प्रणालियों के लिए बीओटी (निर्माण, संचालन और अंतरण)। सभी पीपीपी मॉडलों में पारदर्शिता, उद्देश्यपरकता, गैर-विवेकाधिकार प्रावधान युक्त पीपीपी करार (चाहे समुदाय आधारित हो या प्राइवेट ऑपरेटर) तैयार किए जाने चाहिए जिससे कि सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता लाई जा सके और ऑपरेटरों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन के साथ भूमिकाओं, जिम्मेवारियों, निष्पादन संकेतकों, ग्राहकों की जावाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित की जा सके।

पीपीपी करारों की जरूरत और इसके स्वरूप पर निर्णय लेते समय अ.जा., अ.ज.जा. और निर्धन परिवारों में पेयजल आपूर्ति की एक समान सुविधा, पीपीपी करार की वजह से सरकार या समुदाय पर पड़ने वाली मध्यावधिक, दीर्घावधिक देयता, निश्चित रूप से बुनियादी जरूरत होने की वजह मांगों की होड़ वाली जल की संवेदनशील रूप, जल शोधन संयंत्रों की अस्वीकार करने की व्यवस्था इत्यादि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

राज्यों को समुदायों या प्राइवेट हैंडपंप मैकेनिक्स, ठेकेदारों, पाइप से जल की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों/ऑपरेटरों तथा अन्य सुविधा प्रदाताओं के साथ सेवा/पीपीपी करार करने के लिए उपयुक्त जानकारी और साधन तैयार करना चाहिए और इसका प्रचार-प्रसार करना चाहिए। राज्य विशिष्ट पीपीपी नीतियां तैयार करते समय मार्गदर्शन के लिए पुरा योजना दिशानिर्देशों और इसके अंतर्गत तैयार किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखा जा सकता है।

चित्र

महिला हैंडपंप/ट्यूबवेल मैकेनिक्स प्रगति की नई दिशा तय कर रहे हैं

चित्र

मौजूदा अवसंरचना को बेहतर बनाते समय जल सुरक्षा प्लान, निष्पादन को बेहतर बनाने वाला प्लान तथा योजना क्रियान्वित करने वाला प्रचालन प्लान ग्रामीण जल सुरक्षा प्लान का हिस्सा होगा

आयोजना, निधियों की रिलीज और निगरानी

13. ग्राम तथा जिला जल सुरक्षा योजना

- अनेक राज्यों में, ग्राम पंचायत या उनकी उप-समिति अर्थात् ग्राम पंचायत/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव के प्रति पूरी तरह जिम्मेवार बन गई है।
- जल की बजटिंग सहित ग्राम स्तरीय आयोजना जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने में मुख्य घटक है।

*ग्रामीण जल सुरक्षा प्लान (वीडब्ल्यूएसपी), जो एनजीओ की मदद से ग्रामीण समुदाय द्वारा तैयार किया जाना होता है, बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपयुक्त संस्थागत सहायता की जरूरत होती है।

- ग्रामीण जल सुरक्षा प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, गांव की जनसांख्यिकी, भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत तथा अन्य ब्यौरे उपलब्ध पेयजल की सुविधाएं और इसकी उपलब्धता में कमी मौजूदा अवसंरचना और जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए किए गए प्रस्तावित कार्य ग्राम स्तर पर उपलब्ध विभिन्न निधियों में तालमेल करके वित्तपोषण और ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों से निधियों की जरूरत शामिल होगी। जिन जिलों में माइक्रो-वाटरशेड आधार पर वास्तविक सत्यापन के पश्चात भूजल सदृश्य मानचित्र उपलब्ध

कराए गए हैं, वहां इनका इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण जल सुरक्षा प्लान तैयार किया जाना चाहिए।

- वीडब्ल्यूएसपी में प्रणालियों और स्रोतों के प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव का भी ब्यौरा होगा। मौजूदा आधारभूत सुविधा को बढ़ाते समय जल सुरक्षा प्लान, निष्पादन को बेहतर बनाने वाला प्लान और योजना चलाते समय प्रचालन प्लान वीडब्ल्यूएसपी का अंग होगा।
- जिले के सभी वीडब्ल्यूएसपी के आधार पर, जिला जल सुरक्षा प्लान तैयार किया जाएगा।
- जिला जल सुरक्षा प्लान के अंतर्गत, गांव के भीतर सभी कार्य ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति अर्थात् जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी द्वारा किए जाने चाहिए, जबकि बल्क वाटर ट्रांसफर एंड मीटिंग, गांवों में वितरण, वाटरग्रिड का रख-रखाव इत्यादि का संचालन राज्य सरकार और या उसकी एजेंसियों/जनपयोगी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।
- विभिन्न स्रोतों/ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों से प्राप्त निधियों और एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों में सामंजस्य बिठाकर जिला जल सुरक्षा प्लान को क्रियान्वित किया जाएगा।
- एनआरडीडब्ल्यूपी कवरेज और गुणवत्ता के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग ग्रामीण अवसंरचना तथा भारी मात्रा में जल की ढुलाई, शोधन संयंत्र, वितरण नेटवर्क के लिए बनाए गए ग्रामीण जल सुरक्षा कार्य योजनाओं के लिए किया जाएगा।

14. वार्षिक कार्य योजना (एएपी)

वार्षिक कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा प्रदान करना तथा संबंधित राज्य द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में की गई प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करना है।

प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित किए गए व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत एक पंचवर्षीय व्यापक जल कार्य सुरक्षा योजना बनाई जाएगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र और राज्य के बीच परस्पर परामर्श के आधार पर उप लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्येक वर्ष, राज्य/सं.रा. क्षेत्र वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करेंगे, जिसमें अन्य के साथ-साथ वित्तीय वर्ष के दौरान हासिल करने हेतु निर्धारित किए गए स्पष्ट लक्ष्य और वृहत निदेश/थ्रष्ट शामिल होंगे। एएपी फार्मेटों का निर्धारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध निधियों और प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मौजूदा आवंटन के आधार पर निर्धारित की गई केन्द्रीय निधि के आधार पर प्रत्येक राज्य को वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी होगी।
- प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष जनवरी माह तक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को ऑनलाइनआईएमआईएस के जरिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करना होगी।
- विगत वित्तीय वर्ष में फरवरी और मार्च के दौरान प्रत्येक राज्य के साथ परामर्श करने के बाद राज्यों को उस वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल से निधियां रिलीज की जाएंगी।
- विस्तृत एसडब्ल्यूओटी मूल्यांकन कराने के पश्चात भागीदारीपूर्ण ढंग से एएपी तैयार की जाएगी।
- विगत वर्ष में हुई प्रगति और हासिल उपलब्धियां एएपी का आधार बनेंगी तथा इसमें शुरू की जाने वाली योजनाएं, राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत निधियों का आवंटन तथा अग्रणीत की गई निधि, यदि कोई हो, शामिल होंगी।
- एएपी तैयार करते समय, नए कार्यों के बदले अधूरे पड़े कार्यों को पूरा किए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

- इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शुरू किए गए कार्य निर्धारित समय पर पूरे किए जाएं और उनके निष्पादन में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि विलम्ब की वजह से लागत में वृद्धि होती है, सृजित की गई परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं हो पाता है।
- वार्षिक कार्य योजनाओं में निम्नलिखित पहलुओं को दर्शाया जाना चाहिए :

- क) कवर की गई 0 प्रतिशत आबादी, कवर की गई 0-25 प्रतिशत आबादी, कवर की गई 25-50 प्रतिशत आबादी, कवर की गई 50-75 प्रतिशत आबादी और कवर की गई 75-100 प्रतिशत आबादी वाली बसावटों की कवरेज के लिए वर्ष का लक्ष्य, गुणवत्ता प्रभावित बसावटें तथा वेबसाइट में उपयुक्त सर्वे सूची से लिए जनगणना ग्राम कोड के संदर्भ में अ.जा., अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक बहुल बसावटें तथा उनके नाम, ब्लॉक और जिले। आयोजना में कवर की गई 0 प्रतिशत आबादी, कवर की गई 0-25 प्रतिशत आबादी वाली बसावटें, गुणवत्ता प्रभावित बसावटें और अल्पसंख्यक बहुल बसावटें की कवरेज को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लक्ष्य में रखी गई बसावटों के नाम ऑनलाइन चिह्नित किए जाने चाहिए।
- ख) बसावटों के स्थान, कवरेज, अनुमानित लागत, अनुमानित खर्च इत्यादि के साथ लक्ष्य में रखी गई बसावटों, मौजूदा तथा नई पाइप के जरिए या अन्य किसी माध्यम से जल की आपूर्ति वाली बसावटों को कवर करने के लिए शुरू की जाने वाली योजनाएं।
- ग) लाभान्वित होने वाली अ.जा./अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी तथा अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी को अलग-अलग दर्शाया जाए।
- घ) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) संकेतक-वार लक्ष्य
- ङ) वित्तीय प्रगति और योजना
- च) शुरू की जाने वाली स्थायित्व संबंधी संस्थाएं, उनके प्रकार, स्थान और अनुमानित लागत। अतिदोहित, संकटग्रस्त और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में बड़ी संख्या में

स्थायित्वसंबंधी संस्थाओं को स्थान निर्धारित करने में भूजल परिदृश्य मानचित्रों (हाईड्रो-जियोमॉर्फोलॉजिकल मानचित्रों) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

- छ) विद्यालयों और आंगनवाडियों में जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना
- ज) सामुदायिक भागीदारी, आईईसी एवं अन्य सहायक कार्यकलापों की योजना।
- झ) जल गुणवत्ता निगरानी और जांच, प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण इत्यादि की योजना।
- ञ) हैंडपंपों सहित पेयजल स्रोतों के आस-पास स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने, संचालन एवं रख-रखाव और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना।

15. आयोजना

- 15.1 “राष्ट्रीय पॉलिसी फ्रेमवर्क” के आधार पर प्रत्येक राज्य को राज्य विशिष्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। बाद में जल आपूर्ति योजनाएं शुरू करने के लिए राज्य पॉलिसी फ्रेमवर्क के आधार पर 12वीं योजनावधि के लिए राज्य स्तरीय आयोजना की जाएगी।
- 15.2 राज्य को चल रही योजनाओं, नई योजनाओं और ऐसी योजनाओं, जिसे बढ़ाए जाने एवं इन योजनाओं के अंतर्गत कवर की जाने के लिए प्रस्तावित बसावटों से सम्बद्ध करने की जरूरत होगी, को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजना करनी होगी। इसमें बसावटों को लक्षित करने में ऊपर वर्णित प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा।
- 15.3 जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना के समय संसद सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्र की बसावटों में हैंडपंप लगाने/ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना शुरू करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संसद सदस्य से प्राप्त इस प्रकार के प्रस्ताव राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग को भेजे जाने चाहिए ताकि इन्हें राज्य की वार्षिक परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जा सके।

- 15.4 संसद सदस्यों को उनके प्रस्तावों को शामिल किए जाने/न किए जाने की जानकारी दी जानी चाहिए और प्रस्ताव शामिल न किए जाने की स्थिति में उन्हें इसके कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए। यह बात तरजीह दिए जाने योग्य होगी कि जानकारी राज्य नोडल विभाग में वरिष्ठ स्तर से भेजी जाए।
- 15.5 योजना बनाते समय सभी बसावटों को जनगणना गांव से जोड़ा जाएगा और मुख्य गांव एवं अन्य गांवों की आबादी 2011 की जनगणना में दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार होगी। मौजूदा आबादी की गणना करने के लिए 2011 में दर्शाए गए नेशनल पोपुलेशन ग्रोथ फैक्टर को लागू किया जा सकता है।
- 15.6 आयोजना के सभी घटकों, प्रारंभिक, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रख-रखाव स्तरों को समाविष्ट करते हुए डीपीआर का एक मॉडल फॉर्मेट तैयार किया गया है और राज्यों में इसका प्रचार किया गया है। डीपीआर तैयार करते समय, जीवन चक्र लागत दृष्टिकोण का अनुपालन किया जा सकता है। जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा मॉडल डीपीआर फॉर्मेट में तैयार की जाएगी जिसके लिए राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) की सेवाएं ली जा सकती हैं। डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू करते समय ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ग्राम पंचायत की व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करेगा ताकि इसमें सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी/प्रणाली का चयन सही है तथा इसका संचालन एवं रख-रखाव करना आसान है राज्य तकनीकी एजेंसी इन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच एवं समीक्षा करेगी। नई जल आपूर्ति योजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने और मौजूदा योजनाओं को बढ़ाने में भूजल परिदृश्यमानचित्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि प्रोडक्शन वेलों/बोरवेलों के उपयुक्त

स्थानों का चयन किया जा सके और जरूरत पड़ने पर एवं व्यवहार्य पाए जाने पर उपयुक्त स्थायित्व संस्थाओं के लिए स्थानों का पता लगाया जा सके। एसएलएसएससी योजनाओं को अनुमोदित करते समय इस बात को सुनिश्चित करेगी। पुरा परियोजनाओं के लिए डीपीआर ग्राही द्वारा तैयार की जाएगी और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आधार प्राप्त समिति इसे अनुमोदित करेगी। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं रख-रखाव नियमावली भी तैयार की गई है और एजेंसियां ऐसी योजनाओं को चलाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकती हैं।

- 15.7 परियोजनाओं (डीपीआर) की वार्षिक सूची तैयार हो जाने के बाद, इसे अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) में प्रस्तुत किया जाएगा। एसएलएसएससी इस बात का पता लगाने के लिए प्रस्तावों की जांच करेगी कि प्रस्ताव दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूरी तरह विचार विमर्श किया गया है। समग्र रूप से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं/परियोजनाओं की अनुमोदित सूची विद्यमान है जिसमें हैंडपंपों, एसवीएसएस, स्थायित्व संबंधी संरचनाओं, एमवीएसएस और आरडब्ल्यूएसएस की कुल अनुमानित लागत किसी खास वर्ष में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत उपलब्ध निधियों (अथशेष + केन्द्रीय आवंटन + राज्य आवंटन) के कवरेज, गुणवत्ता और स्थायित्व घटकों की लागत की दो से तीन गुणा होगी। यह वांछनीय है कि परियोजनाओं की अनुमोदित सूची की कुल अनुमानित लागत एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत संभावित उपलब्ध राशि (अथशेष + केन्द्रीय आवंटन + राज्य आवंटन) की चारगुणी हो। यह गुणज योजना के प्रकार अर्थात् हैंडपंप, एकल ग्रामीण योजना या बहुग्रामीण योजना तथा समापन में लगे औसत समय पर निर्भर करेगा।

15.8 एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की वार्षिक सूची को निर्धारित प्रोफॉर्मों के अनुसार ऑनलाइन (आईएमआईएस) पर इन्टर किया जाएगा। किसी खास वित्तीय वर्ष के दौरान कवर की जाने वाली बसावटों में इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।

16. निधियों का प्रवाह

16.1 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) राज्य मुख्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की बैंक शाखा का चयन करेगा और इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम खाता और सहायक कार्यक्रम खाता के नाम से दो खाते खोलेगा। ये बचत खाते होंगे और एक बार चयन हो जाने पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की सहमति के बिना इन खातों को किसी अन्य शाखा या बैंक बदलकर खोला नहीं जाएगा।

16.2 बैंक में इस बात का लिखित आश्वासन लिया जाएगा कि वह एमडीडब्ल्यूएस निधि से भुगतान करने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा। संबंधित शाखा में इंटरनेट लगा होगा और वह डाटा को ऑनलाइन समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के संबंध मॉड्यूल में इंट्र करेगा।

16.3 एसडब्ल्यूएसएम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को बैंक शाखा, आईएफएससी कोड और खाता संख्या से संबंधित ब्यौरे की जानकारी देगा। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय कार्यक्रम खाता और सहायक क्रियाकलाप खाता में क्रमशः कार्यक्रम निधि और सहायता निधि रिलीज करेगा। डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियां सहायक खाते में रिलीज की जाएगी।

- 16.4 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एसडब्ल्यूएसएम के सहायक खाते में निधियां जमा करेगा ताकि दिशानिर्देशों के पैरा 10 में उल्लिखित सॉफ्टवेयर क्रियाकलाप निष्पादित किए जा सकें और जल एवं स्वच्छता सहायता संगठनों का कामकाज सही तरीके से चल सके।
- 16.5 राज्य सरकार दिशा निर्देशों के पैरा 9 में दशाई गई वित्तपोषण पद्धति के अनुसार कार्यक्रम खाते में निधियां जमा करेगी ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में हुए खर्च को पूरा किया जा सके और साथ ही उन खर्चों को भी पूरा किया जा सके जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने हेतु पात्र नहीं पाए गए थे अर्थात् लागत में हुई बढ़ोतरी, टेंडर प्रिमियम और कार्यक्रम संबंधी अन्य खर्च, जिन्हें पूरा करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।
- 16.6 कार्यक्रम और सहायक क्रियाकलाप संबंधी खर्च के तौर-तरीके को निम्नप्रकार से विनियमित किया जाएगा :
- i) कार्यक्रम निधि और सहायता निधि के व्यय के लिए अलग-अलग खाते रखने की जरूरत है। कार्यक्रम निधि के लिए खर्च का संबंध कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं/योजनाओं की वास्तविक प्रगति से होना चाहिए। सहायता निधि के अंतर्गत खर्च संबंधित सहायक क्रियाकलापों के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों और हार्डवेयर की मदों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
 - ii) दिशा-निर्देशों के पैरा 9.3 में दशाई गई वित्तपोषण पद्धति के अनुसार राज्य मैचिंग निधि एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम निधि के समय रखने की जरूरत होगी।
 - iii) बैंक एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के संबंध में पीएचईडी/बोर्ड, एसडब्ल्यूएसएम को और मांग किए जाने की स्थिति में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मासिक खाता प्रस्तुत करेगा।

- 16.7 बैंक, एसडब्ल्यूएसएम और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के बीच के त्रिस्तरीय समझौता ज्ञापन संपन्न किया जाएगा जिसमें पक्ष दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत होंगे। विशेष रूप से बैंक खातों के संचालनके संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे।
- 16.8 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय कार्यक्रम की प्रभाविकता को बढ़ाने और निधियों को सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के अनुदेश जारी कर सकता है।
- 16.9 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई लेखा प्रणाली सुव्यवस्थित लोक कार्य लेखा प्रणाली पर आधारित होगी जिसमें उसके खातों और बैलेंस शीट का अपना चार्ट होगा। समेकित (ऑनलाइन) प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएसआईएस) सॉफ्टवेयर इस लेखा प्रणाली में मदद करेगा और इसे इस तरह से तैयार करेगा कि पीएचईडी, एसडब्ल्यूएसएम और संबंधित बैंक शाखा इसमें अपने-अपने संबंधित लेनदेनों की ऑनलाइन डाटा एंट्री कर सकें।
- 16.10 कार्यक्रम खाता और सहायक खाता में ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि को उसी खाते में जमा किया जाएगा और उसे वर्ष के उपयोग प्रमाणपत्र में दर्शाया जाएगा। इन दिशानिर्देशों में मंजूर किए गए कार्य की मदों पर ही ब्याज से प्राप्त राशि खर्च की जाएगी। अन्य मदों पर खर्च एमडीडब्ल्यूएस द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। बैंक प्रत्येक तिमाही में खाते में जमा की गई ब्याज की राशि की जानकारी राज्य स्तरीय एजेंसी को देगा।
- 16.11 राज्य को एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का उपयोग करने वाले सभी कार्यालयों (एसडब्ल्यूएसएम के अधीन) का ब्यौरा इंटर करना होगा जिसमें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित

केंद्रीय प्लान योजना निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) में दिए गए उनके बैंक खाते का ब्यौरा भी शामिल होगा।

17. निधियों की रिलीज

- प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों के अंतर्गत किए गए निधियों के आवंटन की जानकारी राज्यों को दी जाएगी। राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को उस घटक को दर्शाने की जरूरत होगी जिसके अंतर्गत वे कितनी अधिक राशि प्राप्त करना चाहेंगे।
- तथापि, आवंटन कर दिए जाने के बाद, यदि संबंधित राज्य/सं.रा.क्षेत्र ने विगत वर्ष में दूसरी किस्त ली है तो उनसे किसी तरह का प्रस्ताव मांगे बिना उनके पास उपलब्ध अत्यधिक अथशेष राशि को ध्यान में रखते हुए उन्हें पहली किस्त रिलीज की जाएगी जो कि कार्यक्रम निधि के अंतर्गत किए गए आवंटन का 50 प्रतिशत होगी। सहायता निधि, जो कि शतप्रतिशत सहायता अनुदान है, भी कतिपय मानदण्डों के आधार पर दो किस्तों में रिलीज की जाएगी।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.5.2012 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार राज्यों को किए गए वित्तीय अंतरण में नियमों के पालन करने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहली किस्त की रिलीज करते समय विगत वर्ष में रिलीज की गई राशि के 10 प्रतिशत से अधिक के अथशेष को पहली किस्त में मिला दिया जाएगा। पहली किस्त की शेष राशि उपलब्ध निधियों की 60 प्रतिशत राशि खर्च करने के बाद ही रिलीज की जाएगी।
- यदि, किसी कारणवश, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कार्यक्रम निधि के अंतर्गत आवंटन पर निर्णय नहीं लिया जा सका है और/या संसद ने वित्तीय वर्ष के लिए पूरे बजट को पास नहीं

किया है तो उस स्थिति में कार्यक्रम निधि की पहली किस्त के हिस्से के रूप में उपलब्ध निधियों के आधार पर तदर्थ आधार पर अप्रैल में निधियां रिलीज की जाएंगी।

- कार्यक्रम निधि के अंतर्गत आवंटन पर निर्णय न लिए जाने और पर्याप्त राशि उपलब्ध हो जाने पर आवंटन की आधी राशि के रूप में पहली किस्त रिलीज कर दी जाएगी।
- वार्षिक आवंटन की शेष राशि को कवर करने के लिए कार्यक्रम निधि के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर ही दूसरी किस्त रिलीज की जाएगी :-

- क) राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों से निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-IX) में कार्यक्रम निधि के अंतर्गत विशिष्टप्रस्ताव और आईएमआईएस से तैयार की गई प्रगति रिपोर्टों के साथ चेकलिस्ट (अनुबंध XII) और पावतियों की प्राप्ति, ऐसी प्रगति रिपोर्टों को नामंजूर कर दिया जाएगा जो आईएमआईएस से नहीं निकाले गए हैं। इसके अलावा एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अनुबंध-Xकी क्र.स. 1,2,3 में घटकवार ब्यौरा (अनुबंध- IX की क्र.सं. 4,5,6 की पद्धति में), दर्शाए जाने की भी जरूरत है।
- ख) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों को रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय राज्य द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चेकलिस्ट अनुबंध- XII में दी गई है।
- ग) कार्यक्रम निधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों में से 60 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग और उपलब्ध राज्य क्षेत्र निधि (विगत वर्ष की अप्रयुक्त अथशेष राशि, यदि कोई हो, और पहली किस्त के रूप में रिलीज की गई राशि) के तहत संबंधित खर्च।
- घ) राज्य क्षेत्र निधि और एनआरडीडब्ल्यूपी निधि से किए गए वास्तविक खर्च के प्रमाणपत्र की प्राप्ति विगत वित्त वर्ष के लिए एसडब्ल्यूएसएम को रिलीज की गई निधियों के मामले में सी एंड एजी द्वारा सूचीबद्ध किए गए किसी एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणपत्र लेना। विगत वित्तीय वर्ष से पूर्व वर्ष तक की अवधि के लिए राज्य सरकार को रिलीज की गई निधियों के मामले में महालेखाकार से प्रमाणपत्र लेना। तथापि, किसी अप्रत्याशित कारणवश

महालेखाकार/चार्टर्ड एकाउंटेंट से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है और यदि राज्य सरकार/सं.रा. क्षेत्र प्रशासन विलंब के लिए उचित कारण बता देता है और इस बात का लिखित आश्वासन देता है कि महालेखाकार/चार्टर्ड एकाउंटेंट के कार्यालय से प्रमाणपत्र मिलते ही वह इसे प्रस्तुत कर देगा, तो ऐसी स्थिति में रिलीज पर रोक नहीं लगाई जाएगी। यदि, एजी/सीए की रिपोर्ट में कुछ विसंगतियों/कमियों की जानकारी दी जाती है तो इसे बाद की रिलीजों में समायोजित कर लिया जाएगा।

- ड) राज्य क्षेत्र और एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति (अनुबंध-X में दिए गए प्रोफॉर्मा में)/प्रमाणपत्र पर निधि प्राप्त विभाग/बोर्ड/प्राधिकरण/निगम/निकाय के प्रमुख के हस्ताक्षर और संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।
- च) इस बात का प्रमाणपत्र कि समापन की दृष्टि से अधूरे पड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- छ) इस बात का प्रमाणपत्र कि छः माह पूर्व राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है।
- ज) कार्यक्रम निधि के अंतर्गत निधियों की दूसरी किस्त की रिलीज के प्रस्ताव, जो कि ऊपर दर्शाए गए हर नजरिए से पूर्ण हो, वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिल जाने चाहिए। 31 दिसम्बर के बाद मिलने वाले प्रस्तावों पर क्रमिक कटौती की जाएगी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

प्रस्ताव प्राप्त होने का माह	दूसरी किस्त की राशि में कटौती
दिसम्बर तक	शून्य
जनवरी	5 प्रतिशत
फरवरी	10 प्रतिशत
मार्च	15 प्रतिशत

विलंब से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारण की गई कटौती की पुनर्बहाली पेयजल एवंस्वच्छता मंत्रालय द्वारा की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय राज्य द्वारा की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला आधार पर अपने वित्तीयविंग से परामर्श करने के पश्चात ही ऐसा करेगा। इस प्रकार की पुनर्बहाली करने का मुख्य कारण यह होगा कि मानो विलंब उस वजह से हुआ हो जिसपर कार्यान्वयन एजेंसी का नियंत्रण नहीं है।

- झ) सहायता निधि के अंतर्गत दो किस्तों में निधियां रिलीज की जाएंगी और दूसरी किस्त की रिलीज कार्यकलाप-वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किए जाने पर की जाएगी। दिशानिर्देशों के तहत केवल सहायक कार्यकलापों के अंतर्गत दर्शाए गए कार्यकलापों को शुरू करने की मंजूरी दी जाएगी।
- ज) संचालन एवं रख-रखाव पर किया गया खर्च एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत विगत वर्षमेंकिस्त रिलीज की गई कुल निधि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि विगत वर्ष में अधिक खर्च हुआ है तो निधियों को दूसरी किस्तरिलीज करते समय इस खर्च को इसमें से घटा दिया जाएगा।
- ट) राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग की गई है।
- ठ) विगत वर्ष के दौरान संपन्न राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों का ब्यौरा जिनमें एनआरडीडब्ल्यूपी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
- ड) इस बात का प्रमाणपत्र कि एनआरडीडब्ल्यूपी निधि पर कोई प्रतिशत (सेंटेज) प्रभार नहीं लिया गया है।

- ढ) राज्य सरकारों द्वारा वर्ष के शेष माह के दौरान वास्तविक जरूरतों और पहले से रिलीज की गई निधियों के निर्धारित प्रतिशत के उपयोग को दर्शाते हुए भेजे गए विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर निधियां रिलीज की जाएंगी।
- ण) केन्द्रीय अंश रिलीज करते समय, वित्तीय वर्ष के लिए किए गए कुल आवंटन की तुलना में राज्यों/सं.रा क्षेत्रों के पास बची अनुप्रयुक्त राशि की मात्रा को ध्यान में रखा जाएगा।
- त) रिलीज की गई कुल राशि की 10 प्रतिशत तक की निधि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत करने की अनुमति दी जाएगी।
- थ) दूसरी किस्त रिलीज करते समय, यदि कोई राशि जिसके लिए स्वीकृति आदेश मार्च माह में जारी किए गए हैं, और/या यह राशि उस वित्तीय वर्ष में राज्य को अंतरित नहीं की जा सकी तो इसे अग्रणीत राशि के रूप में नहीं माना जाएगा और न ही राज्य के पास उपलब्ध अत्यधिक अथशेष राशि में इसकी गणना की जाएगी।
- द) दूसरी किस्त की रिलीज के समय, पैरा (त) में विनिर्दिष्ट सीमा से अतिरिक्त बची राशि की कटौती कर दी जाएगी। तथापि, यदि राज्य/सं.रा. क्षेत्र ने चालू वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध निधि (अथशेष+ पहली किस्त) की 75 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च की है तो दूसरी किस्त रिलीज करते समय अग्रणीत की गई अतिरिक्त राशि की कटौती नहीं की जाएगी।
- ध) राज्य/सं.रा. क्षेत्र सदृश राज्य अंश के साथ-साथ उन्हें मिले केन्द्रीय आवंटन की पूरी राशि बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज कर देंगे। आवंटन प्राप्त होने के अधिक से अधिक 15 दिनों के भीतर यह राशि रिलीज कर दी जाएगी।

- न) ऐसे राज्यों, जहां कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बोर्ड, निगम और प्राधिकरण इत्यादि जैसे सांविधिक निकायों के माध्यम से किया जाता है, वहां सीधे ऐसे निकायों को केन्द्रीय आवंटन रिलीज किया जाएगा। ऐसे मामलों में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत और सदृश राज्य अंश से किए गए खर्च की संबंधित राज्य के महालेखाकार या सनदी लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा कराई जाएगी।
- प) राज्य अंश रिलीज करते समय, राज्य सरकार या कार्यान्वयन एजेंसी को एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां अंतरित करते समय, राज्य सरकार निधियों की रिलीज की स्वीकृति आदेशों की प्रतियां पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को अग्रेषित करेगी।
- फ) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत रिलीज की गई राशि योजनाओं में हुई किसी भी प्रकार की लागत वृद्धि या विगत वर्षों में योजनाओं की अनुमोदित लागत के लिए किए गए अतिरिक्त खर्च में न तो उपयोग में लाई जा सकती है और न ही समायोजित की जा सकती है।
- ब) पुरा परियोजनाओं के लिए डीडब्ल्यूएसएम द्वारा डीआरडीए को रियायत करार और राज्य सहायता करार के विषयों के अनुरूप योजना निधियां रिलीज की जाएंगी। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राही को निधियां रिलीज करने के लिए डीआरडीए को प्राधिकृत किया जाएगा।

18. लेखापरीक्षा

- 18.1 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः माह के भीतर खातों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा अनुमोदित पैनल से चुने गए सनदी-लेखाकार से काराई गई है। खाते की सटीकता के लिए खाते के साथ पीएचईडी के खातों के साथ मिलान का स्टेटमेंट और सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र लगा होगा।

एनआरडीडब्ल्यूपी के संबंध में राज्यों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रपत्र अनुबंध-XIII में दिया गया है।

18.2 सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा कराए जाने के अलावा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा कराई जा सकती है। वित्तीय लेखा परीक्षा के अलावा, किए गए कार्यों की सी एंड एजी द्वारा कराई गई लेखा परीक्षा में गुणवत्ता के पहलू शामिल हो सकते हैं।

18.3 जिला स्तरीय एजेंसी और पीएचईडी दोनों जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति को सभी संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे।

18.4 वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को एसडब्ल्यूएसएम के पास उपलब्ध शेष राशि के संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ बैंक प्राधिकरण का स्टेटमेंट संलग्न करने की जरूरत होती है।

19. निगरानी

19.1.1 ऑनलाइन निगरानी

- वर्ष 1996 से पहले "जनगणना गांव" को न्यूनतम इकाई मानते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती थी। चूंकि सेंसस कोड में जनगणना गांव की आबादी होती है, इसलिए ग्रामीण आबादी की कवरेज को "कवर की गई आबादी" शब्द के रूप में इंगित किया गया था।
- यह पाया गया था कि दूरस्थ बसी बसावटों की बड़ी संख्या पर्याप्त पेयजल की सुविधा से विहीन थी, जबकि मुख्य गांव को पूर्णतः कवर दर्शाया गया था।
- परिणामस्वरूप 1994-96 के दौरान नए सिरे से सर्वेक्षण कराया गया तथा आयोजना, लक्ष्य निर्धारण और कवरेज की सबसे छोटी इकाई "कवर की गई आबादी" से बदलकर "कवर की गई बसावटें" कर दी गई, जिससे वास्तविक कवरेज नहीं दर्शाया जा सकता है।

- इस कमी को दूर करने के लिए, इस बात का पता लगाना होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना गांव की आबादी मुख्य गांव और उससे जुड़ी बसावटों की कुल आबादी के समान होनी चाहिए।
- इस प्रकार मौजूदा बसावट के नामों को जनगणना गांवों से जोड़ना होगा। यह कार्य ऑनलाइन किया जाएगा और सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से यह कार्य करना होगा।
- अन्य विभागों अर्थात स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, पंचायती राज, जनगणना इत्यादि के आंकड़ों को समेकित करने के लिए जनगणना गांव के रूप में एक समान इकाई रखना महत्वपूर्ण है।
- जीआईएस मानचित्र तैयार करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध डिजिटल मानचित्र राजस्व गांव के आधार पर बने होने चाहिए।
- सभी प्रकार की रिपोर्टें अर्थात वार्षिक कार्य योजना और वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों को ऑनलाइन करना होगा।
- राज्यों को ऑनलाइन प्रविष्ट की गई बसावटों की सूची को वर्ष में एक बार पुनः जांच करने तथा कवर की गई आबादी के संबंध में कवरेज की स्थिति को दर्शाने की जरूरत होती है। यदि यह स्थिति शतप्रतिशत कवर की गई बसावटों से बदलकर कम बसावटों की कवरेज में बदल जाती है तो राज्यों को चाहिए कि वे इसका कारण बताएं जैसा कि एमआईएस में सूचीबद्ध किया गया है।
- प्रत्येक डिलीवरी प्वाइंट पर जल गुणवत्ता और मात्रा का समुदाय द्वारा डब्ल्यूक्यूएम एंड एस दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक रूप से परीक्षण किया जाएगा।
- परीक्षण परिणामों को केन्द्रीय आईएमआईएस डाटाबेस में डालना होगा।
- उपयुक्त एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ डाटा की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।

- 1/4/2010 से निधियों की रिलीज राज्यों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

19.2 राज्य-स्तर

- कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी अतिमहत्वपूर्ण होने के कारण, राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि अधिकारी एसडब्ल्यूएसएम और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को अपेक्षित रिपोर्ट/जानकारियां भेजने में तत्पर हैं।
- समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली कार्यक्रम की निगरानी के लिए मुख्य मंत्र होगी। इसके लिए अधिकारियों को सभी डाटा और जानकारियां, जैसा कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन आईएमआईएस के सम्बद्ध मॉड्यूल में समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।
- कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के अबाधित रख-रखाव की जिम्मेवारी उन्हीं की होगी। आईएमआईएस के लिए सॉफ्टवेयर की आपूर्ति पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा की जाएगी। बदलाव के लिए किसी भी प्रकार की जरूरत या सुझाव से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को अवगत कराया जाएगा।
- राज्य सरकार सब-डिविजन, जिला और राज्य स्तर पर कम्प्यूटर हार्डवेयर लगाने के लिए आवश्यक स्टाफ, स्थान और सुविधाएं प्रदान करेंगी। चूंकि डाटा राज्य सर्वर में रहता है इसलिए राज्य स्तरीय एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य सर्वर चौबीसों घंटे तक चालू रहे और डाटा को सर्वर में नियमित रूप से सिंक्रोनाइज किया जाए।
- जिला जल सुरक्षा योजना और आरडब्ल्यूएस योजनाओं सहित सभी मास्टर डाटा को डाटाबेस में डालने और कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण परिणामों के रिकॉर्ड से संबंधित डाटा को

प्रत्येक माह अपडेट करने और इन्हें सही रखने की जिम्मेवारी पीएचईडी के कार्यकारी अभियंता की होगी। आईएमआईएस में डाटा अपडेट न कर पाने की स्थिति में, संबंधित राज्यों को आगे की रिलीज प्रभावित हो सकती है।

- प्रत्येक राज्य सरकार राज्य आईटी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी का चयन करेगी जिसके पास सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अच्छी खासी जानकारी हो। उसका कार्य जिलों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़ों की नियमित और सटीकता पर नजर रखना होगा। आईटी नोडल अधिकारी, जो एसडब्ल्यूएसएम का हिस्सा बनेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रख-रखाव की निगरानी करने और साथ ही एनआरडीडब्ल्यूपी से संबंधित कर्मियों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के प्रति भी जिम्मेवार होगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति भी प्रगति पर नजर रखेगी और एनआरडीडब्ल्यूपी के संबंध में सतर्कता बरतेगी।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 28/8/2009 के आदेश सं. क्यू.-13018/6/2009. एआईवी एंड एमसी (ग्रा.वि.) के अनुसरण में राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की जा सकती है और तत्पश्चात इसे अपडेट किया जा सकता है और इसकी नियमित रूप से बैठक बुलाई जानी चाहिए।
- राज्य सरकार को चाहिए कि वे एसटीए के जरिए सभी क्रियाकलापों अर्थात् स्थायित्व, परियोजनाओं पर विशेष बल देते हुए आरडब्ल्यूएस परियोजनाओं, सॉफ्टवेयर कार्यकलापों की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन करें तथा एसडब्ल्यूएसएम/एसएलएसएससी/पीएचईडी को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि जरूरत पड़ने पर कार्यान्वयन के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। ऐसा एक वर्ष में कम से कम एक बार तथा अधिमानतः एक वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए।

19.3 सामुदायिक निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा

समुदाय और समुदाय आधारित संगठनों (जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी/प्रयोक्ता समूह) को मांग/जरूरत और कवरेज की निगरानी करनी चाहिए। समुदाय आधारित निगरानी में विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्य पूरे होने चाहिए :

- इसमें समुदाय को जरूरतों के बारे में नियमित और व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि संबंधित आयोजना में मदद मिल सके।
- इसमें निगरानी के लिए स्थानीय रूप से तैयार किए गए यार्डस्टिक और उपभोक्ता को निरंतर आधार पर उपलब्ध कराई जा रही पेयजल सुविधाओं के प्रति उनके संतोष को मापने वाले संकेतक के अनुसार फीडबैक उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी सदस्यों द्वारा प्रभावी सामुदायिक निगरानी कराए जाने से समुदाय के सदस्यों का दर्जा बदलेगा और वे ग्रामीण जल आपूर्ति सेवाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में निष्क्रिय भागीदार के स्थान पर सक्रिय भागीदार बन जाएंगे।
- सामाजिक लेखा परीक्षा किसी संगठन की सामाजिक जिम्मेवारी और उसके नीतिपरक कार्यनिष्पादन को मापने, समझने, उसकी रिपोर्टिंग करने तथा अंततः उसमें सुधार करने का एक माध्यम है। सामाजिक लेखा परीक्षा लाइन विभागों की नजर में उपलब्ध कराई गई सेवाओं की परिभाषा और उपलब्ध कराई गई सेवाओं के प्रति लाभार्थियों के संतोष के स्तर के बीच के अंतर को कम करने में मदद करती है। सामाजिक लेखा परीक्षा विशेष रूप से स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने में स्थानीय निकाय के

कार्यनिष्पादन को भी बढ़ाती है और इसमें सीमांत/निर्धन समूहों जिनकी बात शायद ही सुनी जाती है, की नकार दी गई जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

- प्रत्येक छः महीने में किसी एक निर्धारित तारीख को सामुदायिक संगठन द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा कराई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएचईडी/संबंधित विभाग और पीआरआई द्वारा किए गए कार्य विनिर्देशन के अनुरूप हैं और उपयोग की गई राशि शुरू किए गए कार्यों के लिए उपयुक्त हैं।
- प्रारंभ में राज्य सरकार पेयजल सेवाओं के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपना सकती है :

- स्रोतों से दूरी
- पानी ढोकर लाने में लगा समय
- उपलब्धता और उपयोग
- गुणवत्ता और मात्रा
- दैनिक आपूर्ति के घंटे की संख्या
- प्रति सप्ताह आपूर्ति के दिनों की संख्या
- ग्रीष्म के महीने में आपूर्ति की विश्वसनीयता
- सुविधा प्रदाताओं की तत्परता
- प्रयोक्ता का संतोष

सभी अतिरिक्त संबंधित स्थानीय मानदण्डों सहित इन मानदण्डों के आधार पर, राज्य सरकार, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर समुदायों के फीडबैक के आधार पर सेवा मानकों की बेंच मार्किंग शुरू कर सकती है। सभी राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति स्थिति का निष्पादन संकेतक तैयार करने और

साथ ही राज्यों, जिलों और पंचायतों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

20. विनियमन एवं मूल्य निर्धारण

अनेक राज्य अब गैर-सरकारी संगठनों, प्राइवेट फाउंडेशनों और निजी क्षेत्र को जल गुणवत्ता शोधन संयंत्र लगाने और वहन योग्य दरों पर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन प्रणालियों में जल का मूल्य निर्धारण और अपशिष्ट जल का प्रबंधन एक ऐसा मुद्दा है जिसका अभी समाधान किया जाना है।

- राष्ट्रीय पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी विभिन्न स्तरों पर बल्क वाटर यूटिलिटीज की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया है और स्थानीय स्तर पर जल के वितरण की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत को दी गई है। राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें बाहरी एजेंसियों से सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में क्रमशः बल्क वाटर सप्लाई और लोकल वाटर सप्लाई का कार्य कर भी सकते हैं या नहीं भी। इसके अलावा कुछ राज्यों में योजना को चलाने में बिजली की लागत पर सब्सिडी दी जाती है जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, जिसका प्रभाव मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। मूल्य निर्धारण तथा बल्क वाटर यूटिलिटी से लोकल वाटर यूटिलिटी तक निरंतर स्वच्छ जल का आपूर्ति और पंचायत में इसका वितरण ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जानी होगी। इसलिए एमडब्ल्यूएसएम मूल्य निर्धारण, बल्क वाटर यूटिलिटी और पीआरआई के बीच आबंध की शर्तों, कैचमेंटों में किए जा सकने वाले कार्यकलापों पर नियंत्रण के जरिए स्थानीय जल आपूर्ति के कैचमेंटों को सुरक्षित करने के मुद्दों को देख सकता है।
- ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में लागत की कम वसूली मुख्य रूप से नगण्य टैरिफ स्तरों की वजह से है जो कि बिजली, कलपुर्जा, श्रमशक्ति और रसायन (जल आपूर्ति प्रणाली की किस्म

के आधार पर) की वास्तविक लागत को नहीं दर्शाता है और इन टैरिफों का नियमित रूप से मूल्यांकन एवं एकत्रीकरण भी नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव के लिए उपलब्ध निधियों के संबंध में पहले से ही संकटपूर्ण स्थिति और अधिक बदतर हो जाती है।

एसडब्ल्यूएसएम को विभेदक कनेक्शन प्रभार और मकान में कनेक्शन तथा हैंडपम्पों/स्ट्रीट स्टैंड पोस्ट के जरिए आपूर्ति के लिए टैरिफ संरचना तथा अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.वर्ग एवं बीपीएल परिवारों के लिए अपेक्षाकृत कम टैरिफ/वहन योग्य टैरिफ को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण जल आपूर्ति की टैरिफ संरचना पर निर्णय लेना चाहिए। वसूली तंत्र बनाया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत/जीपीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी को संचालन एवं रख-रखाव के लिए प्रयोक्ता प्रभार एकत्र करने के लिए अधिकार संपन्न/प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

चित्र

किसी भी वर्ष में योजनाओं की आयोजना करते समय ऐसी बसावटों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां किसी भी बसावट (0 प्रतिशत) में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता नहीं है या आधी से कम आबादी को यह सुविधा मिल रही है।

विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुबंध

अनुबंध-1

क. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के मानदण्ड

एआरडब्ल्यूएसपी दिशानिर्देशों के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को बुनियादी न्यूनतम जरूरत के आधार पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम के प्रारंभ (1972) से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मानदण्ड अपना गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना से पाइप द्वारा जल की आपूर्ति करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मंत्रालय की कार्य नीतिगत योजना में ग्रामीण घरेलू जल आपूर्ति का विजन था सभी ग्रामीण परिवारों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पाइपों के जरिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मानदण्ड पिछले 4 दशकों से जारी है और काफी बड़ी आबादी को सेवा का उच्चतम स्तर उपलब्ध कराया जाना है, इसलिए मनुष्यों के लिए अंतरिम उपाय के रूप में मानदंड 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) है जिससे निम्नलिखित जरूरतें पूरी की जा सकें।

प्रयोजन	मात्रा (एलपीसीडी)
पीने के लिए	3
खाना पकाने के लिए	5
स्नान के लिए	15
बर्तन धोने और घर साफ करने के लिए	10
प्रक्षालन/शौचालय	10
कपड़ा धोने और अन्य उपयोग के लिए	12
कुल	55

- संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त मानदण्डों का मूल्यांकन कर सकती हैं और जल की उपलब्धता, मांग, निहित पूंजीगत लागत, वहनीयता इत्यादि के आधार पर खुद का उच्चतम मानदण्ड तय कर सकती हैं।
- तुलनीयता की दृष्टि से कवरेज का तात्पर्य परिवार से 100 मीटर की दूरी पर या प्रतिदिन पानी ढोने के लिए 30 मिनट में पेयजल की सुविधा उपलब्ध होने से है।

ख. कवरेज के लिए मानदण्ड

किसी वर्ष में योजनाओं की आयोजना के समय, ऐसी बसावटों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां किसी भी आबादी (0 प्रतिशत) के पास पेयजल की सुविधा नहीं है या आधी से कम आबादी को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल रही है। कवर की गई आबादी के रूप में बसावटों को 0 प्रतिशत, 0-25 प्रतिशत, 25-50 प्रतिशत, 50-75 प्रतिशत, 75-100 प्रतिशत और शतप्रतिशत के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है।

- निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर आबादी की कवरेज की गणना की जाएगी :
 - किसी बसावट में पब्लिक या सामुदायिक स्रोत में 100 मीटर की दूरी पर जल की न्यूनतम बुनियादी मात्रा प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत।

ग. सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) के लिए संयुक्त निगरानी कार्यक्रम की परिभाषा

जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए डब्ल्यूएचओ/यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) संयुक्त राष्ट्र का सरकारी तंत्र है जिसे पेयजल और स्वच्छता (एमडीजी 7- लक्ष्य 7 ग) के संबंध में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य की प्रगति पर नजर रखने का कार्य सौंपा गया है। यह लक्ष्य है, "स्वच्छ

पेयजल और बुनियादी स्वच्छता की स्थायी सुविधाविहीन बसावटों (जैसा कि 1990 में स्थिति थी) में से आधी बसावटों में वर्ष 2015 तक ये सुविधाएं उपलब्ध कराना”

इस अधिदेश को पूरा करने के लिए, जेएमपी में प्रत्येक दो वर्ष पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर उन्नत पेयजल स्रोतों और स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग के संबंध में अपडेटेड आकलनों का प्रकाशन किया जाता है।

जेएमपी में दी गई उन्नत और अपरिष्कृत पेयजल स्रोतों की परिभाषाएं प्रासंगिक हैं क्योंकि देश में एमडीजी हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी संयुक्त राष्ट्र को इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर दी जाती है।

एक “उन्नत पेयजल स्रोत” ऐसा स्रोत है जो अपने निर्माण के स्वरूप के कारण या सक्रिय पहले के जरिए बाहरी संदूषण खासकर मलमूत्र के संदूषण से सुरक्षित रहता है। जेएमपी में दी गई परिभाषाओं के अनुसार पेयजल स्रोतों को “उन्नत” या “अपरिष्कृत” पेयजल स्रोत के रूप में माना जा सकता है।

“उन्नत” पेयजल स्रोत

- “मकान में पाइप के जरिए पानी” जिसे हाउसहोल्ड कनेक्शन भी कहा जाता है, को मकान के भीतर एक या अधिक नलकों में प्लम्बिंग से जुड़ी वाटर सर्विस पाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है (अर्थात रसोई घर और बाथरूम में)।
- “यार्ड/प्लॉट में पाइप के जरिए पानी” जिसे यार्ड कनेक्शन भी कहा जाता है, को मकान के बाहर यार्ड या भूखंड में लगाए गए नल में पाइप वाले वाटर कनेक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- “पब्लिक नल या स्टैंड पाइप” एक सार्वजनिक प्वाइंट है जहां से लोग जल इकट्ठा कर सकते हैं। स्टैंड पाइप को पब्लिक फाउंटेन या पब्लिक नल के रूप में भी जाना जाता है। पब्लिक स्टैंडपाइप में एक या उससे अधिक नल लगे हो सकते हैं और यह मुख्यतः ईंट, चिनाई या कंक्रीट का बना होता है। यह एक पब्लिक वाटर प्वाइंट है जहां से लोग जल इकट्ठा कर सकते हैं।
- “ट्यूबवेल या बोरहोल” एक गहराई तक खोदा गया या ड्रिल किया गया छिद्र है जो कि भूजल के स्तर पर पहुंचने के लिए बनाया जाता है। बोरहोल/ट्यूबवेल का निर्माण कैसिंग या पाइपों से किया जाता है जो छोटे छिद्रों को धंसने से रोकता है और जो बहने वाले जल स्रोत में घुसने से बचाता है। ट्यूबवेल से पंप के जरिए जल निकाला जाता है, जिसे मानव, पशु, हवा, बिजली, डीजल या सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है। बोरहोल/ट्यूबवेल आमतौर पर कुएं के चारों तरफ बने चबूतरे से ढका होता है जिससे बिखरा हुआ जल बोरहोल से दूर चला जाता है और इस प्रकार कुएं के मुहाने से बहते हुए जल का प्रवेश रुक जाता है।
- “सुरक्षित डग वेल” एक ऐसा डग वेल है जो कि भूस्तर से ऊपर बनी वेल लाइनिंग या कैसिंग तथा चबूतरे की वजह से, जो कि बिखरे हुए जल को कुएं से दूर ले जाता है, बहते हुए जल से सुरक्षित रहता है। सुरक्षित डगवेल ढका हुआ भी होता है ताकि पक्षी के मलमूत्र और जानवर कुएं में न गिर सकें।
- “सुरक्षित सोता” विशिष्टतः “स्प्रिंग बॉक्स” की वजह से बहते हुए जल, पक्षियों की गंदगी और पशुओं से सुरक्षित रहता है। यह स्प्रिंग बॉक्स चिनाई या कंक्रीट का होता है और झरने के चारों ओर इस प्रकार बना होता है कि जल बाह्य प्रदूषण से प्रदूषित हुए बिना बक्से से सीधे पाइप या सिस्टर्न में चला जाए।
- “वर्षा जल” का संबंध वर्षा से है जिसे सतहों (छत या ग्राउंड कैचमेंट) से एकत्र या संचित किया जाता है और उपयोग किए जाने तक बर्तन, टैंक या सिस्टर्न में जमा रहता है।

“अपरिष्कृत” पेयजल स्रोत

- “असुरक्षित सोता”। यह एक ऐसा सोता है जिसमें बहता हुआ जल, पक्षियों की गंदगी गिर सकती है या जानवर इसमें प्रवेश कर सकते हैं। असुरक्षित सोता में विशिष्टतः “स्प्रिंग बॉक्स” नहीं होता है।
- “असुरक्षित डग वेल”। यह ऐसा कुंआ होता है जिसके लिए निम्न में से कोई एक बात सही है :
 1. कुंआ बहते हुए जल से सुरक्षित नहीं है, या
 2. कुंआ पक्षियों की गंदगी या पशुओं से सुरक्षित नहीं है। यदि इनमें से कोई भी एक स्थिति सही है तो वह कुंआ असुरक्षित है।
- “छोटे टैंक/ड्रम वाली गाड़ी”। इसका संबंध जल प्रदाता द्वारा समुदाय में जल ढोकर लाने और इसकी बिक्री करने से है। जल की ढुलाई में गधा गाड़ी, मोटर वाहन और अन्य का उपयोग किया जाता है।
- “टैंकर-ट्रक”। जल को ट्रक में समुदाय तक ले जाया जाता है और जल के ट्रक से ही इसकी बिक्री की जाती है।
- “सतही जल” जमीन की सतह पर स्थित जल है जिसमें नदियां, बांध, झील, तालाब, झरना, नहर और सिंचाई चैनल शामिल हैं।
- “बोतलबंद जल” को उन्नत तभी माना जाता है जब परिवार खाना पकाने और खुद की साफ-सफाई के लिए परिष्कृत स्रोत से पीने का पानी लेते हैं : जहां यह जानकारी उपलब्ध नहीं है वहां बोतलबंद जल को मामला-दर-मामला आधार पर श्रेणीकृत किया जाता है।

घ. स्वच्छता के मानदण्ड-सुरक्षित पेयजल

जल को सुरक्षित तभी माना जाता है जब यह जैविक संदूषण (गिनी कृमि, कॉलेश, टायफाइड इत्यादि) से मुक्त हो और इसका संदूषण बीआईएस के मानक आईएस-10500, जिसे 2012 में संशोधित किया गया है, के अनुसार निर्धारित रासायनिक संदूषण (अत्यधिक फ्लोराइड, खारापन, लौह, आर्सेनिक, नाइट्रेट इत्यादि) को अनुमेय सीमा के भीतर हो।

क्र.सं.	मानदंड	इकाई	बीआईएस के मानक (आईएस-10500) 2012		डब्ल्यूएचओ द्वारा वांछित सीमा
			वांछित सीमा	अधिकतम अनुमेय सीमा	
1	पीएच	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-9.2
2	आर्सेनिक	मि.ग्रा./ली.	0.01	0.05	0.01
3	फ्लोराइड	मि.ग्रा./ली.	1.0	1.5	1.5
4	ई-कोली	संख्या	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
5	टीडीएस	मि.ग्रा./ली.	500	2000	1200
6	नाइट्रेट	मि.ग्रा./ली.	45	45	50
7	लौह	मि.ग्रा./ली.	0.30	0.30	0.30
8	कैल्शियम (सीए)	मि.ग्रा./ली.	75	200	कोई निर्देशन नहीं
9	मैग्नीशियम (एमजी)	मि.ग्रा./ली.	30	100	कोई निर्देशन नहीं
10	सल्फेट	मि.ग्रा./ली.	200	400	500
11	क्षारीयता	मि.ग्रा./ली.	200	600	कोई निर्देशन नहीं
12	गंदलापन	एनटीयू	1	5	10

चित्र

अनुबंध-II

स्थायित्व के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

ब्रूटलैंड ने 1987 में "स्थायी विकास" की परिभाषा एक ऐसे विकास के रूप में की थी, जो अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बगैर वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है।

स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भूजल का अन्य प्रतिस्पर्धी प्रयोक्ताओं अर्थात् सिंचाई, उद्योग इत्यादि द्वारा आसानी से अति दोहन किया जा सकता है। जब ऐसा होता है तो भूजल खारा जल, फ्लोराइड और अन्य जियोजेनिक संदूषकों से संदूषित हो सकता है जिससे यह उपयोग के लायक नहीं रह जाता। नदियों और झीलों में मौजूद जल भी कभी-कभी प्रदूषित हो जाता है जिसकी वजह से यह पौधों, पशुओं और लोगों के लिए हानिकर हो जाता है। स्थायित्वता और स्वच्छता संबंधी कार्य स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के अग्रदूत हैं।

भारत में खासकर जल संचयन की सशक्त परंपरा रही है- समुदायों ने स्थानीय रूप से वर्षाजल को एकत्र करके, स्थानीय झरनों और स्रोतों की दिशा मोड़ते हुए उनके जल को संग्रहित करके तथा उप-सतही जल पर टैपिंग करके अपनी जल संबंधी न्यूनतम जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर लिया है। तथापि, ये पारंपरिक प्रौद्योगिकियां और पद्धतियां पिछले कुछ वर्षों से उपेक्षा और अज्ञानता का शिकार बन चुकी हैं और इन्हें फिर से शुरू करने और इनका कार्याकल्प करने की जरूरत है। दूसरी ओर अत्याधुनिक, स्टेट-आफ-द-आर्ट प्रौद्योगिकियां और कार्य मौजूद हैं जो जलाभाव के समय काफी अंतर पैदा कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से आज के जल प्रबंधकों को अनेक विकल्प मिल जाते हैं

जिसकी मदद से वे दोनों तरफ के उत्कृष्ट कार्यों को लेकर तथा बेहतर परिणामों के लिए उन्हें व्यावहारिक रूप से अपनाते हुए कारगर ढंग से अपनी जल सुरक्षा योजनाएं बना सकेंगे।

पारंपरिक संरचनाएं अर्थात् राजस्थान के कुंड और खादिन, प. भारत की बावड़ी, दक्षिण भारत की ऊरानी, चेहवूस और मंदिर में बने तालाब तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य कर रही बम्बू स्प्लिट पाइप हार्वेस्टिंग पद्धति अभी भी स्थानीय लोगों की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती हैं। समुदाय सैटेलाइट इमेंजिंग जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं वैज्ञानिक साधनों के साथ इस जानकारी का तालमेल बिठा सकते हैं। वर्षाजल संचयन, मौजूदा सतही जल निकायों को भरने एवं इन्हें फिर से शुरू करने तथा नए जल निकायों का निर्माण करने तथा भूजल के पुनर्भरण पर बल देते हुए इस खंड में प्रैक्टिशनरों से पारंपरिक पद्धति से हटकर सोचने और नवीन समाधानों की तलाश करने का आग्रह किया गया है।

2. दृष्टिकोण

शतप्रतिशत केंद्रीय अंश आधार पर स्थायित्व के लिए दिए गए 10 प्रतिशत आवंटन का उपयोग सिर्फ पेयजल सुरक्षा हासिल करने के लिए किया जाएगा। यह सुरक्षा जनजातीय क्षेत्रों, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, अतिदोहित, संकटपूर्ण और अर्द्ध-संकटपूर्ण क्षेत्रों जैसा भी सीजीडब्ल्यूबी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा राज्य सरकार द्वारा दुर्गम एवं जलाभाव वाले क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए अन्य क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए स्रोतों और प्रणालियों के लिए विशिष्ट स्थायित्व घटकों को उपलब्ध कराकर हासिल की जाएगी।

स्थायित्व परियोजनाएं शुरू करने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मौजूदा और प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल स्रोत सीधे रिचार्ज हो तथा उसके लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत स्थायित्व संबंधी परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और कार्यान्वयन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत

सरकार द्वारा जारी की गई "स्थायित्व नियमावली", "स्थायित्व के लिए प्रौद्योगिकी जुटाना", "पेयजल प्रणाली में स्थायित्व लाना", तथा "स्थायित्व संबंधी परियोजनाओं में तालमेल" (आइकॉन पब्लिकेशन 2007-08 के तहत बसावट <http://mdws.gov.in>) नामक विस्तृत नियमावलियों को देखा जा सकता है।

3. स्थायित्व के तत्व

- स्रोत का स्थायित्व-वर्षभर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रणाली का स्थायित्व-जल की उत्पादन लागत का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, संचालन एवं रख-रखाव के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल बनाना, पीआरआई का क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन।
- वित्तीय स्थायित्व-एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वित्तपोषण की निधि तथा संचालन एवं रख-रखाव निधि का उपयुक्त उपयोग तथा स्थानीय स्वशासन द्वारा बनाई गई लोचनीय पद्धतियों के जरिए कम से कम 50 प्रतिशत लागत की वसूली और ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना।
- सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थायित्व-उचित रिजेक्ट मैनेजमेंट और सभी प्रमुख स्टेकहोल्डरों की भागीदारी।

पेयजल स्रोतों और योजनाओं का स्थायित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो जलाभाव की स्थिति में भी भूजल, सतही जल और छत पर वर्षाजल एकत्रीकरण के मिले जुले इस्तेमाल के जरिए इक्विटी, महिला भेदभाव, उपेक्षा, सुविधा और उपभोक्ता की पसंद संबंधी मसलों का पूर्णरूपेण समाधान करते हुए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल योजनाओं को स्थायित्व प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी योजनाएं अपनी डिजाइन अवधि के दौरान समुदाय को भरपूर मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में पिछड़ न जाएं।

जल संसाधनों के समय प्रबंधन के लिए बनाई गई कोई भी पुनर्भरण संरचना जो पेयजल स्रोतों का प्रत्यक्ष रूप से पुनर्भरण नहीं करती, इस कार्यक्रम के स्थायित्व घटक के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं है।

स्थायित्व के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं :-

- प्रत्येक मौसम या माह में पेयजल की मांग और उपलब्धता के अनुसार भूजल, सतही जल और छत पर संग्रहित जल का न्यायोचित ढंग से मिश्रित उपयोग।
- मानसून के दौरान भूजल एक्विफरों का पुनर्भरण और इसे बंद कर देना। इससे कुछ समय बाद संदूषण काफी कम हो जाएगा। अनेक पुनर्भरण संरचनाओं में भूजल के पुनर्भरण और सतही जल की उपलब्धता दोनों की व्यवस्था होती है।
- क्षेत्रीय स्थितियों के अनुसार सतही जल का भंडारण।
- खासकर दूरदराज में अवस्थित बसावटों के लिए बड़े पैमाने पर छत पर वर्षाजल संग्रहित करना।
- पारंपरिक जल प्रणालियों और ग्रामीण तालाबों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने वाली बेहतर कार्यात्मक प्रणालियों के रूप में फिर से शुरू करना।
- पंपिंग/स्वस्थाने शोधन अर्थात् सोलर डिसइंफेक्शन, सोलर डिसेलिनेशन इत्यादि के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल।

4. स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन किए जाने वाले मानदण्ड

- स्थानीय रीतियों को ध्यान में रखना
- वृष्टि पैटर्न (मासिक)-कुल, गहनता, बारिश के दिनों की संख्या, हाइड्रोग्राफ
- वार्षिक चक्रीय वृष्टि पैटर्न (पिछले 10 वर्षों से)-रूझान

- मृदा में सोखने और पारगम्यता की क्षमता
 - एक्विफर और चट्टान का प्रकार (जिऑलोजिकल एवं टेक्टॉनिक), आयु तथा रासायनिक संदूषण के लिए संभावित निक्षालन
 - जैविक संदूषण हेतु स्रोत का सर्वे
 - अश्म-विज्ञान और स्थिर भूजल सारणी का ब्यौरा
 - वाष्पीकरण और सिपेज की दर
 - पारिवारिक सुरक्षा की दृष्टि से वाटर बजटिंग
 - स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री की उपयुक्तता
 - सैटेलाइट आंकड़ों और वांछित जिऑफिजिकल शोधों पर आधारित एचजीएम मानचित्रों का इस्तेमाल
 - निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी
 - मौजूदा जल संग्रहण संरचनाएं और उनकी कार्यप्रणाली
 - जलवायु परिवर्तन और पेयजल स्रोतों पर इसका प्रभाव
 - आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जल प्रबंधन विकल्प
 - लीक का पता लगाने वाली पद्धतियां और लीकेज को रोकना।
 - जल की बचत, ऊर्जा की बचत करने वाले यंत्रों/फिक्सचरों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना
 - नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
5. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भूजल, सतही जल तथा छत पर वर्षाजल एकत्रीकरण प्रणालियों/संरचनाओं के लिए सांकेतिक सूची
- बाढ़, पुनर्भरण पद्धति (केवल क्षेत्रीय पेयजल प्रणालियों के लिए)
 - गली प्लग्स

- रिचार्ज पिट
- कंटूर ट्रेंच/बांध
- ढलानों पर अर्द्ध-गोलाकार ट्रेंच
- रोक बांध/नाला बांध
- परासरण तालाब/टैंक
- उप-सतही डाइक
- इंजेक्शन वेल
- इंजेक्शन स्प्रिंग
- इंड्यूस्ट स्प्रिंग
- रिचार्ज साफ्ट
- रिचार्ज वेल/डग वेल रेडियल डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ
- प्वाइंट सोर्स रिचार्जिंग सिस्टम (बेकार बोरवेल और प्रतिबंधित डग वेल)
- बालू के टीले के जरिए पुनर्भरण-तटीय/मरूस्थलीय
- लेवीज-तत्क्षण बहाव को रोकने के लिए
- कलेक्टर वेल के साथ इनफिल्ट्रेशन वेल
- इनफिल्ट्रेशन गैलरी
- उरानी या वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया स्वस्थाने फिल्ट्रेशन तथा एकत्रीकरण प्रणालीयुक्त ग्रामीण तालाब
- विद्यालय, आंगनवाडियों, ग्राम पंचायत कार्यालयों इत्यादि जैसी सामुदायिक संरचनाओं के लिए छत पर वर्षाजल एकत्रीकरण।
- सोखता गड्ढे।

उपर्युक्त सूची के कार्य या तो एनआरडीडब्ल्यूपी के स्थायित्व घटक के अंतर्गत या अन्य संबंधित कार्यक्रमों अर्थात् मनरेगा योजना (ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (पर्यावरण और वन मंत्रालय), जल निकायों की मरम्मत, पुनर्स्थापना और पुनरुद्धार की राष्ट्रीय परियोजना (जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार) इत्यादि के साथ तालमेल बिठाकर किए जा सकते हैं।

ऊपर बताई गई प्रौद्योगिकियां सांकेतिक हैं। राज्य सरकारें ग्रामीण पेयजल योजनाओं के उपयुक्त स्थानीय हाइड्रो-मॉर्फोलॉजिकल स्थितियों के आधार पर उचित संरचना लागू कर सकती हैं।

6. स्थायित्व घटक के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्रता मानदण्ड

- अतिदोहित, संकटग्रस्त और कम संकट ग्रस्त ब्लॉकों और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में प्राथमिकता आधार पर स्थायित्व संरचनाएं शुरू की जानी चाहिए।
- किसी भी पुनर्भरण प्रणाली/सतही जल को अवरुद्ध करने वाली संरचनाओं में श्रम लागत को महात्मा गांधी नरेगा योजना/समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम निधि से पूरा किया जाए।
- तालाबों की खुदाई केवल मनरेगा निधि से की जाए।
- मौजूदा ग्रामीण तालाबों को पुनर्भरण/संग्रहण संरचना में परिवर्तित करने में केवल सामग्री घटक का वित्तपोषण इस घटक के अंतर्गत किया जाएगा।
- छत पर वर्षाजल संग्रहण संरचना की पूंजीगत लागत घटक एक साधारण पीवीसी गटर, पहली फलश सुविधा, नल होनी चाहिए और जहां तक संभव हो अधिमानतः फेरो सिमेंट/पीवीसी टैंक लगाया जाना चाहिए। मात्रा के हिसाब से क्षमता की डिजाइन तय की जाएगी।
- केवल नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत ही पम्प, पाइप और अन्य भंडारण संरचना इंफिल्ट्रेशन वेल/गैलरी हेतु (कलेक्टर वेल के अलावा) पर विचार किया जाएगा।

- पूर्व के वैज्ञानिक डाटाबेस वाले सभी प्रस्तावों की जांच राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा की जाएगी जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे और एसएलएसएससी द्वारा इसकी मंजूरी दी जाएगी।
- छत पर वर्षाजल एकत्रीकरण के लिए भवन में किसी भी प्रकार की छत की निर्माण लागत की प्रतिपूर्ति स्थायित्व घटक के तहत नहीं की जाएगी।
- पेयजल आपूर्ति योजनाओं का स्थायित्व घटक इस प्रकार होना चाहिए कि इसे समुदाय/ग्राम पंचायत/जल प्रयोक्ता समूह आसानी से चला सके और इसका रख-रखाव कर सके।

चित्र

ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता जांच

अनुबंध-III

जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच के लिए रूपरेखा (फ्रेमवर्क) (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस)

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम फरवरी, 2006 (2005-06) में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पेयजल के सभी स्रोतों के जल की निगरानी एवं जांच करने के लिए सामुदायिक भागीदारी तथा पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाना था। हालांकि, पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी करना तथा उसकी गुणवत्ता की जांच करना दो अलग-अलग कार्य हैं, फिर भी दोनों क्रियाकलापों का एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है जिसमें पेयजल आपूर्तिकर्ताओं को पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी करनी होती है तथा स्वास्थ्य प्राधिकरणों को उसकी जांच करनी होती है। इसलिए, देशभर में पेयजल आपूर्ति करने वाली एजेंसियों तथा स्वास्थ्य प्राधिकरणों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है।

भूजल के बेतहासा अत्यधिक दोहन से एक्वीफरों के जल-भू-रासायनिक वातावरण में बदलाव आ गया है और सामान्य रूप से जल में जहरीले तथा अवांछित रासायनिक तत्वों जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक, टीडीएस, नाइट्रेट इत्यादि की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक हो गई है जिनका स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है और तरह-तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन भी सभी देशों में जल संसाधनों को प्रभावित कर रहा है जिसके फलस्वरूप हैजा, टाइफाइड, मलेरिया तथा डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये सभी बीमारियां मूलतः जल से संबंधित बीमारियां हैं।

भू-जल में फ्लोराइड तथा आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा ने फ्लोरोसिस तथा आर्सेनिक के कारण तथा त्वचा में सूजन जैसी बेहद खतरनाक और लाइलाज बीमारियों को बढ़ा दिया है। फ्लोराइड संदूषण के

कारण अभी भी 19 राज्यों में 17986 बसावटें तथा अत्यधिक आर्सेनिक के कारण पं. बंगाल, असम, बिहार तथा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में 4314 बसावटें प्रभावित हैं। नए साक्ष्य यह बताते हैं कि गंगा-मेघना-ब्रह्मपुत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में आर्सेनिक संदूषण का खतरा है। वर्तमान आकलन यह बताते हैं कि भारत में 30-40 लाख लोगों को आर्सेनिक के जहर का खतरा है तथा 5 करोड़ लोग अत्यधिक फ्लोराइड, लौह, नाइट्रेट तथा खारापन के शिकार हैं। उर्वरकों तथा कीटनाशकों के मनमाने तथा सिंगल पिट वाले शौचालय के अवैज्ञानिक इस्तेमाल और घरेलू अपशिष्ट जल के बेतरतीब निपटान ने भूजल की गुणवत्ता को ओर खराब करने में योगदान दिया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम पर एक कार्यान्वयन नियमावली अखिल भारतीय सफाई एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से तैयार की गई थी तथा जनवरी, 2004 में सभी राज्य सरकारों को वितरित की गई थी।

2. वर्ष 2004 से 2008 तक कार्यान्वयन

वर्ष 2004 से 2008 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किए गए मूल्यांकन से पता चलता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम को पुनः बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यनीति के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रावधान है :

- कार्यक्रम के तहत जल गुणवत्ता निगरानी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु आईईसी क्रियाकलापों, एचआरडी क्रियाकलापों, जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने, फील्ड टेस्ट किट्स खरीदने, यात्रा तथा यातायात लागत, डाटा रिपोर्टिंग लागत, जिला-स्तरीय जांच समन्वयकों को मानदेय, जल जांच, प्रलेखन तथा राज्यों को आंकड़ा प्रविष्टि के लिए जल

गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम तथा एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देशों के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शत-प्रतिशत वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।

- अनेक विभागों जैसे-पीएचई, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज इत्यादि में मौजूदा कर्मिकों (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों) को एकजुट और शामिल किया जाएगा।
- फील्ड टेस्ट किट्स के अनुरक्षण तथा रख-रखाव, जिसमें फील्ड टेस्ट किट्स को फिर से भरने की लागत, संदूषण दूर करने वाले तत्वों की लागत, लघु उपचार संबंधी व्यय, निचले स्तर के कामगारों के वेतन और भत्ते, मानदेय तथा ग्राम पंचायत स्तर के समन्वयक को मानदेय शामिल है, की पूर्ति सामुदायिक अंशदान से की जाएगी।
- प्रति ग्राम पंचायत एक फील्ड टेस्ट किट दिया जाएगा। इसके अलावा, निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रदर्शन किट्स भी दिए जाएंगे:- राज्य/एसआरआई-1, जिला-3, ब्लॉक-2
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के एसडब्ल्यूएसएम/पीएचईडी/बोर्डों को निधियां संबंधित राज्यों में पेयजल स्रोतों की संख्या, ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों तथा जिलों की संख्या, कुल ग्रामीण आबादी इत्यादि जैसे मानदंडों के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी की जाएंगी।
- इसके बाद राज्य सरकारें आईईसी तथा एचआरडी से संबंधित निधियां डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) को जारी करेंगी। नई प्रयोगशालाएं बनाने और मौजूदा जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा प्रशासनिक व्यय के लिए निधियां राज्यों द्वारा डीडब्ल्यूएसएम/जिला प्रयोगशाला को जारी की जाएंगी।
- फील्ड टेस्टिंग किट्स खरीदने के लिए निधि उपलब्ध कराने तथा किट खरीदने की कार्यनीति का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।
- फील्ड टेस्ट किट्स की आवृत्ति लागत तथा अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए समुदाय प्रति परिवार प्रति माह 1रु. की दर से अंशदान दे सकती है और उसे पृथक से बही खाते के साथ

ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खातों में जमा कर सकता है।

3. बदलाव की आवश्यकता

- “राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने से केवल “बसावट में जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध कराने की जगह अब परिवार स्तर पर जल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित” जैसा महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता निगरानी और जांच करने के व्यापक कार्य के लिए रासायनिक संदूषण हेतु वर्ष में एकबार तथा जैविक संदूषण हेतु एक वर्ष में दो बार सभी स्रोतों की जांच करने के वार्षिक मानदण्ड के साथ लगभग 50 लाख नमूनों की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों के पास जिला स्तरों पर केवल कामचलाऊ जल जांच प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में जिले के गावों के सभी पेयजल स्रोतों की जांच कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कुछ जिलों में क्षेत्रीय दूरी 100 कि.मी. से अधिक तथा पर्वतीय क्षेत्रों और दुर्गम तराई में इस दूरी को तय करने में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं।
- सब डिवीजन स्तर पर स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं में नियमित जल जांच करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या क्रियाशील नहीं हैं। इसीलिए, सब डिवीजन स्तर पर ऐसी अनुपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर होने से जल गुणवत्ता आंकड़ों की जांच तथा सत्यापन और पुष्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर शुरू की जाने वाली कार्रवाई/पहल बुरी तरह से प्रभावित होती है।

4. परिशोधित कार्यनीति

- कार्रवाई शुरू करने हेतु प्रमाणित जल गुणवत्ता आंकड़ा हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि जिला और सब-डिवीजन/उप जिला स्तर पर या तो एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों से बनाई गई एक बुनियादी जल जांच प्रयोगशाला है अथवा अन्य विभागों/शैक्षिक संस्थाओं की मौजूदा प्रयोगशालाओं, जिनमें उपयुक्त जांच सुविधाएं हों, का इस प्रयोजन के लिए विधिवत निर्धारण किया गया है। एनआरएचएम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जल की गुणवत्ता की जांच करने की सुविधा (जैविक मानदण्ड) हो (प्रति 30,000 आबादी के लिए 1 अर्थात् लगभग 30 से 40 गावों/ग्राम पंचायतों के समूह के लिए) इन सुविधाओं का क्षेत्र में किसी अन्य प्रयोगशालाओं के साथ कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आदर्शतः ये प्रयोगशालाएं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तरह पंचायती राज संस्था तथा पीएचईडी के संयुक्त प्रबंधन में होनी चाहिए।
- इस तरह सभी बुनियादी रासायनिक तथा जैविक मानदण्डों की जांच सब-डिवीजन/उप-जिला प्रयोगशाला में की जा सकती है तथा सभी स्रोतों की प्राथमिक जैविक जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जा सकती है और ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- परिवार स्तर तथा बसावट स्तर पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए एक व्यक्ति, अधिमानतः जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी (जो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति है) की एक महिला सदस्य, को पदनामित किया जा सकता है और एक बैज दिया जा सकता है। चूंकि एनआरएचएम का आशा कार्यकर्ता भी जल और स्वच्छता जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सामुदायिक कार्रवाई हेतु जिम्मेवार है, इसलिए चुने गए जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के सदस्य को आशा के साथ घनिष्ठ तालमेल के साथ काम करना चाहिए।
- जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी/आशा सदस्यों की मुख्य भूमिका तथा जिम्मेवारियां नीचे दी गई हैं :-

क्र.स.	जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी की भूमिका	आशा (एनआरएचएम) की भूमिका
i	परिवार स्तर पर पेयजल की पर्याप्तता का पता लगाना। इसमें पशुओं के लिए जल की आवश्यकता भी शामिल है।	एनआरएचएम प्रपत्र के अनुसार परिवार स्तर पर जल तथा मल-मूत्र से संबंधित बीमारियों का पता लगाना।
ii	अलग-अलग प्रयोग के लिए पेयजल के सभी स्रोतों का निर्धारण करना।	जांच के लिए नमूना इकट्ठा करना तथा जैविक मानदण्डों की जांच करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भेजना
iii	फील्ड टेस्टिंग किट्स द्वारा सभी स्रोतों की जांच करना।	सभी स्रोतों की स्वच्छता की जांच करना
iv	जांच के लिए नमूना इकट्ठा करना तथा रासायनिक और जैविक दोनों मानदण्डों की जांच के लिए उसे सब डिवीजन जल जांच प्रयोगशाला भेजना	पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो पीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी सदस्य के साथ सुधारात्मक उपाय करना
v	गांव/ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति स्रोतों तथा प्रणाली का ब्यौरा दर्ज करना	जल तथा स्वच्छता से संबंधित सभी बीमारियों के आंकड़ों को रखना।
vi	सभी परिवारों से शुल्क इकट्ठा करना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जल आपूर्ति योजना का प्रबंधन करना।	परिवार स्तर पर साफ-सफाई को बढ़ावा देने तथा बीमारियों की रोकथाम से संबंधित मुद्दों की हिमायतें करना।
vii	जल से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता क्रियाकलाप चलाना	स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता क्रियाकलाप चलाना
viii	ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए ग्रामीण जल आपूर्ति क्रियाकलापों से संबंधित कोई अन्य कार्य	ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कोई अन्य कार्य।

- जल सुरक्षक प्राथमिक परिणाम हासिल करने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए फील्ड टेस्ट किटों का इस्तेमाल करें। तथापि, इसकी पुष्टि बनाई गई प्रयोगशालाओं में फिर से जांच करके की जा सकती है। फील्ड टेस्ट किटों की पुनः आपूर्ति संबंधी लागतों की भरपाई राज्यों को उपलब्ध कराई गई एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएमएस) से की जाए।

- जिला/सब डिवीजन स्तर की जल जांच प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित मानदण्डों की जांच करने की सुविधाएं होनी चाहिए, अर्थात्

1. पीएच

2. कुल खारापन

3. लौह

4. क्लोरिन की मांग

5. अपशिष्ट क्लोरिन

6. नाइट्रेट

7. फ्लोराइड तथा आर्सेनिक, जहां कहीं भी ये देखी गई हों या पाई गई हों।

8. उपर्युक्त जांचों के अलावा, जल का जैविक विश्लेषण करने की सुविधा भी होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई मल-मूल संबंधी संदूषण तो नहीं है। सभी स्रोतों के जैविक संदूषण की ब्लैकट टेस्ट की भी व्यवस्था है ताकि सभी सब-डिवीजन प्रयोगशालाओं में एमपीएन की गणना की जा सके तथा ई-कोली/ मलमूत्र जनित कोलीफार्म का पता लगाया जा सके।

- जिला स्तर पर समेकित किए गए आंकड़ों को एमडीडब्ल्यूएस की वेबसाइट पर ऑनलाइन डाला जाए।

- स्रोतों के वास्तविक (गंदलापन) तथा जैविक संदूषण का मुकाबला करने के लिए सभी पहलें/कार्रवाईयां ग्राम पंचायत तथा सब-डिवीजन स्तर पर की जानी होती हैं।

- आईईसी तथा एचआरडी क्रियाकलापों को डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) से जोड़ने की आवश्यकता है।

- ग्राम पंचायत स्तर के पांच कार्यकर्ताओं, जिन्हें फरवरी 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया है, अर्थात् आशा,

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि की सेवाएं कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए ली जाती रहेंगी।

5. पद्धति (तरीका)

राष्ट्रीय स्तर पर

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय संपूर्ण कार्यक्रम की निगरानी करेगा।
- मंत्रालय ने राज्य आरडब्ल्यूएस/पीएचई विभागों, राज्य, जिला तथा उप-जिला प्रयोगशालाओं और डब्ल्यूक्यूएम एंड एस में अन्य भागीदारों के मार्गदर्शन के लिए समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी नवाचार जारी किए हैं।
- सरकारी तकनीकी संस्थाओं, जिला प्रयोगशालाओं, सब-डिवीजन प्रयोगशालाओं तथा निचले स्तर के कर्मियों के बीच सुव्यवस्थित तरीके से सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था करना।

राज्य, जिला तथा ग्राम पंचायत स्तर पर

- राज्य, जिला तथा सब-डिवीजन स्तर पर पेयजल जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा उनका उन्नयन करने के लिए राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएमएस) से निधियां प्राप्त कर सकते हैं।
- पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों, स्व-सहायता समूहों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को शामिल करके डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू)/ एसडब्ल्यूएसएम द्वारा राज्य तथा क्षेत्र विशिष्ट आईईसी क्रियाकलाप।

- जिला, सब-डिवीजन, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मियों को प्रशिक्षण देना। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच सदस्यों (स्कूल शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, भूतपूर्व सैनिक, स्थानीय गैर-सरकारी संगठन के सदस्य) को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है।
- प्राकृतिक आपदा के दौरान बिरल तत्वों की सान्द्रता की जांच करने तथा राज्य सरकार को जल गुणवत्ता रिपोर्ट मुहैया कराने के लिए राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं को भी शामिल किया जाएगा।
- जैविक एवं रासायनिक तथा भौतिक मानदण्ड दोनों के लिए सब-डिवीजन प्रयोगशालाओं में शत-प्रतिशत स्रोतों की जांच की जाएगी तथा 10 प्रतिशत नमूनों की भी जांच की जाएगी जिनमें राज्य प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले नेमी प्रति-सत्यापन से अलग जिला प्रयोगशालाओं द्वारा सकारात्मक रूप से जांचे गए नमूने शामिल होंगे।
- रासायनिक तथा भौतिक मानदण्डों के लिए वर्ष में एक बार जांच की जा सकती है तथा जैविक मानदण्ड के लिए यह पांच वर्ष में दो बार की जाएगी अर्थात् मानसून से पहले तथा मानसून के बाद और जब कभी भी जल जनित बीमारियों का पता चले।
- ग्राम पंचायत अपने कार्यक्षेत्र में निजी स्रोतों सहित सभी पेयजल स्रोतों की जांच करेगी विशेष रूप से जैविक मानदण्डों के लिए।
- सभी ग्रामीण बसावटों में (ग्राम पंचायतवार) स्वच्छ पेयजल स्रोतों का निर्धारण/पंजीकरण।
- सभी जल नमूनों के जैविक मानदण्डों की जांच की जाएगी जबकि भौतिक तथा रासायनिक मानदण्डों की जांच क्षेत्र विशिष्ट की आवश्यकतानुसार की जाएगी।
- परिवार स्तर पर या प्रयोगशालाओं से एकत्र किए गए आंकड़ों की जानकारी एनआईसी-एमडीडब्ल्यूएस द्वारा विकसित की गई एमआईएस के माध्यम से या राज्यों द्वारा विकसित की गई एमआईएस के माध्यम से दी जाएगी। केवल रासायनिक मानदण्डों को राष्ट्रीय स्तर

की एमआईएस पर दर्शाया जाएगा जबकि भौतिक तथा जैविक संदूषण की जानकारी ग्राम पंचायत/जिला/राज्य स्तर पर दी जाएगी और उनका समाधान किया जाएगा।

- जल के नमूने एकत्र करने, परिवारों का सर्वेक्षण करने तथा पेयजल स्रोतों की स्वच्छता का निरीक्षण करने का काम जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी/ग्राम पंचायत के ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।
- आईईसी तथा जागरूकता पैदा करने का काम जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी/ ग्राम पंचायत के ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा फील्ड टेस्ट किटों का इस्तेमाल करके किया जाएगा।

6. वित्तपोषण

- कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन का 3 प्रतिशत हिस्सा शतप्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषण के आधार पर एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएमएस) के लिए मुहैया कराया जाता है। यह धनराशि एमडीडब्ल्यूएस अथवा एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार जल गुणवत्ता निगरानी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य और जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं बनाने/ उनका सुदृढ़ीकरण करने, सब-डिवीजन स्तरीय प्रयोगशालाएं बनाने/उनका सुदृढ़ीकरण करने, लेखन-सामग्री की लागत, नमूना एकत्र करने की लागत, फील्ड टेस्ट किट की पुनः आपूर्ति की लागत के लिए राज्यों को दी जाती है।
- पीएचई, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज इत्यादि जैसे अनेक विभागों में मौजूदा कार्मिकों (तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों) को एकजुट किया जाएगा और इस काम में शामिल किया जाएगा। एनआरएचएम तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की निधियों का इस्तेमाल इस प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- डब्ल्यूक्यूएमएस में लगे नियमित स्टाफ के वेतन को पूर्णतः राज्य निधियों से वहन किया जाएगा।

- राज्य जल तथा स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) को वर्ष वार वित्तीय बाध्यताओं का उल्लेख करते हुए डब्ल्यूक्यूएम एंड एस कार्यक्रम के लिए मास्टर प्लान तथा वार्षिक कार्ययोजना भी तैयार करनी होगी जिसे एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एसडब्ल्यूएसएम/पीएचईडी/बोर्डों को निधि भारत सरकार द्वारा एनआरडीडब्ल्यूपी के सहायक घटक के अंतर्गत जारी की जाएंगी।
- डब्ल्यूक्यूएम एंड एस के तहत सभी आईईसी तथा एचआरडी क्रियाकलाप डब्ल्यूएसएसओ के तहत डब्ल्यूएसएसओ द्वारा शुरू किए जाएंगे।
- नई प्रयोगशालाएं बनाने तथा मौजूदा जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने और प्रशासनिक व्ययों के लिए राज्यों द्वारा डीडब्ल्यूएसएम जिला प्रयोगशाला को निधियां जारी की जाएंगी। निधियों की उपलब्धता तथा संपूर्ण कार्यक्रम की कार्यनीति के बारे में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को निर्णय लेना होगा।

7. प्रशिक्षण तथा आईईसी क्रियाकलापों की निदर्शी सूची

- जल गुणवत्ता तथा स्वच्छता के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं/ जीपीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी/ पंचायती राज संस्था की स्थायी समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण।
- स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों सहित जल गुणवत्ता के मुद्दे।
- जल गुणवत्ता निगरानी
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
- गैर-सरकारी संगठनों, जिला स्तरीय अधिकारियों, राज्य स्तरीय कर्मियों को निम्न के संबंध में प्रशिक्षण
- सामाजिक जागरूकता
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच

- स्वच्छता और स्वास्थ्य
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच को बढ़ावा देने के लिए गांव, ब्लॉक जिला स्तर पर स्कूल शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण
- आईईसी कार्यनीति जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं
- परस्पर वैयक्तिक चर्चा (घर घर संपर्क)
- श्रव्य-दृश्य प्रचार
- होर्डिंग्स तथा दीवार पेंटिंग्स इत्यादि
- नारे, पिकचर फ्रेम, सामूहिक बैठकें, नुक्कड़ नाटक, भागीदारीपूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन तथा प्रदर्शनियों का इस्तेमाल साधनों के रूप में किया जा सकता है।
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र के लिए आईईसी दिशा-निर्देश अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

8. कार्यक्रम की निगरानी

- राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्र निरीक्षणों के माध्यम से निगरानी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है। डीडब्ल्यूएसएम जिले में विशेषज्ञों का एक दल गठित करेगा जो लगातार अलग-अलग ब्लॉकों में कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एकबार की जानी चाहिए।
- इसी तरह एसडब्ल्यूएसएम 6 महीने में एकबार जिलों में कार्यक्रम की समीक्षा करेगा।
- निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है और यह भी कि फील्ड टेस्ट किटों का इस्तेमाल करके जल नमूनों के विश्लेषण के काम में समुदाय को भी शामिल किया जाता है।

- निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि क्या ग्राम पंचायतों में पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जानकारी ग्राम पंचायत ने पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित की गई (दीवार पेंटिंग अथवा विशेष होर्डिंग द्वारा, जिसके लिए आईईसी निधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है)।
- इसके अलावा, भारत सरकार भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए राज्यों में समीक्षा मिशन भेज सकती है।

9. रिपोर्टें

रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- विभिन्न स्तरों पर एकत्र किए गए आंकड़ों को ऑन-लाइन डाला जाएगा। बसावट स्तर अथवा प्रयोगशालाओं में एकत्र किए गए आंकड़ों की जानकारी एनआईसी - एमडीडब्ल्यूएस द्वारा विकसित की गई एमआईएस के माध्यम से अथवा राज्यों द्वारा विकसित की गई एमआईएस के माध्यम से दी जाएगी।
- केवल रासायनिक मानदंडों को राष्ट्र स्तरीय एमआईएस पर दर्शाया जाएगा जबकि भौतिक तथा रासायनिक संदूषण की जानकारी ग्राम पंचायत/जिला/राज्य स्तर पर दी जाएगी और उनका समाधान किया जाएगा।

चित्र

पेयजल स्रोतों के स्थायित्व को सुनिश्चित करना होगा।

चित्र

समुदाय आधारित आयोजना पेयजल आपूर्ति प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग है

अनुबंध-IV

डब्ल्यूएसएसओ- (डब्ल्यूएसएसओ में मिलाई जाने वाली संचार एवं क्षमता विकास इकाई)

1. पृष्ठभूमि

मांग उन्मुख तथा समुदाय आधारित कार्यक्रमों की सफलता में प्रभावी तथा रचनात्मक संचार की अहम भूमिका होती है। एनआरडीडब्ल्यूपी तथा टीएससी/एनबीए दोनों में मांग सृजित करने, जागरूकता पैदा करने तथा समुदाय की भागीदारी के लिए आईईसी तथा एचआरडी के प्रयोग पर सार्वजनिक जोर दिया जाता है। कुछ जगहों में इसके अच्छे परिणाम आए और कुछ जगहों में स्पष्ट कार्यनीति, कार्ययोजना, तौर-तरीके न होने तथा समुचित कार्यान्वयन में मदद करने वाले संसाधन केन्द्रों को लक्ष्य में न रखे जाने के कारण परिणाम उतने संतोषजनक नहीं रहे। डब्ल्यूएसएसओ (डब्ल्यूएसएसओ में मिलाई जाने वाली संचार एवं क्षमता विकास इकाई) को आईईसी, एचआरडी, एमआईएस इत्यादि जैसे सॉफ्टवेयर क्रियाकलाप शुरू करके अभियांत्रिकी विभाग की सहायता करने के लिए तैयार किया गया है ताकि कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके तथा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र में इन पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में यह स्थापित किया जा सके। जिन राज्यों में जल तथा स्वच्छता क्षेत्र दो अलग-अलग विभागों द्वारा देखे जाते हैं, वहां स्वच्छता संचार तथा क्षमता विकास इकाई गठित की जा सकती है और डब्ल्यूएसएसओ तथा एसडब्ल्यूएसएम को इसकी जानकारी दी जा सकती है और निर्मल भारत अभियान के लिए आवंटन

से निधियां प्राप्त की जा सकती हैं। राज्य, डब्ल्यूएसएसओ को ग्रामीण जल एवं स्वच्छता में सहायक तथा प्रबंधन संगठन बनाने के लिए इसे सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नानुसार उपाय कर सकते हैं :-

- सोसायटीपंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में राज्य स्तर पर एक बहु-आयामी ग्रामीण जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन इसमें सरकारी सदस्यों के अलावा प्रतिष्ठित सीएसओ, शैक्षिक संस्थाओं, क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी संस्थाओं, जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी इत्यादि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
- इसमें जल सुरक्षा आयोजना, जल संरक्षण तथा पुनर्भरण, जल गुणवत्ता, निर्माण, सिविल तथा अभियांत्रिकी कार्यों के परिचालन तथा रख-रखाव, सामुदायिक संचलन, वित्तीय आयोजना एवं प्रबंधन, लेखा, जन-संचार, प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित कार्य देखने के लिए उपयुक्त शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव वाले कार्मिक होंगे।
- संगठन को वित्तीय तथा प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्ति मिली होनी चाहिए तथा बाहर से संविदा आधार पर कार्मिक नियुक्त करने अथवा सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर रखने की छूट भी प्राप्त होनी चाहिए।
- प्रत्येक जिले का बहु-आयामी जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) आरडब्ल्यूएसएमओ को रिपोर्ट करेगा।
- ब्लॉक संसाधन केंद्र डीडब्ल्यूएसएम को रिपोर्ट करेगा तथा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रबंधन समितियों/ जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के साथ काम करेगा।

2. उद्देश्य

डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- जल तथा स्वच्छता क्षेत्र में सुधार पहल के लिए राज्य विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति विकसित करना।
- सभी स्तरों पर कार्मिकों का क्षमता विकास करना।
- जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में स्थायित्व की आवश्यकता को पूरा करना।
- एनआरडीडब्ल्यूपी तथा अन्य ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों और निर्मल भारत अभियान के तहत शुरू की जा सकने वाली नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक जल संरक्षण तथा वर्षा जल संग्रहण का प्रचार करना।
- नई प्रौद्योगिकियों, स्वास्थ्य संकेतकों, आईईसी कार्यनीति पर स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था का प्रभाव इत्यादि सहित स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर कार्य अनुसंधान करना।

3. कार्यनीति

आईईसी तथा एचआरडी क्रियाकलापों को राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के तहत “जल तथा स्वच्छता सहायता संगठन” द्वारा राज्य स्तर पर मिलाया जाएगा। सीसीडीयू एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देशों में बताए गए अनुसार एनआईसी/ कंप्यूटरीकरण परियोजना, जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच इत्यादि के साथ डब्ल्यूएसएसओ का हिस्सा होगी। डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) में ग्रामीण जल तथा स्वच्छता क्षेत्र के सभी उप-कार्यक्रमों के लिए आईईसी तथा एचआरडी क्रियाकलाप शुरू करने की विशेषज्ञता तथा अवसंरचना होगी। डब्ल्यूएसएसओ का सीसीडीयू हिस्सा निम्नलिखित क्रियाकलाप चलाएगी :

- जल तथा स्वच्छता के लिए प्रशिक्षण आधारित आकलन करना
- पंचायती राज संस्था के सदस्यों, जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी सदस्यों तथा अभियांत्रिकी/तकनीकी स्टाफ के लिए क्षमता निर्माण योजना तैयार करना।

- राज्य तथा जिला/क्षेत्रीय स्तर पर प्रमुख संसाधन केंद्रों का निर्धारण करना।
- राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला संसाधन केंद्रों के माध्यम से तथा घरेलू रिसोर्स पर्सनों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
- जल तथा स्वच्छता क्षेत्रों के लिए संचार कार्यनीति पर आधारित वार्षिक आईईसी योजना तैयार करना।
- समुदाय तथा स्टेकहोल्डरों में जागरूकता पैदा करना।
- राज्य तकनीकी एजेंसियों को परामर्शी सेवाओं के लिए भुगतान करना।

4. कार्य

डब्ल्यूएसएसओ राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन को आईईसी, एचआरडी तथा अन्य सहायता मुहैया कराएगा। यह निम्नलिखित भी मुहैया कराएगा :

- राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन तथा निर्मल भारत अभियान परियोजनाओं को एचआरडी तथा आईईसी जानकारी।
- राज्यों/एजेंसियों द्वारा सफल मामलों अथवा पहलों का प्रलेखन किया जाएगा।
- खराब निष्पादन करने वाले जिलों को भी प्रलेखित किया जाएगा ताकि खराब निष्पादन के कारणों का पता लगाया जा सके तथा उनके निष्पादन को सुधारने में मददगार संभव समाधान तलाशा जा सके।

5. वित्तपोषण

एनआरडीडब्ल्यूपी 5 प्रतिशत सहायता निधि के तहत उपलब्ध समस्त निधियों को 1 अप्रैल, 2009 से राज्य जल स्वच्छता मिशन के तहत जल तथा स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) को अंतरित किया जाए।

डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) जल तथा स्वच्छता के लिए निम्नलिखित में से सभी अथवा कुछ कार्यों को देख सकता है :

- आईईसी तथा एचआरडी
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच
- एमआईएस/कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम
- स्थायित्व
- एनआरडीडब्ल्यूपी तथा टीएससी/एनबीए के तहत निष्पादन की निगरानी एवं मूल्यांकन
- अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप
- राज्य तकनीकी एजेंसी
- अन्य सहायता

आईईसी, एचआरडी तथा अन्य सहायक क्रियाकलापों, जिसमें क्षमता निर्माण योजना शामिल है, की वार्षिक कार्ययोजना प्रत्येक राज्य द्वारा तैयार की जाएगी। यह आवश्यकता आधारित होनी चाहिए तथा इसे राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष संबंधित वित्त वर्ष से पहले अथवा उसकी शुरुआत में अनुमोदित किया जाना चाहिए।

वार्षिक कार्ययोजना में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- आईईसी क्रियाकलाप योजना
- पंचायती राज संस्था तथा जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों, अभियंताओं, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए निम्न पर क्षमता निर्माण योजना
- स्वास्थ्य का जल तथा स्वच्छता से संबंध

- ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता योजना बनाने, उसकी निगरानी तथा प्रबंधन करने में पंचायती राज संस्थाओं तथा समुदाय की भूमिका।
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच
- स्थायित्व संरचना तैयार करना तथा कार्यान्वित करना
- अभियंताओं तथा तकनीकी स्टाफ के लिए पेशेवर गतिविधि।
- पंप मिस्त्री, पंप संचालन, राजगीर, नल मिस्त्री, लेखपाल इत्यादि जैसे निचले स्तर के कामगारों को प्रशिक्षण।
- उपकरणों की एकल खरीद (यदि पहले नहीं खरीदे गए हों)।
- स्थापना लागत (सलाहकारों का शुल्क, आकस्मिकता, यात्रा/दैनिक भत्ता)
- पहले खरीदे गए उपकरणों का उन्नयन करना अथवा पुराने/बेकार सामानों को बदलना।
- अनुसंधान एवं विकास, एमआईएस, एसटीए तथा अन्य सहायक क्रियाकलाप।

6. स्थापना लागत

स्थापना लागत में आकस्मिक व्यय, सलाहकारों को दिया गया शुल्क, यात्रा/दैनिक भत्ता इत्यादि शामिल होंगे। उन कर्मचारियों, जो डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) के हिस्सा हैं लेकिन प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं, को डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) निधियों से वेतन देने पर विचार किया जाना चाहिए। फिर भी उपकरण की एकल खरीद की लागत की गणना स्थापना लागत के रूप में नहीं की जाएगी।

7. डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) की संरचना

डब्ल्यूएसएसओ की संरचना का उल्लेख अनुबंध-VII में डब्ल्यूएसएसओ की संरचना के अंतर्गत किया गया है। डब्ल्यूएसएसओ स्टाफ की वांछित अर्हताएं तथा अनुभव अनुबंध-VII के अंत में दिए गए हैं।

8. राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) को भुगतान

राज्य तकनीकी एजेंसी को परियोजना तैयार करने, उसका मूल्यांकन करने तथा उसे अनुमोदित करने, आईईसी तथा एचआरडी मॉड्यूल विकसित करने इत्यादि का काम सौंपा जा सकता है। राज्य तकनीकी एजेंसी को सौंपे गए काम तथा संस्थान को किए जाने वाले भुगतान को राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य के मानदंडों का अनुपालन किया जा सकता है।

9. जानकारी देने की पद्धति

अलग-अलग स्तरों पर विभिन्न कर्मियों के लिए आईईसी, एचआरडी तथा अन्य सहायक क्रियाकलापों की आयोजना से लेकर कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ऑन-लाइन आईएमआईएस पर मासिक आधार पर डाली जानी चाहिए।

आईईसी तथा एचआरडी-दोनों पर विकसित की गई सामग्री को नियमित आधार पर मंत्रालय के साथ साझा किया जाना चाहिए।

अनुबंध-IV क

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए आईईसी दिशा-निर्देश

1. जल, राज्य का विषय है तथा राज्य सरकार/इसकी एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बसावटों में स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी हैं। 73वें संविधान संशोधन के साथ ग्रामीण पेयजल को पंचायती राज को सौंपने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है। स्थायी रूप से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा उपयोग को बेहतर बनाना एक कठिन तथा जटिल प्रक्रिया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। स्वच्छ पेयजल के उपयोग का लोगों के समग्रहित तथा उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन का उद्देश्य सभी स्तरों पर पड़ता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन का उद्देश्य सभी स्तरों पर जल आपूर्ति तथा जल स्रोतों की आयोजना, कार्यान्वयन, परिचालन, रख-रखाव तथा प्रबंधन करने में समर्थ, अधिकार संपन्न, पूर्णतः जागरूक तथा कुशल स्टेकहोल्डर तैयार करना है।
2. ग्राम समुदाय तथा पंचायती राज संस्थाओं की उनकी भूमिका उचित तरीके से निभाने के योग्य बनाने के लिए यह जरूरी है कि पेयजल के विभिन्न पहलुओं पर विषय-वस्तु तथा कार्यक्रम दोनों से संबंधित जानकारी तथा सूचना के अभाव को दूर किया जाए तथा सहायक वातावरण पैदा किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं को, विशेषरूप से ग्राम स्तर पर स्थायी रूप से पूरे वर्षभर स्वच्छ पेयजल की योजना बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनका प्रबंधन, संचालन तथा रख-रखाव करने में समर्थ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, पेयजल प्रणाली तथा स्रोत स्थायी रहें और प्रभावित बसावटों में जल गुणवत्ता की समस्या को दूर किया जा सके, यह आवश्यक है कि

एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई जाती है। इस संदर्भ में, एक सुनियोजित सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण अभियान अहम भूमिका निभाता है।

कार्यनीति

3. आईईसी अभियान में लोगों को उनकी भूमिका तथा जिम्मेदारियों और सही आदतें अपनाने से होने वाले लाभों की जानकारी देना, सिखाना तथा राजी करना होता है। इसमें बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रचलनों तथा परंपराओं से संबंधित अड़चनों तथा विविधताओं को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी संचार क्रियाकलाप में स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल के इस्तेमाल से संबंधित सही आदतों को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक, संवेदनशील बनाने तथा उन्हें प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आईईसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करेगा :

क. पेयजल आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता तथा अवधि/नियमितता के मामले में सेवा की उपलब्धता;

ख. पेयजल प्रबंधन के विभिन्न पहलू अर्थात् इस्तेमाल, संरक्षण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, आर्थिक पहलू, परिचालन, मरम्मत तथा रख-रखाव इत्यादि;

ग. अलग-अलग आयुवर्ग तथा लोग अर्थात् बच्चे, महिलाएं, गांव के बुजुर्ग तथा समुदाय के नेता इत्यादि, तथा

घ. राज्य/क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक रिवाज, भाषा तथा बोली।

4. आईईसी कार्यनीति में जल सेवाओं की सुपुर्दगी को केंद्रीकृत आपूर्ति-उन्मुख दृष्टिकोण के स्थान पर पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले विकेंद्रीकृत, मांग उन्मुख, समुदाय प्रबंधित दृष्टिकोण की ओर पुनः उन्मुख करने के लिए

सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने पर जोर देना होता है। आईईसी कार्यनीति में सभी को स्थायी रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा उसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी लेने के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण समुदाय को तैयार करना होता है। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कार्यनीतियाँ तथा क्रियाकलापों का इस्तेमाल करना होता है। राज्य की आईईसी कार्यनीति बनाते समय निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखना होता है :

- **जागरूकता :** ग्रामीण समुदाय को जैविक संदूषण, जल जनित बीमारियों तथा स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव, सुरक्षित स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल के विभिन्न पहलुओं, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, जल गुणवत्ता मानकों, जल की गुणवत्ता जांचने, अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय जल स्रोतों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल इत्यादि के बारे में जागरूक बनाना होता है।
- **पारदर्शिता :** यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लोगों को उनके क्षेत्रों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं तथा किए जाने वाले निवेश की जानकारी हो। वास्तव में, उचित विकल्प के संबंध में निर्णय लेने में उनकी सर्वाधिक भूमिका होनी चाहिए। ग्राम समिति से यह अपेक्षित है कि वह मिलने वाली राशि तथा इस्तेमाल की गई राशि का ब्यौरा प्रमुख स्थान पर इस तरह से प्रदर्शित करे कि लोग उसे देख सकें और समझ सकें। इसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए।
- **जन भागीदारी :** ग्रामीण समुदाय को कार्यक्रम की आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए। समुदाय के लिए कार्यक्रम बनाते समय उनकी आवश्यकताओं, संसाधनों तथा चुनौतियों का पता लगाया जाना चाहिए।
- **जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व :** लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि कार्यक्रम की निगरानी करने में ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की प्रमुख भूमिका है।

उद्देश्य

5. आईईसी अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाओं के इस्तेमाल के संबंध में स्टैकहोल्डरों में सकारात्मक व्यावहारिक बदलाव लाना है। इसके लिए ग्रामीण समुदाय को सक्रियता से जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार करके, उन्हें शामिल करके तथा अधिकार संपन्न बनाकर स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के संबंध में उनकी जानकारी को बढ़ाना होता है। आईईसी अभियान के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं :
- पेयजल स्रोतों की सुरक्षा पेयजल के सुरक्षित उपयोग के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने हेतु लोगों को जागरूक बनाना तथा प्रेरित करना;
 - जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक बनाना तथा प्रेरित करना;
 - बेहतर स्वास्थ्य तथा साफ-सफाई की आदतें अपनाने के लिए लोगों, परिवारों तथा समुदायों में व्यावहारिक बदलाव लाना;
 - सामुदायिक भागीदारी के लिए जागरूकता तथा मांग पैदा करना;
 - मीडिया तथा महत्वपूर्ण स्टैकहोल्डरों के साथ सुदृढ़ समन्वय, प्रभावी प्रचार के माध्यम से सहायक वातावरण निर्मित करना; तथा
 - सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना।

प्रमुख क्षेत्र

6. स्वच्छ पेयजल संबंधी आईईसी अभियान में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा :
1. स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल

- II. पेयजल का विवेकपूर्ण इस्तेमाल
- III. जल को बर्बाद होने से बचाना
- IV. वर्षाजल तथा छत पर वर्षा जल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण
- V. जल का पुनः इस्तेमाल तथा उसे फिर से इस्तेमाल के योग्य बनाना
- VI. पेयजल स्रोतों की सुरक्षा
- VII. पंचायतों तथा समुदाय की भागीदारी
- VIII. महिलाओं तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति/अल्पसंख्यक सदस्यों को शामिल करके जीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी का गठन तथा उनका क्षमता निर्माण
- IX. जल जनित बीमारियां
- X. जल प्रबंधन
- XI. अपशिष्ट जल तथा ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन
- XII. विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जल स्रोतों का स्थायित्व
- XIII. साफ-सफाई की आदतें
- XIV. जल गुणवत्ता एवं जांच
- XV. लिंग विशिष्ट जल संबंधी मुद्दे
- XVI. जल संसाधन तथा उपचार
- XVII. जल प्रणालियों का परिचालन एवं रख-रखाव। इस क्रियाकलाप के लिए एक नियमावली बनाई गई है।
- XVIII. जल सेवाओं का प्रबंधन एवं आयोजना
- XIX. किफायती प्रौद्योगिकियों का विकल्प
- XX. विद्यालयों तथा आंगनवाडियों में स्वच्छ जल
- XXI. समानता के मुद्दे (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अल्पसंख्यक)

XXII. विभिन्न विकल्पों की लागत प्रभाविकता

XXIII. कम जल खपत करने वाली सामग्रियों का इस्तेमाल

आईईसी अभियान की योजना

7. अभियान की योजना बनाते समय निम्नलिखित समूहों को ध्यान में रखा जाए :

- प्राथमिक लक्षित समूह: जागरूकता पैदा करना, मुद्दों का स्तर बढ़ाना तथा उन्हें हल करने में लोगों को शामिल करना-ग्रामीण समुदाय, महिलाएं, स्कूल जाने वाले बच्चे तथा युवा, पंचायत सदस्य तथा गांव के बुजुर्ग/समुदाय के नेता।
- द्वितीयलक्षित समूह: अन्य महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों तथा प्रभावकारी व्यक्ति (कार्यक्रम प्रबंधक, जिला के अधिकारी इत्यादि)।

8. अभियान की योजना बनाते समय निम्नलिखित पर विचार किए जाने चाहिए :

- आईईसी अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है :
 - यह समझाना आवश्यक है कि किसके व्यवहार (लक्षित समूह) को बदलने की जरूरत है;
 - किस तरह के व्यवहार को बदलने की जरूरत है और किस दिशा में बदलने की जरूरत है;
 - विशिष्ट समूहों को विशिष्ट संदेश दिए जाने चाहिए;
- इसलिए, यह जानना जरूरी है कि :
 - जल तथा स्वच्छता सुविधाओं के बारे में पहले से लोग क्या जानते हैं और करते हैं;

- स्वास्थ्य तथा साफ-सफाई के पहलुओं के बारे में उनका ज्ञान;
 - वे स्वच्छ जल, स्थायित्व, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा साफ-सफाई को कैसे परिभाषित करते हैं;
 - वे स्वच्छ पेयजल, स्थायित्व तथा बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं को कितना महत्व देते हैं;
- लोगों के दिमाग में यह बात बैठाना जरूरी है कि स्वच्छ पेयजल, स्थायित्व, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है तथा ये सभी बातें सामुदायिक भागीदारी के बिना संभव नहीं हैं तथा
 - सुविधाओं का इस्तेमाल तथा रख-रखाव के लिए सामुदायिक स्वामित्व, जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व का भाव पैदा करना चाहिए। परियोजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु अलग-अलग कार्यान्वयन एजेंसियों की भागीदारी।

आईईसी क्रियाकलापों की सुझाई गई सूची

9. राज्य आईईसी क्रियाकलापों में व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान के दायरे को गहन और व्यापक बनाया जाना चाहिए। किसी संचार माध्यम का चयन कार्यक्रम के उद्देश्य पर निर्भर करता है। कोई भी संचार क्रियाकलाप बनाते समय लक्ष्य में रखे गए दर्शकों की आवश्यकता को ध्यान में रखना जरूरी है अर्थात् उन्हें किस तरह की जानकारी की आवश्यकता है और किस तरह से उनका प्रचार-प्रसार करना है। इष्टतम परिणाम हासिल करने के लिए विविध चैनल जरूरी हैं। विभिन्न चैनलों की प्राथमिकता तय करने में प्रमुख दर्शक तथा मीडिया के गुण-दोष प्रमुख कारक होंगे।

10. राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत तथा ग्राम स्तर पर सुझाए गए क्रियाकलापों का ब्यौराआईईसी दिशानिर्देशों में दिया गया है।

कार्यान्वयन योजना

11. उपर्युक्त पर आधारित समुचित योजना वार्षिक कार्य योजना में बनाई जानी चाहिए और प्रभावी आईईसी अभियान के लिए वर्ष के दौरान उसका अनुपालन किया जाना चाहिए।
12. आईईसी अभियान को कार्यान्वित करते समय निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए :
- लक्षित दर्शक तथा उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं तथा उनके पास उपलब्ध सेवाओं के बारे में बुनियादी जानकारी हासिल करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण;
 - अभियान चलाने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत विशिष्ट आईईसी कार्यनीति तथा माड्यूल तैयार करना;
 - ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन;
 - अपेक्षित संख्या में आईईसी सामग्रियां बनाना तथा आपूर्ति करना;
 - बनाई गई आईईसी सामग्रियों का इस्तेमाल से पहले जांच करना;
 - कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय अंतर्सामुदायिक संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार नीति का इस्तेमाल;
 - परस्पर वैयक्तिक संप्रेषण के इस्तेमाल को आईईसी कार्यनीति का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए;

- समुदाय की आवश्यकताओं, चुनौतियों तथा कार्यक्रम के बारे में उनकी जानकारी को समझने के लिए गहन सामूहिक चर्चा का आयोजन तथा
 - अंतिम बिंदु तक निगरानी इत्यादि के माध्यम से आईईसी की निगरानी तथा मूल्यांकन
13. एनआरडीडब्ल्यूपी के सहायक क्रियाकलापों के तहत उपलब्ध निधियों और राज्य संसाधन तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध सहायता को आईईसी अभियान की योजना बनाते तथा उसे कार्यान्वित करते समय मिला देना चाहिए।

आईईसी निधि का वितरण

14. एसडब्ल्यूएसएम आईईसी योजना को अनुमोदित करेगा और तदनुसार, अलग-अलग स्तरों पर चलाए जाने वाले क्रियाकलापों के अनुसार निधियों को संवितरित करेगा। आईईसी के लिए उपलब्ध कुल निधियों में से लगभग 10 प्रतिशत निधियां राज्य स्तरीय क्रियाकलापों के लिए आवंटित की जाएं, 20 प्रतिशत जिला स्तरीय क्रियाकलापों के लिए, 10 प्रतिशत ब्लॉकस्तरीय क्रियाकलापों के लिए तथा 60 प्रतिशत ग्राम स्तरीय क्रियाकलापों के लिए वितरित की जाएं। यह मानदंड लचीला है तथा क्रियाकलाप इस तरह से निर्धारित किए जाएं कि उनकी पुनरावृत्ति न हो तथा आर्थिक बचत भी की जा सके। मंत्रालय की सम्प्रेषण कार्यनीति कार्यान्वित की जाएगी।

चित्र

पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों को सम्बद्ध करने के लिए भागीदारी आयोजना तथा क्षमता निर्माण अनिवार्य है

अनुबंध-IV ख

एचआरडी अभियान की कार्यान्वयन कार्यनीति

राज्य डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) को प्रशिक्षण की आवश्यकता आकलन करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी होंगी तथा ग्रामीण जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक गहन अध्ययन करना होगा।

आवश्यकता आकलन रिपोर्ट के आधार पर डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू), एसटीए तथा अन्य प्रमुख राज्य एवं राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों के सहयोग से अलग-अलग संबंधित विषयों पर अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के लिए “प्रशिक्षण मॉड्यूल्स” तैयार करेगा।

विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण की वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में प्रत्येक वर्ष एक क्षमता निर्माण योजना बनाई जाएगी :

ग्राम स्तर

- ग्राम पंचायत तथा ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत सचिव तथा स्टाफ, महिलाएं, राजमिस्त्री, स्व-सहायता समूह के सदस्य, प्रेरक, शिक्षक, आंगनवाड़ी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आशा कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन, पंप मैकेनिक, पंप चालक, नल-मिस्त्री, जल गुणवत्ता जांचकर्ता इत्यादि।

ब्लॉक स्तर

- ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत सदस्य, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक, समूह समन्वयक, स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, कनिष्ठ अभियंता, कुशल राजमिस्त्री, मैकेनिक, शिक्षक इत्यादि।

जिला स्तर

- ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, पीएचईडी अभियंता, जिला समन्वयक, सलाहकार, सहायक स्टाफ, गैर-सरकारी संगठन, जिला जल स्वच्छता मिशन तथा समिति के सदस्य, विकास अधिकारी, अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी इत्यादि।

राज्य स्तर

- जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पीएचईडी अभियंता, सीई, एसई, ईई, जिला कलेक्टर, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) के सलाहकार, डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) के सहायक स्टाफ, गैर सरकारी संगठन, अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी इत्यादि।

चित्र

अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन में उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा हाल में हुए विकास कार्यों के प्रयोग से लाभ उठाना होगा

अनुबंध-IV ग

ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

एनआरडीडब्ल्यूपी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पंचायत सहित सभी स्तरों पर तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इसलिए, इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के दिशानिर्देश बनाए गए हैं। यह एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत वित्तपोषित सहायक क्रियाकलाप का एक हिस्सा है।

2. विशिष्ट

- पेयजल आपूर्ति प्रणाली, सुरक्षित स्वच्छता, जल का समुचित प्रबंधन तथा साफ-सफाई की आदत, ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी मुहैया कराने तथा इन क्षेत्रों में स्थायित्व लाने में राज्य सरकारों की मदद करना।
- पर्यावरण स्वच्छता जैसी स्थायी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करना।

- समानता, लिंग तथा उपेक्षा के मुद्दों को विधिवत हल करने वाली मांग उन्मुख तथा सामुदायिक जागरूकता परियोजनाओं में मदद करना।
 - जल आपूर्ति तथा स्वच्छता का जिला तथा राज्य स्तरीय मास्टर प्लान बनाने में राज्यों की मदद करना।
 - राज्य/पंचायती राज संस्था के कर्मियों के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण में मदद करना।
 - जल तथा स्वच्छता दोनों के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित करने में मदद करना।
 - राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठकों में शामिल होना तथा अच्छी और स्थायी परियोजनाएं मंजूर करने के लिए उचित दिशानिर्देश देना।
 - जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा साफ-सफाई से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी नियमावली/परिचालन दिशानिर्देश/प्रकाशन/विवरणिकाएं/पत्रक तैयार तथा प्रकाशित करने में मदद करना।
 - विशिष्ट मामलों पर प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन/प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना।
 - देश के भीतर और बाहर स्थायी तथा किफायती प्रौद्योगिकियों, नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के इस्तेमाल का पता लगाना तथा राज्यों को जानकारी देना।
 - अच्छी गुणवत्ता वाला जल-भू-स्थलाकृति मानचित्र तैयार करने तथा भूजल स्रोतों तथा पुनर्भरण संरचनाओं के लिए खुदाई हेतु उपयुक्त स्थानों का निर्धारण करने के लिए जीआईएस/दूरस्थ संवेदी जैसी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने में राज्य की मदद करना।
 - जिला जल जांच प्रयोगशालाओं की समीक्षा करना तथा इन प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने/उन्नयन करने हेतु आवश्यक तकनीकी सलाह देना।
3. तकनीकी विशेषज्ञों की अर्हता एवं अनुभव तथा उन्हें सूचीबद्ध करने की प्रक्रियाविधि

राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता देने का मुख्य उद्देश्य जल तथा स्वच्छता क्षेत्र के उन विशेषज्ञों की तकनीकी सक्षमता का इस्तेमाल करना है जिन्होंने वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है।

राज्य विभाग द्वारा इन विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने के लिए निम्नलिखित निर्देशक आवश्यकताएं हैं:

संबद्ध विश्वविद्यालय/अभियांत्रिकी उपाधि

जल तथा स्वच्छता से संबंधित किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में वरिष्ठ पद पर काम करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव अर्थात् पर्यावरण अभियांत्रिकी, विज्ञान, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता अभियांत्रिकी, जल शोधन संयंत्र मरम्मत तथा स्थापित करना तथा इष्टतम लागत वितरण नेटवर्क डिजाइन करना, जल लेखापरीक्षा, सामाजिक लेखा परीक्षा, ऊर्जा लेखा परीक्षा, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, आईएसओ-14001 शीर्ष लेखापरीक्षक, कीचड़/अपशिष्ट जल के प्रबंधन, पारिस्थितिकीय स्वच्छता, भूविज्ञान, जल विज्ञान, रसायन, माइक्रो-बायोलॉजी, प्रतिरोधक दवाई, विशेषज्ञ विश्लेषण, जल के संयुक्त इस्तेमाल से किफायती स्थानीय समाधान निकालने, भूजल पुनर्भरण की विशेष तकनीक, ऊरानी डेवलपमेंट तथा पारंपरिक तालाबों को पुनः सक्रिय बनाना, छत पर जल संग्रहण, बायो-गैसीफर्स के लिए कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज, सामुदायिक जागरूकता, क्षमता निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण लागत को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर समाधान, ऑनलाइन निगरानी इत्यादि अथवा कोई अन्य संबंधित कार्यक्षेत्र।

4. तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की संस्थागत प्रक्रिया

विशिष्ट कार्यों के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की जिम्मेवारी एसटीए की है। स्थायित्व परियोजनाएं तैयार करने के लिए एसटीए संबंधित जिले में तकनीकी विशेषज्ञ को तैनात कर सकती है। ये परियोजनाएं बन जाने के बाद एसटीए विषय-वस्तु से संबंधित विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकती है ताकि इन परियोजनाओं को एसएलएसएस के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले इनकी जांच की जा सकती है।

अन्य कार्यों अर्थात् नियमावली, लघु पुस्तिका तैयार करना, परियोजनाओं की समीक्षा, नई प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की जांच के लिए क्षेत्र दौरा, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन इत्यादि के लिए एसटीए सीधे तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेगी तथा उन्हें राज्य स्तर पर काम पर लगाएगी।

5. प्रमुख क्रियाकलाप तथा वित्तपोषण पद्धति

विशिष्ट उद्देश्यों तथा कार्यों के बारे में पैरा 2.0 में पहले ही बताया जा चुका है। इन कार्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

- एसएलएसएससी की मंजूरी/जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही तैयार कर ली गई परियोजनाओं में स्थायित्व घटक की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति/ राज्य अथवा केंद्र स्तरीय चर्चा में हिस्सा लेना। संबंधित राज्य सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा परियोजनाएं तैयार किया जाना-ये परियोजनाएं दो तरह की हो सकती हैं (i) राज्य कर्मियों द्वारा पहले से तैयार की गई डीपीआर/ एफआर जिनमें आईईसी, एचआरडी, स्थायित्व तथा पर्यावरण स्वच्छता घटक नहीं डाले गए हैं और जिन्हें समस्त

ब्यौरों के साथ डिजाइन किया जाना है।(ii) आईईसी, एचआरडी, स्थायित्व तथा पर्यावरण स्वच्छता घटक के साथ पूर्णतः नई परियोजनाएं तैयार की जाएंगी। इन परियोजनाओं में भूजल, सतही जल तथा छत पर वर्षा जल संग्रहण के संयुक्त उपयोग के माध्यम से स्थानीय समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों मामलों में परियोजनाएं तैयार करने के लिए अपेक्षित समस्त संबद्ध बुनियादी आंकड़े राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराए जाएंगे। तकनीकी विशेषज्ञ, संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर परियोजना तैयार करेगा। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत को परियोजना की कुल लागत में अंतर्निहित किया जाएगा। इन सभी रिपोर्टों को जांच के लिए राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए), जो सभी राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाएगी और जो राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग है, के समक्ष रखी जाएगी। राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति किसी भी परियोजना को तब तक अनुमोदित नहीं करेगी जब तक राज्य तकनीकी एजेंसी उक्त परियोजना को पहले चरण में स्वीकृति नहीं दे देती। प्रतिष्ठित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/अभियांत्रिकी महाविद्यालयों से कुछ अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं भी राज्य तकनीकी एजेंसी के साथ सूचीबद्ध विशेषज्ञों के रूप में ली जा सकती हैं।

- यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वे किसी सफल स्थायित्व मॉडल को दोहराएं तथा दूसरी जगह उन्हीं मॉडलों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लें।
- जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर प्रशिक्षण नियमावली/माइयूल्स/डिजाइन/लघु पुस्तिका इत्यादि तैयार करना।
- विशिष्ट प्रशिक्षण/जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित करने में मदद करना।
- प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों में मदद करना।
- यात्रा/दैनिक भत्ता, स्थानीय यात्रा तथा आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति।

केन्द्र सरकार के सेवारत श्रेणी "ए" के अधिकारियों की इयूटी पर यात्रा के लिए भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक आधार पर राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, स्थानीय यात्रा तथा आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस व्यय की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत राज्य स्वच्छता सहायता संगठन को मुहैया कराई गई निधि से की जा सकती है। तकनीकी विशेषज्ञों की राज्यवार निर्देशक सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई है। तथापि, राज्य सरकारें उपर्युक्त दिशानिर्देशों के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय स्थितियों के अनुसार अपने विशेषज्ञों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अनुबंध-V

कम्प्यूटरीकरण तथा प्रबंधन आसूचना प्रणाली (एमआईएस) पर दिशा-निर्देश

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, मंत्रालय के भीतर ई-गवर्नेंस क्रियाकलापों को अमल में लाने तथा उन्हें बढ़ावा देने को जारी रखेगा तथा राज्य एमआईएस तैनात करने, क्षमता बढ़ाने, कंटेंट मैनेजमेंट (एमआईएस के साथ जीआईएस/दूरस्थ संवेदी कंटेंट का अंगीकरण तथा समन्वय), जनगणना प्रशासनिक कोड का अनुपालन तथा राज्य पीएचईडी/आरडब्ल्यूएसएम वेबसाइट के माध्यम से जानकारी को सार्वजनिक क्षेत्र में साझा करना (आरटीआई अधिनियम को बढ़ावा देने के लिए) संपर्क, कंप्यूटरीकृत शिकायत निवारण तथा ई-सेवा सुपुर्दगी को प्राथमिकता देते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य स्तर पर इन क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में शेष राज्यों में सब-डिवीजन स्तर पर (पीएचईडी/आरडब्ल्यूएसएस एजेंसियों के क्षेत्रीय कार्यालयों में उप-जिला) पर्यावरण का परिकलन का प्रावधान भी शामिल होगा।

भारत सरकार निम्नलिखित मदों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय अंश के आधार पर एनआरडीडब्ल्यूपी सहायता निधि के तहत राज्य सरकारों/एनआईसी-एमडीडब्ल्यूएस को वित्तीय सहायता देगी।

1. कंप्यूटरीकरण

- क. मिशन एचक्यू के लिए
- ख. राज्य/सर्कल/प्रक्षेत्र/डिवीजन में नए क्षेत्रीय कार्यालय
- ग. शेष/नए सब-डिवीजन कार्यालय
- घ. हार्डवेयर तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उन्नयन।

- 2. राज्य तथा मिशन एचक्यू में सब डिवीजन तथा सीसी सुविधा सहित शेष स्थलों/कार्यालयों के लिए सम्पर्क/नेटवर्किंग।

3. एमआईएस/अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज का सुदृढीकरण(परिशोधन/संयोजन/उन्नयन)

क. परिचालन तथा रख-रखाव-एमआईएस

ख. राज्यपीएचईडी/आरडब्ल्यूएसएसडाइनामिकवेबसाइट विकसित करना, इसे राज्य/एमडीडब्ल्यूएस एमआईएस से जोड़ना, डब्ल्यू3सी एसेसिबिलिटी/सुरक्षा मानकों के अनुकूल बनाना, स्थानीकरण, ई-प्रलेखन, मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरण तथा सार्वजनिक रूप से विभागीय आंकड़े/जानकारी को साझा करने के योग्य बनाना।

4. विषय प्रबंधन-जनगणना कोड का अनुपालन, आंकड़ों का स्थानीकरण तथा अन्य मानकीकृत विषय प्रबंधन प्रचलनों का अनुपालन, फील्ड डाटा कलेक्शन के लिए जीपीएस समेकित हस्तचालित उपकरण विकसित करना इत्यादि।

5. एमडीडब्ल्यूएस द्वारा केन्द्रीय रूप से विकसित अनुप्रयोगों के लिए क्षमता विकास (आईएमआईएस, नई प्रौद्योगिकी जैसे जीपीएस समर्थित उपकरणों/हस्त चालित उपकरणों का इस्तेमाल इत्यादि)।

6. जीआईएस विकास

क. जीआईएस हार्डवेयर तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर (केवल मिशन तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर)

ख. अधिकतम 5 से 10 लोगों/राज्य के लिए आईआईआरएस/एनआरएससी में जीआईएस संवेदीकरण

7. ई-गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय निगरानी प्रकोष्ठ।
8. राज्य/जिला स्तर पर कंप्यूटरीकृत शिकायत निवारण प्रणाली।
9. ई-प्रापण।
10. राज्य परियोजनाओं के लिए आवर्ती व्यय तथा कंज्यूमेबल्स जिसका वित्तपोषण पूर्णतः राज्य निधियों से किया जाएगा।

एमआईएस तथा कंप्यूटरीकरण योजना एक आरडीडब्ल्यूपी (सहायता) के तहत वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में तैयार की जानी चाहिए। एमडीडब्ल्यूएस के साथ योजना पर हुई चर्चा के आधार पर योजना में प्रस्तावित क्रियाकलापों में संशोधन किया जाना चाहिए। एसएलएसएससी को कार्यान्वयन के लिए संशोधित योजना क्रियाकलापों को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।

9वीं योजना तथा 11वीं योजना अवधि के कुछ भाग (31.3.2009 तक) के दौरान राज्यों को निधियां राज्य, क्षेत्र तथा जिला स्तरीय पीएचईडी कार्यालयों को हार्डवेयर/नेटवर्किंग सहायता मुहैया कराने के लिए जारी की गई थीं तथा दिनांक 1/4/2009 से यह राज्यों में पीएचईडी के सब-डिवीजनल कार्यालयों को भी दी जाने लगी थी।

पीएचईडी के राज्य, क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्यों को 31/3/2009 तक जारी की गई निधियों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों के लिए पूर्णतः उपयोग करना या तथा उपयोग प्रमाण-पत्र सहित व्यय का ब्यौरा भारत सरकार को भेजना था। खर्च न की गई/शेष राशि का इस्तेमाल पीएचईडी के सब-डिवीजन कार्यालयों को हार्डवेयर/नेटवर्किंग सहायता तथा सॉफ्टवेयर इत्यादि मुहैया कराने के लिए किया जा सकता है।

पिछली योजना अवधि की तरह, राष्ट्रीय आसूचना केंद्र (एनआईसी) 12वीं योजना अवधि के दौरान भी विभाग के मुख्य तकनीकी/ई-प्रशासन सलाहकार की भूमिका अदा करता रहेगा। एनआईसी, राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालय की सहायता करेगा। एनआईसी की राज्य इकाई उपर्युक्त निर्धारित क्षेत्रों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति की सहायता करेगा। केन्द्र में एनआईसी केन्द्रीय डाटाबेस के प्रबंधन का प्रभारी होगा तथा सभी सॉफ्टवेयर विकसित करने तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए जिम्मेवार होगा। ये क्रियाकलाप एनआईसी/एनआईसीएसआई को दी गई पेड परियोजनाओं के माध्यम से चलाए जाएंगे।

2. कंप्यूटरीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हार्डवेयर के विनिर्देशन/संरक्षण में तेजी से आए बदलाव तथा कंप्यूटर हार्डवेयर/सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलग-अलग घटकों की दर में उतार-चढ़ाव के कारण सभी राज्य, हार्डवेयर खरीदते समय समुचित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अंतिम रूप दिए गए विनिर्देशनों तथा दरों का अनुपालन करें।

2.1 सब डिवीजन कार्यालय तथा जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं

पिछली दो योजना अवधि में राज्यों को मुहैया कराई गई सहायता को ध्यान में रखते हुए सब-डिवीजन स्तर पर कंप्यूटरीकरण को चालू योजना अवधि में सहायता दी जाएगी। सब-डिवीजन कार्यालयों तथा जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित मदों की अनुमति दी जाएगी :-

i. सब डिवीजन स्तरीय कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण

क. ऑपरेटिंग सिस्टम तथा ऑफिसऑटोमेशनसॉफ्टवेयरके साथ डेस्कटॉप (दो)

ख. प्रिंटर (एक)

ग. यूपीएस (दो)

- घ. पोर्टेबल हार्डड्राइव, पैन ड्राइव, इंटरनेट डाटाकार्ड (आवश्यकतानुसार)
- ङ. हस्तचालित उपकरण (इंटीग्रेटेड जीपीएस के साथ) (दो/सब-डिवीजन)
- च. डायल अप/लीज लाइन/वीएसएटी तथा उपयुक्त संबद्ध नेटवर्क उपकरण के माध्यम से इंटरनेट संपर्क
- छ. स्विच/हब/रिपीट तथा सीएटीएल केबलिंग पर आधारित एलएएन की स्थापना।

ii. जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं में कंप्यूटरीकरण

- क. ऑपरेटिंग सिस्टम तथा ऑफिसऑटोमेशनसॉफ्टवेयर के साथ डेस्कटॉप (एक)
- ख. प्रिंटर (एक)
- ग. यूपीएस/सीवीटी (एक)
- घ. पोर्टेबल हार्डड्राइव, पैन ड्राइव, इंटरनेट डाटाकार्ड (आवश्यकतानुसार)
- ङ. डायल अप/लीज लाइन/वीएसएटी तथा उपयुक्त संबद्ध नेटवर्क उपकरण के माध्यम से इंटरनेट संपर्क

2.2 हार्डवेयर का उन्नयन

तकनीकी प्रगति तथा नवीनता को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती एमआईएस परियोजना के अंतर्गत मुहैया कराए गए सभी हार्डवेयरों को उनकी खरीद की तारीख से पांच वर्ष के बाद अप्रचलित घोषित किया जा सकता है तथा एसएलएसएससी से अनुमोदन लेने के बाद उनके स्थान पर उच्च विनिर्देशन वाले हार्डवेयर तथा आवश्यक सिस्टम सॉफ्टवेयर खरीदे जा सकते हैं। वापस खरीद विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

3. संपर्क/नेटवर्किंग/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा

क.नए कार्यालयों तथा शेष सब-डिवीजन स्तर के कार्यालयों में हब/स्विच तथा केबलिंग पर आधारित एलएएन की स्थापना (आवश्यकतानुसार)

ख. जिला, क्षेत्रीय तथा सीई कार्यालयों, राज्य पीएचईडी/आरडब्ल्यूएसएस सचिव के कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा (प्रत्येक कार्यालय में एक)।

4. एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर/एमआईएस पैकेज के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना

10वीं योजना के दौरान राज्यों को एमआईएस सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया था तथा निधियां मुहैया कराई गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, कुछ राज्य अपनी सूचना प्रणाली स्थापित करने में लगे हुए हैं। इन राज्य एमआईएस को स्थापित करने तथा बरकरार रखने के लिए परिचालन एवं रख-रखाव निधि की आवश्यकता होगी। परिचालन एवं रख-रखाव संबंधी ऐसे व्ययों को एसएलएसएससी के अनुमोदन से एनआरडीडब्ल्यूपी सहायता निधि से पूरा किया जाएगा बशर्ते स्थापना तथा प्रयोग की निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाए:

बसावट-वार जल स्रोतों/प्रणाली तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के साथ दैनिक आधार पर पूर्णतः उपयोग की जाने वाली प्रणाली आंकड़ों के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में एमआईएस स्थापित करने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इसके लिए आईएमआईएस की तर्ज पर राज्य विशिष्ट वेब आधारित सूचना प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है ताकि राज्य प्रणाली तथा आईएमआईएस के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से आंकड़ों का आदान-प्रदान संभव हो सके तथा आंकड़ों के दुहराव से बचा जा सके। यह इन दिशा-निर्देशों के तहत आगे किसी वित्तपोषण के लिए अ-परक्राम्य पूर्वशर्त है।

- जनगणना, 2011 आंकड़ा शत-प्रतिशत जुड़ा हुआ बसावट आंकड़ा
- वित्त एवं कार्य लेखा
- योजना/परिसंपत्ति तथा कार्यक्रम प्रबंधन
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम
- बड़ी सामग्री जैसे पाइप इत्यादि की खरीद की सूची रखना
- ई-प्रापण (एनआईसी के माध्यम से एमडीडब्ल्यूएस द्वारा भी सहायता दी गई)।

5. विषय-वस्तु प्रबंधन

एमआईएस डाटा को 2011 की जनगणना कोड आंकड़ों के स्थानीकरण के अनुरूप बनाने के लिए तथा अन्य मानकीकृत विषय-वस्तु प्रबंधन प्रचलनों का अनुपालन करने के लिए आवश्यकतानुसार आंकड़ा प्रविष्टि की विशालता के आधार पर सहायता घटक से वित्तपोषण किया जा सकता है। जल स्रोतों के एक बार जीपीएस सर्वेक्षण के लिए गणनाकारों की सेवाएं लेने की लागत की पूर्ति भी आवश्यकतानुसार इस घटक से की जा सकती है।

6. क्षमता निर्माण

एमडीडब्ल्यूएस द्वारा केन्द्रीय स्तर पर विकसित अनुप्रयोगों के लिए कौशल विकास हेतु भी निधियां इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा वेब आधारित मल्टीमीडिया वीडियो प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मोबाइल एप्लिकेशन हेतु जीपीएस समर्थित उपकरणों/हस्त चलित उपकरणों का इस्तेमाल शामिल है।

7. जीआईएस का विकास

जीआईएस विकसित करने की लागत का वित्तपोषण एसएलएसएससी के अनुमोदन से उन राज्यों में किया जा सकता है जो राज्य, कंप्यूटरीकरण के तीसरे चरण में पहुंच गए हैं और जहां शासन पूर्णतः वेब आधारित डिजिटल सूचना और अभिनव प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। ऐसे राज्यों को ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता का काम देखने वाले राज्य सरकार के मुख्य कार्यालय में जीआईएस विकसित करने के लिए उपकरणों/ क्रियाकलापों के लिए सहायता घटक के अंतर्गत सहायता दी जाएगी।

7 (क) राज्य मुख्यालयों में जीआईएस हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर

- i. ओएस के साथ पीसी -2
- ii. एओ साइज का स्केनर सह प्रिंटर-1
- iii. एओ प्लॉटर-1
- iv. यूपीएस 3 केवीएस
- v. डिजिटल ए 3, साइज -1
- vi. जीआईएस सॉफ्टवेयर (आवश्यकतानुसार)।

7 (ख) पहले से ही बनाए गए एमआईएस के साथ समेकित वेब समर्पित जीआईएस पैकेज का निर्माण और विषय वस्तु प्रबंधन (डिजिटाइजेशन, स्केनिंग, वेब आधारित और मौजूदा एमआईएस के साथ वेब समर्थित जीआईएस समेकन)।

8. एनआईसी/एनआईसीएसआई की भूमिका

केन्द्र स्तर पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र स्तर पर व्यापक क्षमता निर्माण के लिए एनआईसी/एनआईसीएसआई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर एनआईसी/एनआईसीएसआई को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें अनुप्रयोजन विकास और विकास प्रभार, जनशक्ति प्रभार, हार्डवेयर एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर व्यय, डाटा एंटी व्यय, जगह उपलब्ध कराना, स्थल निर्माण अधिकारियों/ संविदाकर्मियों का मानदेय और उन अधिकारियों एवं संविदाकर्मियों जिन्हें राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर सहायता देने के लिए यात्रा करनी होगी, का व्यय शामिल होगा। इसमें उनके कौशल संवर्द्धन के लिए सम्मेलन/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में समूह/प्रकोष्ठ के सदस्यों की भागीदारी के लिए निधियों की आवश्यकता भी शामिल होगी।

प्रभावी निगरानी के लिए संविदा व्यक्ति (परामर्शदाता, डिजाइनर, प्रोग्रामर, डाटा एंटी आपरेटर और अन्य स्टाफ) की सेवा एनआईसीएसआई अथवा अन्य उपयुक्त एजेंसियों, यदि अपेक्षित हो, के जरिए ली जा सकती है।

9. अधिप्राप्ति

राज्य सरकार द्वारा हार्डवेयर और ऑफिस ओटोमेशन सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति एसएलएसएससी द्वारा परियोजना अनुमोदित होने के बाद की जाएगी। कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित सभी संबंधित अधिप्रापण और वित्तीय मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

10. वार्षिक अनुरक्षण

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार/एजेंसियों को चुनिंदा विक्रेता अथवा किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी के साथ व्यापक वार्षिक अनुरक्षण-संविदा करनी चाहिए।

अनुबंध-VI

ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सहायक क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप है जिसके लिए गैर-सरकारी संगठनों सहित अनुसंधान संगठनों को एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) के अंतर्गत शत-प्रतिशत वित्तपोषण किया जाता है।

विभिन्न राज्यों में संबंधित विभागों में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पर्याप्त जनशक्ति और अवसंरचना के साथ अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ स्थापित करें तथा एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) निधियों से राज्य विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तपोषित करें।

2. ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के प्राथमिकतावाले क्षेत्र

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रायोजित करने के लिए प्राथमिकता वाले निम्नलिखित क्षेत्रों को निर्धारित किया है और सुव्यवस्थित अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि से अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित करता है :

प्राथमिकता वाले क्षेत्र-I

जल संसाधनों का पता लगाना, मूल्यांकन एवं दोहन संबंधित प्रौद्योगिकी विकास।

- समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशिष्ट भू-भौतिकी सहयोग।
- भूमि के उपयोग में अस्थायी बदलाव सहित विशिष्ट क्षेत्रों में दूर संवेदन अनुप्रयोग (जल-भू-स्थलाकृतिक मानचित्रों को छोड़कर) और भूजल भंडार बनाने के लिए सहायता।
- निगरानी सहित पारंपरिक झरना/तालाब/पोंड/सुरंगम को बेहतर बनाना।
- पेयजल आधारित सतही जल प्रक्रिया में वाष्पन नियंत्रण।
- विश्वविद्यालयों एवं प्रसिद्ध संगठनों के जरिए कुशल प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र-II

जल निष्कासन तकनीक में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी विकास

- हैंडपंप/एटेचमेंट यथा डुएल पंप, ऊर्जा किफायती पंप/विंडमिल/सौर पंप/ हाइड्रोलिक रम्स में सुधार।
- पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग कर परियोजना के परिचालन एवं अनुरक्षण लागत को कम करने के लिए ऊर्जा क्षमता में सुधार।
- ट्यूबवेल की क्षमता (स्ट्रेनर, ग्रेवेल पेक) में सुधार।
- नवीकरण तकनीक (कुओं की खुदाई/ब्लॉग्ड स्ट्रेनर/ब्लॉग्ड इनफिल्टरेशन गैलेरी) संबंधी सुधार।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र-III

जल संकट कम करना और संबंधित प्रौद्योगिकी विकास

- कृत्रिम पुनर्भरण/खारापन अंतर्ग्रहण का नियंत्रण/वाष्पीकरण न्यूनीकरण तकनीक/खारापन दूर करना।
- जल संरक्षण सिंचाई/उद्योग/पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण/नल रिसाव का पता लगाना/एवं निवारण संवर्द्धित भंडारण/वितरण किफायती भंडारण टैंक (लौह सीमेंट)/वितरण पाइप (पीवीसी/बांस)
- अपरिकलित नुकसान सहित जल क्षय को कम करने के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं के वितरण नेटवर्क में सुधार।
- गंदा जल/क्लोरि-फ्लोक्यूलेटर्स से बने कीचड़ से शुद्ध जल प्राप्त करना और एलम प्राप्ति की बेहतर विधियां।
- सूखा प्रवण एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष सहायता और
- वर्षा जल एकत्रीकरण संरचना के लिए लागत अनुकूलन एवं सामग्री, संरचना, भंडारण आदि के प्रकार संबंधी सुधार।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र-IV

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल गुणवत्ता संवर्द्धन प्रौद्योगिकी

- जल गुणवत्ता किट का निर्माण।
- अत्यधिकखारापन/सल्फेट/नाइट्रेट/आर्सेनिक/फ्लोराइड/लौह-आदिके उपचार के लिए प्रौद्योगिकी।

- अस्वच्छ पेयजल की गुणवत्ता के संबंध में जीवाणु/विषाणु और संबंधित सूक्ष्म-जीवाणु/जीन अभियांत्रिकी प्रभाव।
- जल गुणवत्ता संवर्द्धन टेबलेट/चूर्ण/हल्का हीटर/पारंपरिक जड़ी-बूटी एवं प्रक्रियाओं का निर्माण।
- ओजोनीकरण, ताम्र-रजत आयनीकरण जैसे अभिनव प्रौद्योगिकियों सहित विसंक्रमण की विभिन्न विधियां, आदि;
- शोध संयंत्रों से पर्यावरण अनुकूल कीचड़ निबटान प्रक्रियाविधियां, और
- आरओ संयंत्रों की क्षमता में सुधार लाना और सौर प्रकाश वोल्टीय (पीवी) सेल के उपयोग के जरिए परिचालन एवं अनुरक्षण लागत को कम करना।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र-V

पेयजल आपूर्ति को अनुकूल बनाने के लिए वाटरशेड प्रबंधन

- सूक्ष्म अथवा लघु वाटरशेड की रूपरेखा वर्णन एवं संसाधन सूची;
- जल संरक्षण को श्रेष्ठ बनाना एवं पर्यावरण अवक्रमण यथा अपरदन, गाद जमने आदि को कम करना।
- जल संसाधनों का सम्मिलित उपयोग-प्रभावकारी मॉडल का निर्माण, और
- पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तालमेल संबंधी प्रायोगिक अध्ययन।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र-VI

सामाजिक आर्थिक-सांस्कृतिक संरचना में जल-स्वास्थ्य-सामंजस्य

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

- जल एवं स्वच्छता संबंधी मामलों के संबंध में अभियंताओं/भूगर्भ-विज्ञानियों/ चिकित्सा वैज्ञानिकों के बीच पारस्परिक समस्या;
- विशेषकर संचार एवं सामाजिक एकजुटता संबंधी कार्यनीतियों के लिए जल की कमियों एवं जीवन स्तर के बीच सह-संबंध;
- फ्लोराइड एवं आर्सेनिक प्रभावित गांवों में पोषण संबंधी सहायता।
- स्वच्छता, स्वच्छ जल के उपयोग में व्यवहारगत बदलाव लाने की विधियां;
- जल एवं स्वच्छता संचालन को बेहतर बनाना, बहु-केन्द्रीय अध्ययन आधारित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं।
- जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में शासन एवं विवाद समाधान; और
- ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के अभियंताओं/वैज्ञानिकों के प्रबंधन में बदलाव।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र-VII

उपयुक्त ग्रामीण स्वच्छता प्रौद्योगिकी का विकास

- बेहतर प्रक्षालन गड्ढे की डिजाइन
- साफ ग्रामीण शौचालय
- रसोईघर के अपशिष्ट का उपयोग
- खुले कुओं/तालाबों का संरक्षण, और
- सफाई सर्वेक्षण की बेहतर विधियां
- पारिस्थितिकीय स्वच्छता एवं उपयोग की गई सामग्री के उर्वरक मूल्य को संवर्द्धित करने की विधियां
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर विधियां

- विशेषकर प्लास्टिक के पुनः उपयोग/पुनःचक्रण/उपयोग कम करने के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी साफ-सफाई, शिशु अनुकूल शौचालय, विकलांगों के लिए विशेष शौचालय, शिशु स्वच्छता, आदि।

नोट: प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन तथा वृहत पैमाने पर उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी की जांच एवं अंतरण के जरिए इस क्षेत्र में सही साबित करने पर बल दिया जाएगा।

3. दृष्टिकोण

अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश कार्यक्रम आर एंड डी के अंतर्गत वेबसाइट <http://MDWS.gov.in> पर देखा जा सकता है। राज्य सरकार एसएलएसएससी के अनुमोदन से राज्य जल एवं स्वच्छता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) के अंतर्गत राज्य तकनीकी एजेंसी के परामर्श से आर एंड डी परियोजनाएं शुरू कर सकती है। ऐसी आर एंड डी परियोजनाएं शुरू करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन राज्य के लिए आवश्यक उपयुक्त आशोधन के साथ किया जा सकता है।

अनुबंध-VII

राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम स्तरों पर संस्थागत संरचना

1. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, कृषि आदि से संबंधित कार्य करने वाली राज्य सरकारों के बीच समन्वय एवं तालमेल स्थापित करने के उपाय के रूप में राज्य/संघ राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन स्थापित किया जाना चाहिए। यह राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले विभाग/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/एजेंसी के तत्वाधान में एक पंजीकृत सोसायटी होगा। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालन लोचनीयता उपलब्ध कराएगा ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान (टीएससी/एनबीए) के अंतर्गत इसके समेकित कार्यान्वयन एवं सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने पर वांछित बल दिया जा सके। मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/विकास आयुक्त राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की अध्यक्षता करेंगे और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास (आरडी), पंचायती राज (पीआर), वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, कृषि, सूचना एवं जन संपर्क (आई एंड पीआर) के प्रभारी सचिव इसके सदस्य होंगे। सचिव (पीएचईडी) अथवा (ग्रामीण जल आपूर्ति से संबंधित विभाग) सभी एसडब्ल्यूएसएम क्रियाकलापों और मिशन की बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेवार नोडल सचिव होंगे। जल विज्ञान, आईईसी, एचआरडी, एमआईएस, मीडिया, गैर-सरकारी संगठन आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सह-योजित किया जा सकता है।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) के निम्नलिखित कार्य होंगे :

- नीतिगत मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
- विशेष परियोजनाएं सहित जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्रियाकलापों का तालमेल;
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संबंधित क्रियाकलापों में अन्य साझेदारों के साथ समन्वय;
- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन और प्रबंधन की निगरानी एवं मूल्यांकन;
- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दोनों के लिए संचार एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों को समेकित करना;
- कार्यक्रम निधि एवं सहायता निधि के लेखाओं का अनुरक्षण करना तथा लेखाओं की अपेक्षित लेखापरीक्षा करना।

2. राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति (एसएलएसएससी)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित नीतिगत मामलों में से एक मामला राज्य सरकार को तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन देने के लिए शक्ति के प्रत्यायोजन के बारे में है ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं और संबंधित सहायक क्रियाकलापों अर्थात् डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू), डब्ल्यूक्यूएम एंड एस, एमआईएस, आर एंड डी, एम एंड ई, एसटीए के कार्यान्वयन में प्रशासनिक बाधाओं से बचा जा सके।

शक्तियों का प्रत्यायोजन इस शर्त के अधीन है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि गहन निगरानी एवं मूल्यांकन का उपयुक्त तंत्र मौजूद है। राज्य सरकार को पूर्व एवं समयबद्ध

जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि भारत सरकार नियमित रूप से निधियां रिलीज करने में समर्थ हो सके।

इस संबंध में सभी राज्यों को निम्नलिखित सदस्यों से राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति गठित करनी होती है :

- सचिव, पीएचईडी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग: सदस्य सचिव
- अभियंता प्रमुख, पीएचईडी/ग्रामीण जल आपूर्ति
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि: सदस्य
- सीजीडब्ल्यूबी का प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि: सदस्य
- राज्य एवं केन्द्रीय जल आयोग/बोर्ड का प्रतिनिधि: सदस्य
- राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) का प्रतिनिधि
- प्रसिद्ध राज्य और/अथवा संबंधित राष्ट्रीय संस्थाओं के तकनीकी विशेषज्ञ
- मुख्य अभियंता, आयोजना पीएचईडी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग: सदस्य
- निदेशक, जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन
- राज्य सचिव, पीएचईडी द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य (आवश्यकता आधारित)।

बैठक की कार्यसूची टिप्पणी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को 15 दिन पहले भेजी जानी चाहिए और इसके प्रतिनिधि को राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति की बैठक में निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली सभी आरडब्ल्यूएस परियोजनाएं और सभी शीर्षों के अंतर्गत सहायता क्रियाकलाप एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदित किए जाने होते हैं।

एसएलएसएससी के कार्य हैं :

- प्रत्येक वर्ष के आरंभ होने के पहले राज्य सरकार को दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित कवर की जाने वाली बसावटों की प्राथमिकता निर्धारण का पालन करते हुए लक्षित किए जाने वाली बसावटों और वर्ष में शुरू की जाने वाली योजनाएं और शुरू किए जाने वाले अन्य क्रियाकलापों के संबंध में वार्षिक कार्य-योजना तैयार करनी होगी।
- वार्षिक कार्य योजना जिसे वर्ष के पहले अथवा प्रारंभ में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, के आधार पर राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति के अनुमोदन के लिए लक्षित की जाने वाली बसावटों और शुरू की जाने वाली योजनाओं को निश्चित किया जाना चाहिए एवं आईएमआईएस पर चिन्हित किया जाना चाहिए।
- डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू), डब्ल्यूक्यूएम एंड एस, एमआईएस, आर एंड डी, एम एंड एफ आदि के अंतर्गत राज्य जल स्वच्छता सहायता संगठन द्वारा शुरू किए जाने वाले क्रियाकलापों की वार्षिक कार्य योजना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार करके एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदित करवाया जाना चाहिए।
- समिति में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत योजनाएं स्रोत वित्त-पोषण समिति द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी अनुमोदन दिया जाना चाहिए।
- राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अनुमोदित परियोजनाएं वर्ष के दौरान समाधानित/कवर की गई बसावटों के लेखांकन के लिए केन्द्रीय ऑनलाइन एमआईएस पर प्रविष्टि की जानी चाहिए।

- समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी चाहिए जिसमें नई परियोजनाओं की मंजूरी के अतिरिक्त, प्रगति, समापन और समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजनाओं के प्रारंभ होने की समीक्षा की जानी चाहिए।

स्रोत वित्तपोषण समिति

- समिति को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण बसावटों में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं की कार्य प्रणाली/निष्पादन की समीक्षा निश्चित रूप से करनी चाहिए।

3. राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए)

प्रत्येक राज्य में एसडब्ल्यूएसएम मंत्रालय के परामर्श से राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) के रूप में नामित प्रसिद्ध तकनीकी संस्थाओं जिसके लिए पीएचईडी/बोर्ड के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है, निर्धारित करेंगे। एसटीए का उपयोग पदों का सृजन एवं भर्ती किए बिना जरूरत पड़ने पर पीएचईडी की तकनीकी आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाएगा। पीएचईडी/बोर्ड ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की डिजाइन, निर्माण और राज्य विशिष्ट आर एंड डी क्रियाकलाप अथवा मंत्रालय द्वारा अपेक्षित ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना आदि जैसी अन्य जानकारी का आउटसोर्स कर सकते हैं। एसटीए के व्यापक कार्य नीचे दिए गए हैं;

- स्रोतों एवं प्रणालियों के स्थायित्व पर विशेष जोर देते हुए वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त एवं किफायती ग्रामीण जल आपूर्ति योजना एवं डिजाइन बनाने में राज्य के विभाग की सहायता करना।
- सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्रियाकलाप दोनों के लिए कार्य योजना बनाने में पीएचईडी की सहायता करना।

- एसएलएसएससी के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए एसएलएसएससी/ पीएचईडी द्वारा सौंपे गए प्रमुख/जटिल जल आपूर्ति योजनाओं का मूल्यांकन एवं जांच।
- कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं और राज्य स्तर पर संभावित परिवर्तन/समाधान के लिए क्षेत्र स्तर पर आयोजना एवं क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के संबंध में एसडब्ल्यूएसएम/एसएलएसएससी/पीएचईडी को जानकारी उपलब्ध कराना।
- विशिष्ट कार्यों में तकनीकी विशेषज्ञ को कार्य में लगाना।

4. जल एवं स्वच्छता संगठन

सभी राज्यों को डब्ल्यूक्यूएम एंड एस (डीडब्ल्यूटी प्रयोगशाला), एमआईएस/ कंप्यूटरीकरण, एम एंड ई, आईईसी एंड एचआरडी (डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू), आर एंड डी आदि जैसे कार्य को संचालित करने के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) के अंतर्गत जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) स्थापित करना होगा। जल एवं स्वच्छता के लिए सीसीडीयू को डब्ल्यूएसएसओ के साथ मिला दिया जाना चाहिए। ये ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनके लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता निधियों के रूप में शतप्रतिशत निधि उपलब्ध कराई जाती है। कार्मिकों को डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य में लगाया जा सकता है और राज्य सरकार को अपनी भूमिका एवं कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए। डब्ल्यूएसएसओ के मुख्यकार्य हैं :

- यह संगठन आरडब्ल्यूएस क्षेत्र के सॉफ्टवेयर पहलुओं से संबंधित कार्य करेगा;
- संगठन का मुख्य कार्य सुविधा प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करना होगा और पीएचईडी/बोर्ड तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी को सहायता करने वाले सामुदायिक संगठनों के बीच सामंजस्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा ताकि जल सुरक्षा योजना

बनाई जा सके और जल सुरक्षा योजना पर आधारित आरडब्लूएस परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण किया जा सके।

- सीसीडीयू जिसे डब्ल्यूएसएसओ के साथ मिला दिया गया है, के जरिए एचआरडी एवं आईईसी क्रियाकलापों को शुरू करना।
- मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, आर एंड डी क्रियाकलाप शुरू करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पीएचईडी के निष्कर्षों को साझा करना।
- एमआईएस एवं कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम, जीआईएस मानचित्रण और जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच सहित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू करना।
- राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अनुबंध-IV में यथा वर्णित ग्रामीण जल एवं स्वच्छता सहायता एवं प्रबंधन संगठन बनाने के लिए डब्ल्यूएसएसओ को सुदृढ़ बनाएं।

संस्थागत संरचना :

उन राज्यों में जहां दो अलग-अलग विभाग ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्य संचालित करते हैं, ऐसे राज्यों में कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार होगी:

ग्रामीण पेयजल के लिए		स्वच्छता के लिए	
निदेशक	1	राज्य समन्वयक	1
परामर्शदाता एचआरडी एवं आईईसी	1	परामर्शदाता एचआरडी एवं आईईसी	1
परामर्शदाता एम एंड ई	1	परामर्शदाता स्वच्छता एवं साफ-सफाई	1
परामर्शदाता जल वैज्ञानिक	1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	1
परामर्शदाता डब्ल्यूक्यूएम एंड एस	1	लेखाकार	1
लेखाकार	1		
डाटा एंट्री ऑपरेटर	1		

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

अन्य राज्यों में जहां ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्य का संचालन एक ही विभाग, डब्ल्यूएसएसओ और डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) द्वारा किया जाता है, को मिलाया जा सकता है और स्टाफ की संरचना इस प्रकार होगी :

निदेशक	1	परामर्शदाता डब्ल्यूक्यूएम एंड एस	1
परामर्शदाता एचआरडी	1	परामर्शदाता स्वच्छता एवं साफ-सफाई	1
परामर्शदाता आईईसी	1	लेखाकर	1
परामर्शदाता एम एंड ई	1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	2
परामर्शदाता जलवैज्ञानिक	1		

निम्नलिखित संचित मासिक परिलब्धियों के मान पर विचार किया जा सकता है। तथापि, प्रचलित स्थानीय स्थितियों के अनुसार राज्य स्तर पर निर्णीत भिन्नता के अध्यधीन लेकिन ऊपरी सीमा (2011 दर) के भीतर है।

निदेशक	50,000रु. से 60,000रु.
राज्य समन्वयक	40,000रु. से 50,000रु.
परामर्शदाता	30,000 रु. से 40,000रु.
लेखाकर	15,000रु. से 20,000रु. (अंशकालिक आधार पर हो सकता है)
डाटा एंट्री	10,000रु. से 15,000रु.

उपरोक्त सभी वेतन एवं प्रशासनिक व्यय को एनआरडीडब्ल्यूपी सहायता निधियों से वहन किया जाएगा।

डब्ल्यूएसएसओ स्टाफ का चयन उस समिति द्वारा किया जा सकता है जिसके संघटन निम्नप्रकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों में किसी बदलाव के साथ किया जाएगा :

प्रधान सचिव/राज्य में आरडब्ल्यूएस के प्रभारी सचिव	अध्यक्ष
प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता, पीएचईडी अथवा (आरडब्ल्यूएस विभाग), निदेशक (एनबीए)	सदस्य
राज्य सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ	सदस्य
भारत सरकार के दो प्रतिनिधि	सदस्य

5. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम)

जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) गठित किया जाएगा और जिला पंचायत/परिषद के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा। राज्य जहां समुचित पीआरआई व्यवस्था नहीं है, जैसा कि छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में होता है और वैकल्पिक तंत्र के जरिए डीडब्ल्यूएसएम की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करने के इच्छुक हैं उपयुक्त निकाय बना सकते हैं जिसके जरिए जिला जल सुरक्षा योजना बनाई जाएगी एवं कार्यान्वित की जाएगी। संपूर्ण ग्राम जल सुरक्षा योजना समेकित की जाएगी तथा डीडब्ल्यूएसएम द्वारा जिला स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा। यह कार्यान्वयन के लिए डीडब्ल्यूएसएम के मार्गदर्शन में जिला आधारित जल सुरक्षा योजना बनाएगा। जिला स्तर पर अन्य सभी संबंधित कार्यक्रमों का तालमेल एवं वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ प्रमुख संबंधित कार्यक्रम हैं: एमजीएनआरईजीएस, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम परियोजना केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग की निधियां, एनआरएचएम, कृषि मंत्रालय की विभिन्न वाटरशेड एवं सिंचाई योजनाएं, जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं/डीडब्ल्यूएसएम का संघटन एवं कार्य इस प्रकार होगा :

- जिला परिषद के अध्यक्ष डीडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता करेंगे। उन जिलों में जहां जिला परिषद गठित नहीं की गई है और कोई अध्यक्ष नहीं हैं तो जिला योजना समिति के अध्यक्ष

अथवा जिला कलेक्टर/उपायुक्त जो राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तय किया जा सकता है, डीडब्ल्यूएसएम के अध्यक्ष होंगे।

- सदस्य होंगे - जिला के सभी संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, जिला परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर/ उपायुक्त, जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण, आईसीडीएस, पीएचईडी, जल संसाधन, कृषि, सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी।
- गैर-सरकारी संगठनों का निर्धारण जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा तथा मिशन में सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।
- पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता/जिला परिषद के जिला अभियंता सदस्य सचिव और आहरण एवं संवितरण अधिकारी होंगे। सदस्य सचिव दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए प्रशासनिक सहायता के लिए उनके साथ मौजूदा असंरचना का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
- मिशन की बैठक कम से कम तीन माह पर होगी। जिला के संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य जो केन्द्र/राज्य सरकार में मंत्री भी हैं उन्हें जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की ओर से एक-एक प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्य इस प्रकार होंगे :

- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा एवं संपूर्ण स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं का निर्माण प्रबंधन एवं निगरानी तथा प्रगति।
- ब्लॉक पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की जांच एवं अनुमोदन और जहां आवश्यक हो उन्हें एसएलएसएससी के पास अग्रेषित करना।
- एजेंसियों और/गैर-सरकारी संगठनों का चयन और सामाजिक एकजुटता, क्षमता विकास, संचार, परियोजना प्रबंधन एवं-पर्यवेक्षण के लिए करार करना;

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

- जन प्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं आम जनता को जागरूक बनाना।
- सभी स्टेकहोल्डरों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाओं को कार्य में लगाना और संचार अभियान चलाना;
- स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, कृषि, ग्रामीण विकास आदि के जिला प्रतिनिधियों के बीच जल एवं स्वच्छता से संबंधित मुद्दों तथा सर्व शिक्षा अभियान, एनआरएचएम, आईसीडीएस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का समन्वय और
- एसडब्ल्यूएसएम, राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ परस्पर चर्चा।

संस्थागत संरचना

डब्ल्यूएसएसओ की संरचना की तर्ज पर डीडब्ल्यूएसएम ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता में जिला स्तर पर चल रहे विभिन्न क्रियाकलापों में तकनीकी एवं पेशेवर जानकारी की अपेक्षा करेगा। इस प्रकार डीडब्ल्यूएसएम में स्टाफ की संरचना की अनुमति इस प्रकार होगी :

परामर्शदाता एचआरडी	1	परामर्शदाता डब्ल्यूक्यूएम एंड एस	1
परामर्शदाता आईईसी	1	परामर्शदाता स्वच्छता एवं साफ-सफाई	1
परामर्शदाता एम एंड ई		लेखाकार	1
परामर्शदाता जलवैज्ञानिक	1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	1

डीडब्ल्यूएसएम स्तर पर परामर्शदाताओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष है। उन्हें 20,000 रु. से 30,000 रु. तक समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। राज्य सरकार से समुचित अनुमोदन के पश्चात भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। उपर्युक्त सभी के वेतन एवं प्रशासनिक व्यय को एनआरडीडब्ल्यूपी सहायता निधियों से वहन किया जाएगा।

डीडब्ल्यूएसएम जन शक्ति का चयन एक समिति द्वारा किया जा सकता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य स्तरीय प्रतिनिधि में किसी बदलाव के साथ किया जा सकता है।

निदेशक डब्ल्यूएसएसओ	अध्यक्ष
विभाग के अपर/संयुक्त/उप सचिव	सदस्य
राज्य विभागों द्वारा नामित किए जाने वाले विशेषज्ञ	सदस्य
भारत सरकार द्वारा नामित 2 विशेषज्ञ/अधिकारी-निदेशक, एसआईआरडी अथवा उसके प्रतिनिधि/ क्षेत्रीय सीजीडब्ल्यूबी अथवा उसके प्रतिनिधि	सदस्य

राज्य आउटसोर्सिंग के आधार पर डीडब्ल्यूएसएम के लिए कर्मियों की भर्ती के लिए स्वतंत्र होंगे।

6) ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी)

1. प्रस्तावना : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लागू होने के साथ परिवार स्तर पर केवल बसावटों की कवरेज से पेयजल सुरक्षा की ओर ध्यान संकेन्द्रण में परिवर्तन और आपूर्ति आधारित दृष्टिकोण से मांग प्रबंधित दृष्टिकोण की ओर ध्यान संकेन्द्रण में परिवर्तन हुआ है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य अभियान का नेतृत्व करने और अपने गांव को खुले में मल त्याग की प्रथा से मुक्त बनाने के लिए ग्राम समुदायों और ग्राम पंचायत को प्रेरित करके संपूर्ण स्वच्छता की कवरेज सुनिश्चित करना है। दीर्घकालीन आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायत एवं उनकी स्थायी समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी) और ग्राम सभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। एनआरडीडब्ल्यूपी का भी उद्देश्य पूर्ण अधिकार संपन्न, जागरूक एवं कुशल ग्राम पंचायत बनाना है जो ग्राम स्तरों पर जल आपूर्ति की आयोजना, कार्यान्वयन, परिचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन में सक्षम हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम पंचायतें/ जीपीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता की समझ विकसित करें और उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उन्हें जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण और पेयजल आपूर्ति एवं

स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के संचालन में सतत सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

2. ब्लॉक संसाधन केन्द्र : ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्रों में ब्लॉक पंचायतों की भूमिका को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि गांवों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता की स्थिति को मार्गदर्शन/सहायता एवं निगरानी उपलब्ध कराई जा सके। ब्लॉक पंचायत सहायता उपलब्ध कराने के लिए आदर्श इकाई है क्योंकि यह जिला पंचायत सहायता की अपेक्षा ब्लॉक पंचायत के नजदीक है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी) ग्राम समुदाय, ग्राम पंचायत और जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी को जागरूकता सृजन, अभिप्रेरण, एकजुट करने, प्रशिक्षण एवं संचालन में सतत सहायता उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर संस्थागत संरचना होगा। बीआरसी सॉफ्टवेयर सहायता के रूप में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का सुपुर्दगी खंड के विस्तार के रूप में कार्य करेगा और इसके और ग्राम पंचायतों/जीपीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी/ ग्राम समुदाय के बीच संपर्क का कार्य करेगा। बीआरसी द्वारा स्वच्छ पेयजल के विभिन्न पहलुओं के संबंध में ग्राम समुदाय के बीच क्षमता निर्माण करने के लिए उनकी समझ बेहतर बनाने में पहला उपाय होगा। यह ग्रामीण लोगों को निर्मल ग्राम की स्थिति प्राप्त करने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रभावी एवं किफायती प्रबंधन के साथ इसे बनाए रखने में भी मदद करेगा।

3. बीआरसी के कार्य : बीआरसी निम्नलिखित कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे :

- i. सभी गांवों में जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के गठन में ग्राम समुदाय की सहायता करना;

- ii. ग्राम पंचायत और जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी सदस्यों तथा ग्राम समुदायों के बीच जागरूकता सृजन एवं विकास संचार क्रियाकलाप संचालित करना;
- iii. जल एवं स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में गांव (आशाकार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विद्यालय शिक्षक, स्व-सहायता समूह, महिला एवं युवक मंडल आदि) में जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों और निचले स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना। यह कक्षा प्रशिक्षण, गांवों में तत्काल सहायता और प्रदर्शनी दौरों के जरिए हो सकता है;
- iv. मुख्य रूप से आईईसी एवं प्रशिक्षण क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले वार्षिक क्रियाकलाप कैलेण्डर बनाना तथा इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे;
- v. बेसलाइन सर्वेक्षण, उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले पेयजल स्रोतों और प्रणालियों के स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों/जीपीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी की सहायता करना;
- vi. ग्राम कार्य योजना और ग्राम सभा द्वारा इसके अनुमोदन में ग्राम समुदाय/ जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी/ग्राम पंचायतों की सहायता करना;
- vii. ग्राम कार्य योजना में यथा संकल्पित जल आपूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं से संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन एवं निगरानी में जीपीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी को मार्गदर्शन देना;
- viii. जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच तथा यह सुनिश्चित करने में कि वे जल गुणवत्ता जांच क्रियाकलाप संचालित करते हैं, में प्रशिक्षण निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय एवं अनुपालन;

- ix. पंचायतों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्व-सहायता समूहों, महिला एवं युवक मंडलों के साथ नियमित विचार-विमर्श ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल आपूर्ति, गुणवत्ता एवं स्वच्छता से संबंधित मामलों पर नियमित ध्यान दिया जाता है;
- x. शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के लिए बातचीत करने हेतु विद्यालयों का दौरा करना ताकि वे बेहतर साफ-सफाई, बेहतर स्वच्छता एवं जल के सुरक्षित उपयोग की आदतों को अपनाएं;
- xi. सामाजिक लेखा परीक्षा करने में सहायता करना;
- xii. जल गुणवत्ता जांच, गांवों की रिपोर्ट करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा उपचारात्मक उपाय संबंधी मार्गदर्शन के लिए प्रभावी उपाय करने के संबंध में ग्राम पंचायतों/जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी/पीएचईडी को चेतावनी देने के लिए जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला के साथ समन्वय करना;
- xiii. आईएमआईएस पर बसावट की स्थिति को अद्यतन बनाने के लिए जानकारी एकत्रित करने में सहायता करना।

4. बीआरसी में ब्लॉक पंचायतों की भूमिका : बीआरसी ब्लॉक पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत होंगे। यदि बीआरसी का संचालन एनजीओ द्वारा किया जाता है तो सदृश रिपोर्टिंग व्यवस्था की जाएगी। जिला स्तर पर बीआरसी का पर्यवेक्षण डीडब्ल्यूएसएम द्वारा किया जाएगा। यह डीडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य करेगा। ब्लॉक पंचायत बीआरसी का पर्यवेक्षण करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कमी ब्लॉक पंचायत द्वारा बनाई गई एवं डीडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार क्रियाकलापों को निष्पादित करते हैं।

5. बीआरसी का स्थान : बीआसी का स्थान ब्लॉक पंचायत के कार्यालय में होगा। तथापि, समूह समन्वयक का स्थान, जहां तक संभव हो, अपने संबंधित समूह में होगा।

6. बीआरसी की स्टाफ संरचना : बीआरसी के सभी कर्मियों को एसडब्ल्यूएसएम द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओंका अनुपालन करते हुए एनजीओ अथवा आउटसोर्स एजेंसीके जरिए डीडब्ल्यूएसएम द्वारा कार्य पर रखा जाएगा ताकि संविदा आधार विशिष्ट सेवाएंउपलब्ध कराई जा सकें, वार्षिक आधार पर नवीकरण किया जा सके और समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके। एसडब्ल्यूएसएम द्वारा बीआरसी का संचालन भी प्रसिद्ध एनजीओ को आउटसोर्स किया जा सकता है। किफायत हासिल करने के लिए यह वांछनीय होगा कि जिले में सभी बीआरसी का प्रबंधनएकल एनजीओ/ आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा हो जिन्हें सेवा पारिश्रमिक अथवा उपरिव्यय (सेवाकर सहित) के रूप में कुल व्यय की 12 प्रतिशत धन राशि दी जा सकती है।

कार्य पर लगाए गए बीआरसी कर्मों की निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयुसीमा और पारिश्रमिक होंगे।

6.1 बीआरसी कर्मियों की योग्यता, अनुभव और पारिश्रमिक

क्र.स.	बीआरसीकर्मि	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव	आयु सीमा	मासिक पारिश्रमिक	यात्रा भत्ता
1	ब्लॉक समन्वयक	पीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी एंड /डब्ल्यूक्यूएम एस/स्वच्छता आदि में कार्य का दो वर्ष का अनुभव के साथ	25 से 35 वर्ष के बीच भूतपूर्व सैनिक के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष	5000 रु.	गांव के दौरों के लिए 125रु.प्रतिदिन *
2	कलस्टर समन्वयक	पीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी एंड /डब्ल्यूक्यूएम एस/स्वच्छता आदि में कार्य	25 से 35 वर्ष के बीच भूतपूर्व सैनिक के मामले	4500 रु.	गांव के दौरों के लिए 100रु.प्रतिदिन

		के एक वर्ष के अनुभव के साथ जनसंचार/ समाज विज्ञान/ ग्रामीण अध्ययन में स्नातक	में अधिकतम आयु 45 वर्ष		*
--	--	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------	--	---

*गावों का दौरा किए गए दिवसों की संख्या माह में 10-15 दिन होनी चाहिए। उन्हें अधिमानतः रात्रि विश्राम के साथ गांवों में शाम की बैठक में उपस्थित होना चाहिए। 18 घंटे से कम का क्षेत्र दौरा को आधा दिन तथा 50 प्रतिशत यात्रा माना जाएगा।

6.2 कर्मियों की संख्या

निम्नलिखित पैमाने के अनुसार ब्लॉक की जनसंख्या के आधार पर बीआरसी में 24 कर्मी होंगे। ब्लॉक में ग्राम पंचायतों का निर्माण 2,3 अथवा 4 समूह, जैसा भी मामला हो, में होना चाहिए और संचालन के लिए बीआरसी कर्मियों में वितरित किया जाना चाहिए।

- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ब्लॉक की जनसंख्या (70,000 अथवा कम)- 2 कर्मी
अर्थात ब्लॉक समन्वयक अथवा क्लस्टर समन्वयक।
- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ब्लॉक की जनसंख्या (70,000 से 1.5 लाख)- 3 कर्मी
अर्थात ब्लॉक समन्वयक और 2 क्लस्टर समन्वयक।
- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ब्लॉक की जनसंख्या (1.5 लाख से अधिक)- 4 कर्मी
अर्थात ब्लॉक समन्वयक और 3 क्लस्टर समन्वयक।
- आंध्र प्रदेश के मामले में चूंकि संपूर्ण देश में 6442 ब्लॉकों में से 1099 ब्लॉक हैं इसलिए प्रति ब्लॉक एक समन्वयक की अनुमति होगी।

बीआरसी स्तर पर अन्य क्रियाकलापों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यकता एवं राज्य की योजना के आधार पर राज्य बीआरसी कर्मियों की योग्यता, अनुभव अथवा पारिश्रमिक को बढ़ा सकते हैं। तथापि, अतिरिक्त व्यय को राज्य सरकारद्वारा अपने संसाधनों में से वहन

किया जाएगा। एसडब्ल्यूएसएम संपूर्ण सहायक क्रियाकलापों के लिए वित्तीय परिव्यय निर्धारित करेगा। जहां तक सेवाशर्तों और कार्यकाल का संबंध है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार किसी देयता को वहन नहीं करेगा। चयन, सेवा शर्तों, जारी रखने संबंधी निर्णय लेना संबंधित राज्य सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी है।

7. **चयन प्रक्रिया :** एसडब्ल्यूएसएम उन गैर-सरकारी संगठनों के चयन के मामले में विशिष्ट योग्यता और मूल्यांकन मानदंड, चयन की रीति आदि संबंधी निर्णय करेगा जो कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत रहे हैं, पहले से ही जल एवं स्वच्छता/स्वास्थ्य/ ग्रामीण विकास/जल संसाधन विकास/वन प्रबंधन आदि का कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र के ज्ञान तथा विशेषज्ञता वाले को अधिमानता दी जाएगी। यदि आउटसोर्सिंग एजेंसी से कार्य पर लगाए गए कर्मों से बीआरसी को संचालित करने का निर्णय लिया जाना है तो एसडब्ल्यूएसएम जिला स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसी तथा कर्मों के चयन के लिए पारदर्शी एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियानिर्धारित कर सकता है। गैर-सरकारी संगठन अथवा आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति के जरिए अधिमानतः भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के साथ ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के राज्य प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में होना चाहिए। इसी प्रकार, गैर-सरकारी संगठन एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन के बाद जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर गैर-सरकारी संगठन अथवा आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों के चयन में राज्य/जिला प्रशासन का समुचित प्रतिनिधित्व रखा जाए।
8. **भूमिका एवं जिम्मेदारी :** प्रत्येक बीआरसी की अध्यक्षता ब्लॉक समन्वयक द्वारा की जाएगी। दल के अन्य सदस्य ब्लॉक समन्वयक को रिपोर्ट करेंगे। बीआरसी के सदस्यों को निम्नलिखित भूमिका एवं जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

8.1 ब्लॉक समन्वयक:

- (i) पैरा 6.3 में उल्लिखित बीआरसी के सभी कार्य को निष्पादित करना;
- (ii) सौंपी गई ग्राम पंचायत में फील्डवर्क करना;
- (iii) पेयजल एवं स्वच्छता में सामुदायिक एकजुटता से संबंधित मुद्दों का संचालन;
- (iv) ब्लॉक में सभी गांवों में जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के चयन/निर्वाचन में बैंक खाता खोलने, ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के प्रभारी पीएचईडी अधिकारियों के साथ समन्वय में ग्राम सभाओं की सहायता करना;
- (v) जल आपूर्ति तंत्रों की आयोजना, कार्यान्वयन, परिचालन एवं अनुरक्षण, जल गुणवत्ता जांचकरना, स्वच्छता सुविधाओं के अनुरक्षण के बारे में जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी/ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित करना;
- (vi) अपने जल आपूर्ति तंत्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण में ग्राम पंचायतों/जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी को सहायता देना;
- (vii) जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला में जल के नमूनों की जांच करवाना और ग्राम समुदाय/ग्राम पंचायतों, जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी को परिणाम की रिपोर्ट देना;
- (viii) यदि लोक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ऐसा तय होता है तो क्लोरिन की गोलियों का वितरण करना;
- (ix) जल एवं स्वच्छता से संबंधित होने पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए ब्लॉक स्तर के अभियंता से ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी के बीच जानकारी का आदान-प्रदान एवं समन्वय करना;
- (x) गांवों से मामला अध्ययन एवं सफलता की कहानियों को प्रलेखित करना;

(xi) बीआरसी के व्यय का दिन प्रतिदिन लेखांकन कार्य का संचालन।

8.2 कलस्टर समन्वयक

(i) बीआरसी के व्यय के लेखांकन के संचालन को छोड़कर ब्लॉक समन्वयक के लिए उल्लिखित सभी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को निष्पादित करना।

9. प्रशिक्षण : चयन के बाद बीआरसी कर्मियों को 10 दिवसीय आगमन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनके ज्ञान को अभिमुख एवं अद्यतन बनाया जा सके, क्षमता निर्माण एवं कौशल सुधार किया जा सके। ग्राम समुदाय से संबंधित कार्य निष्पादन के लिए संप्रेषण कौशल विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण इस तरह आयोजित किया जाना चाहिए कि वे जल के सम्मिलित उपयोग के बारे में जागरूक हो जाएं जिसमें गुणवत्ता निगरानी एवं जांच शामिल है। उन्हें पंचायत के प्रति सजग हो जाना चाहिए तथा पंचायती राज संस्थाओं की पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वास्थ्य, बीमारी, वैयक्तिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, जल का स्वच्छ उपयोग, पेयजल स्रोतों का संरक्षण आदि के बीच संबंध की बुनियादी विशेषताओं को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। इस क्षेत्र में अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में भी बीआरसी कर्मियों को जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे इस ज्ञान को ग्राम पंचायत/ जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी/ग्राम समुदाय को अंतरित कर सकें। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा एक सामान्य मॉड्यूल बनाया जाएगा तथा राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। राज्य मुख्य संसाधन केन्द्र (केआरसी) को सामान्य मॉड्यूल तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाना चाहिए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इन मॉड्यूलों को बनाने में केआरसी को मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। राज्य

केआरसी जिला स्तर पर आगमन प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। आगमन प्रशिक्षण के कम से कम दो सप्ताह में ग्राम विश्राम एवं क्षेत्र प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। चुनिंदा बीआरसी कर्मियों का कार्यकाल आगमन प्रशिक्षण के प्रथम दिन से शुरू होगा। केवल वे प्रशिक्षणार्थी जो आगमन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, को कार्य में लगाया जाना चाहिए। प्रत्येक माह डीडब्ल्यूएसएम प्रशिक्षण बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि उन्हें नई बातों से अवगत कराया जा सके तथा उनमें अभिवृत्ति संबंधी बदलाव को बढ़ावा दिया जा सके।

10. बीआरसी को वित्तपोषित करना: बीआरसी के कर्मियों, आकस्मिक खर्चों और क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय की पूर्ति सहायता क्रियाकलापों के लिए 5 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन से किया जाएगा। बीआरसी का एनआरएचएम, सर्व शिक्षा अभियान का ब्लॉक संसाधन केन्द्र, एमएनआरईजीएस, आईसीडीएस जैसे अन्य कार्यक्रमों के ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों से न कि स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करेगा। टीएससी/एनबीए, एनआरएचएम, आईसीडीएस आदि कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं आईईसी क्रियाकलापों का समेकन बीआरसी क्रियाकलापों के साथ किया जाएगा तथा प्रयासों का तालमेल किया जाएगा। राज्य सरकार भी अपनी निधियों से बीआरसी को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करा सकती है। ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी अधिकारी और/ अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद यह सुनिश्चित करेंगे कि बीआरसी कर्मियों को पारिश्रमिक एवं भत्तों के भुगतान के लिए गैर-सरकारी संगठनों अथवा आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान करने के लिए उचित स्तर पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं और माह के 7वें दिन के पहले उन्हें निश्चित रूप से इनका वास्तविक भुगतान किया जाता है। बीआरसी खाताबही रखने तथा मंत्रालय की समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली के संबंध में उनके वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन के संबंध में

रिपोर्ट देने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उपयुक्त रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा तथा उपलब्ध कराया जाएगा।

11. बीआरसी की उपलब्धियां : एसडब्ल्यूएसएम उस वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में सफलता के निम्नलिखित संकेतक के रूप में प्रत्येक डीडब्ल्यूएसएम से लक्षित उपलब्धियों को परिमाणीकृत करेगा। इसके बाद, डीडब्ल्यूएसएम उसी संकेतक की तुलना में प्रत्येक बीआरसी के लिए लक्षित उपलब्धियों को परिमाणीकृत करेगा। डीडब्ल्यूएसएम को सलाह दी जाती है कि वह जिला स्तर पर एनआरडीडब्ल्यूपी, टीएससी/एनबीए, एनआरएचएम, एसएसए, आईसीडीएस आदि के अंतर्गत आईईसी एवं प्रशिक्षण क्रियाकलापों को समेकित करे ताकि इन विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दिए गए संदेश में स्वच्छ जल, बेहतर स्वच्छता, साफ-सफाई, स्वास्थ्य एवं पोषण के पहलू शामिल रहेंगे और गांवों में क्रियाकलापों का विस्तार लक्षित गांवों में किया जाएगा। इनमें शामिल हैं :

- (i) गांवों के किए गए दौरों की संख्या
- (ii) जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी बनाए गए सभी गांवों की संख्या
- (iii) सभी जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के लिए खोले गए जीपीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी खातों की संख्या
- (iv) उन ग्राम सभाओं की संख्या जिनमें बीआरसी कर्मियों ने भाग लिया और जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई के मामलों के बारे में बातचीत की।
- (v) दौरा किए गए विद्यालयों और जागरूकता संबंधी की गई वार्ताओं की संख्या
- (vi) दौरा किए गए आंगनवाडियों और जागरूक बनाए गए कामगारों की संख्या

- (vii) I.जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी सदस्यों, II. ग्राम पंचायत सदस्यों, III.निचले स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए (क) ग्राम स्तर (ख) ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या।
- (viii) (क) ग्राम स्तर (ख) ब्लॉक स्तर से (i) जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी सदस्यों (ii) ग्राम पंचायत सदस्यों (iii) निचले स्तर के अन्य कामगारों को उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण दिवसों की संख्या।
- (ix) उन गांवों की संख्या जहां किटों का उपयोग कर जल गुणवत्ता जांच की जाती है और सभी पेयजल स्रोतों के लिए कितनी बार ऐसी जांच कराई गए प्रत्येक पेयजल स्रोत की वर्ष में कम से कम दो बार जांच की जाए।
12. डीडब्ल्यूएसएम की भूमिका: डीडब्ल्यूएसएम बीआरसी के समग्र कार्यों और क्रियाकलापों की निगरानी करेगा और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देगा। यह बीआरसी कर्मियों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री, आईईसी सामग्री आदि सुनिश्चित करेगा। ब्लॉक पंचायत और उसके बाद डीडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार बीआरसी मासिक क्रियाकलाप योजना बनाएगा और इसे सार्वजनिक रूप में विशेषकर बीआरसी के बाहर सूचना-पट पर रखा जाएगा और उसे ब्लॉक पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ब्लॉक पंचायत तथा डीडब्ल्यूएसएम की बैठकों में मासिक आधार पर उसकी निगरानी की जाएगी। डीडब्ल्यूएसएम बीआरसी के स्टाफ पर व्यय, प्रशासनिक व्यय और क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए ब्लॉक पंचायत के एनआरडीडब्ल्यूपी सहायक घटक से निधियां रिलीज करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि बीआरसी के कर्मों प्रत्येक माह के 7वें दिन के पहले कर्मियों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

13. **एसडब्ल्यूएसएम की भूमिका** :एसडब्ल्यूएसएम बीआरसी के स्वरूप के संबंध में निर्णय करेगा कि क्या उन्हें गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित किया जाना है अथवा आउटसोर्सिंगएजेंसी के जरिए कर्मियों की सेवाएं ली जानी हैं। ब्लॉक पंचायत और डीडब्ल्यूएसएम की भूमिका उन्हें सौंपे गए कार्यों के आधार पर राज्य दर राज्य अलग-अलग हो सकती है। एसडब्ल्यूएसएम के पास एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों की भावना अर्थात ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता में पंचायतों की भूमिका के सुदृढीकरण को ध्यान में रखते हुए पैरा 6 में उल्लिखित वित्तीय सीमाओं को छोड़कर इन दिशानिर्देशों में बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था को समुचित रूप से आशोधित करने की शक्ति होगी। यह गैर-सरकारी संगठनों/ आउटसोर्सिंग एजेंसियों/ बीआरसी कर्मियों के लिए विस्तृत चयन प्रक्रियाविधिनिर्धारित करेगा और गैर-सरकारी संगठनों/एजेंसियों का चयन करेगा। यह मुख्य संसाधन केंद्रों में बीआरसी कर्मियों के लिए आगमन प्रशिक्षण एवंपुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने का कार्य सौंपेगा। यह उनके चयन के 15 दिनों के भीतर आरंभ करने के लिए बीआरसी कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए आगमन प्रशिक्षण कैलेंडर अनुमोदित करेगा। एसडब्ल्यूएसएम, बीआरसी के वित्तपोषण के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी सहायक घटक से डीडब्ल्यूएसएम को निधियों का अंतरण करेगा और उनके उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश देगा। यह सहायता निधि से प्रत्येक बीआरसी के लिए कर्मियों, आकस्मिक खर्चों और अन्य क्रियाकलापों के लिए वित्तीय परिव्यय निर्धारित करेगा। एसडब्ल्यूएसएम वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने, व्यय वितरण, बीआरसी द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र के बारे में विस्तृत निर्देश निर्धारित/जारी करेगा ताकि सहायक क्रियाकलाप तथा क्रियाकलाप संबंधी रिपोर्ट को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत करने के लिए एसडब्ल्यूएसएम द्वारा अंतिम रूप दिया जा सके।

7. ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

ग्राम पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं बनाने, निगरानी, कार्यान्वयन और प्रबंधन करने के लिए निधियों, कार्यों एवं कर्मियों और क्षमता निर्माण के साथ अधिकार सम्पन्न बनाया जाना चाहिए।

विकेन्द्रीकृत प्रशासन के प्राथमिक खंड के रूप में ग्राम सभा की बैठकें जल आपूर्ति योजना, निर्माण, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन चरण में आयोजित की जानी चाहिए ताकि मांग, सेवा सुपुर्दगी का स्तर, योजना का प्रकार, परिवारों द्वारा योगदान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं बीपीएल परिवारों को छूट, प्रयोक्ता प्रभार आदि जैसे मामलों के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

शक्तियों एवं जिम्मेवारियों को विकेन्द्रीकृत करने तथा जल एवं स्वच्छता संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान संकेन्द्रित करने के उद्देश्य से जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम/वार्ड में ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी) गठित की जानी होती है ताकि ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस समिति को एनआरएचएम के अंतर्गत गठित ग्राम स्वच्छता स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के साथ मिलाया जा सकता है ताकि ग्राम/वार्ड स्तर पर जल, स्वच्छता, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों का समाधान साथ-साथ किया जा सके। जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी की सदस्यता लगभग 6 से 12 व्यक्तियों को दी जा सकती हैं जिसमें पंचायतों के सदस्य शामिल रहते हैं। जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी में गांव के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी की कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य

महिलाएं होनी चाहिए। यह समिति ग्राम पंचायती की जल एवं स्वच्छता संबंधी स्थायी समिति/उप- समिति के रूप में कार्य करेगी और ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत का अभिन्न हिस्सा होगी जिसके लिए, यदि आवश्यक हो, राज्य पंचायती राज अधिनियम/नियम/ उपनियम में उचित संशोधन किया जा सकता है।

जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :

- ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता क्रियाकलापों की आयोजना, डिजाइन एवं कार्यान्वयन;
- जल एवं स्वच्छता संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को तथ्य एवं आंकड़े उपलब्ध कराना;
- ग्राम जल सुरक्षा योजना के लिए जानकारी उपलब्ध कराना;
- गांवों के अन्दर योजना संबंधी क्रियाकलापों के सभी चरणों में सामुदायिक भागीदारी और निर्णय को सुनिश्चित करना;
- नकद एवं वस्तु दोनों (भूमि, श्रम और सामग्री) में यदि कोई हो, पूंजी लागत के लिए सामुदायिक अंशदान जुटाना;
- सामुदायिक नकद अंशदान, परिचालन एवं अनुरक्षण निधियां और परियोजना प्रबंधन निधियां जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना और प्रबंधन करना;
- लाइन विभाग के कर्मियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के जरिए, अंतः ग्राम जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी पूरे किए गए निर्माण कार्य को अधिग्रहित करना;
- स्थायी आधार पर सेवाओं के परिचालन एवं अनुरक्षण के समुचित प्रबंधन एवं वित्तपोषण के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए प्रशुल्क,

- प्रभार एवं निक्षेप प्रणाली के जरिए निधियों का संग्रहण करना और योजनाओं के दिन-प्रतिदिन के परिचालन एवं मरम्मत के लिए महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाना;
- बहु-ग्राम योजनाओं के लिए, ब्लॉक पंचायत की स्थायी समिति ऐसी भूमिका निभा सकती है।

8. डब्ल्यूएसएसओ विशेषज्ञ कर्मचारी (सुझाव संबंधी) की वांछनीय योग्यता एवं अनुभव

1. निदेशक

कार्य एवं योग्यता

- डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू) के प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रधान के रूप में यह वांछनीय है कि व्यक्ति के पास न्यूनतम 15 वर्षों का ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता का ज्ञान और स्टेकहोल्डरों विशेषकर पंचायती राज संस्था/जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससीकर्मियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अच्छी समझ हो। यह भी वांछनीय है कि व्यक्ति क्षेत्र विशेष के अनुकूल सामुदायिक भागीदारीपूर्ण तकनीक एवं आईईसी मॉड्यूल को समझते हों तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए प्रभावी एचआरडी तथा आईईसी मॉड्यूल बनाने में सक्षम हो, कार्यक्रम एवं परियोजना निगरानी तथा मूल्यांकन विशेषकर ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र का अनुभव हो।
- प्रशिक्षण पैकेज की आयोजना/निर्माण कार्य के लिए सभी मुख्य संसाधन संस्थाओं के साथ समन्वय करना।

- प्रशिक्षण कार्यनीतियां बनाने एवं आरडब्ल्यूएस के तहत सुधार की गति तेज करने के लिए प्रशिक्षण कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों/संस्थाओं/ विदेशी सहायता एजेंसियों के साथ संपर्क कायम करना।
- निगरानी एवं मूल्यांकन योजना, निगरानी एवं मूल्यांकन फार्मेट तथा एचआरडी कार्यान्वयन एवं इसके गुणात्मक प्रभाव के लिए तंत्र बनाना।

कम से कम 15 वर्षों के अनुभव के साथ विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/एचआरडी/पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री वांछनीय है।

II. राज्य सह-समन्वयक

कार्य एवं योग्यता

कम से कम 7 वर्ष के अनुभव के साथ विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/एचआरडी/ पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री वांछनीय है, अथवा

कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के साथ विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/एचआरडी/ पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री।

राज्य सह-समन्वयक के रूप में वही कार्य जो निदेशक के हैं।

III. परामर्शदाता

(i) एचआरडी विशेषज्ञ

कार्य :

- प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करना और आरडब्ल्यूएस/टीएससी/ एनबीए एवं विद्यालय स्वच्छता के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना।
- राज्य के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना बनाना और जिलों की अपनी योजना बनाने में मार्गदर्शन करना।
- समीक्षा के लिए एचआरडी कार्यक्रमों के संबंध में जिलों द्वारा भेजी गई प्रगति रिपोर्टों का विश्लेषण करना।
- राज्यों/जिलों को रिलीज की गई सभी निधियों का अभिलेख बनाना एवं अद्यतन करना।
- नियमित मासिक/तिमाही/वार्षिक ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए जिलों के साथ चर्चा।
- निदेश पर कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिलों का दौरा।
- जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कर्मियों के साथ चर्चा एवं समीक्षा के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्टें तैयार करना तथा विश्लेषण करना।
- निदेशक (डब्ल्यूएसएसओ/सीसीडीओ) द्वारा यथा निदेशित कोई अन्य कार्य करना।

न्यूनतम अपेक्षा

- ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास अथवा ऐसे ही क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के साथ विज्ञान/पर्यावरणविज्ञान/एचआरडी/पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री।
- भागीदारीपूर्ण विधियों एवं उनके अनुप्रयोग का ज्ञान एक विशेषता होगी।
- ग्रामीण जल आपूर्ति एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में अनुभव वाले उम्मीदवार को अधिमानता।
- ग्राफिक्स सहित कंप्यूटर एमएस आफिस का उपयोग करने का ज्ञान, योग्यता।
- उत्कृष्ट लेखन एवं मौखिक संप्रेषण कौशल होना चाहिए।

- विकासात्मक मामलों, सामाजिक नीतियों और विभिन्न सरकारी विभागों, संसाधन संस्थाओं, एनजीओ, वैयक्तिक विशेषज्ञों के साथ संपर्क करने की योग्यता के संबंध में अद्यतन होना चाहिए।
- विभिन्न साझेदारों के साथ कार्य करने की योग्यता, स्थापित श्रेष्ठ कार्य व्यवहार संबंध, विश्लेषण, वार्ता करने की योग्यता एक अतिरिक्त विशेषता होगी।

(ii) आईईसी विशेषज्ञ

कार्य :

- ग्रामीण जल आपूर्ति स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आईईसी क्रियाकलापों से संबंधित सभी मुद्दे।
- आरडब्ल्यूएस क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम संचार संबंधी दिशानिर्देशों, मार्गदर्शन नियमावली और तकनीकी नोट तैयार करना।
- राज्य के लिए वार्षिक आईईसी योजना बनाना और जिलों को अपनी योजना बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- सभी जिलों और ब्लॉकों को जल एवं स्वच्छता के लिए उपलब्ध आईईसी सामग्री के प्रचार-प्रसार का समन्वय करना।
- सफलता की कहानियों/श्रेष्ठ प्रक्रियाओं/संस्थागत व्यवस्था आदि का प्रलेखन।
- स्वच्छता/साफ-सफाई संबंधी शिक्षा के लिए संचार संबंधी समीक्षा बैठकें, गोष्ठियां और कार्यशालाएं, आधारभूत प्रलेख एवं अंतिम रिपोर्ट तैयार करना।
- आरडब्ल्यूएस एवं टीएससी/एनबीए के आईईसी पहलुओं के संबंध में जिला कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह देना: (मांग सृजन/आईईसी साफ-सफाई संवर्द्धन, विद्यालय स्वच्छता एवं

साफ-सफाई, तकनीकी विकल्प, वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र, स्व सहायता समूह, जल एवं स्वच्छता के लिए सूक्ष्म वित्तपोषण)

- जिला एवं ब्लॉक कर्मियों के साथ चर्चा एवं समीक्षा के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।

न्यूनतम अपेक्षा

- ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता/सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के साथ सामाजिक कार्य/सामाजिक विज्ञान/विस्तार सेवा/संचार में स्नातकोत्तर डिग्री।
- ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, पीआरआई प्रणाली एवं एनजीओ नेटवर्क का अच्छा ज्ञान एवं अनुभव।
- संचार कार्यनीति निर्माण, आईईसी सहयोग का कार्यान्वयन एवं प्रभाव मूल्यांकन का अनुभव।
- ग्राफिक्स सहित कंप्यूटर, एमएस ऑफिस का उपयोग करने का ज्ञान एवं योग्यता आवश्यक है।
- उत्कृष्ट लेखन एवं मौखिक संप्रेषण कौशल।
- बिना किसी सचिवीय सहायता के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की योग्यता।
- विकास संबंधी नीतियों, सामाजिक नीतियों के संबंध में अद्यतन होना चाहिए और विभिन्न विभागों, संस्थाओं, एनजीओ एवं विशेषज्ञों के साथ संपर्क करने की योग्यता होनी चाहिए।
- अच्छा कार्य व्यवहार संबंध स्थापित करने, विश्लेषण, वार्ता करने की योग्यता अतिरिक्त विशेषता होगी।

(iii) एम एंड ई विशेषज्ञ

कार्य :

- ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के अंतर्गत सभी मौजूदा आरडब्ल्यूएस एंड एस परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आंकड़ा अद्यतन एवं ऑन-लाइन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
- आरडब्ल्यूएस एवं टीएससी/एनबीए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन की स्वतंत्र निगरानी करना।
- आरडब्ल्यूएसएम/एसएलएसएससी बैठकों के लिए वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का विश्लेषण एवं स्थिति संबंधी रिपोर्ट तैयार करना।
- प्रत्येक जिला द्वारा आरडब्ल्यूएस एवं टीएससी/एनबीए के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रियाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण करना और समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।
- निगरानी नेटवर्क विकसित करने के लिए मुख्य/संसाधन संस्थाओं के साथ संपर्क कायम करना।
- ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के एम एंड ई पहलू के संबंध में समीक्षा बैठक, गोष्ठी, कार्यशालाएं आयोजित करने में सहायता करना।
- अपनाए गए एम एंड ई कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन करने के लिए जिलों एवं ब्लॉकों का दौरा करना और निदेशक (डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू)) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- निदेशक (डब्ल्यूएसएसओ (सीसीडीयू)) द्वारा यथा निदेशित किसी अन्य कार्य को करना।

न्यूनतम अपेक्षा

- ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता और ग्रामीण जल कार्यक्रमों की निगरानी के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के साथ पर्यावरण/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में डिग्री, अथवा विज्ञान/सांख्यिकी/सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।
- आरडब्ल्यूएसएस/ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अच्छा ज्ञान।
- आरडब्ल्यूएसएस/ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन, निगरानी एवं समीक्षा का ज्ञान।
- ग्राफिक्स सहित कंप्यूटर, एमएस ऑफिस का ज्ञान एवं योग्यता आवश्यक है।
- वेब आधारित/वेब समर्थित एम एंड ई कार्यक्रम का ज्ञान वांछनीय है।
- उत्कृष्ट लेखन एवं मौखिक संप्रेषण कौशल।
- बिना किसी सचिवीय सहायता के स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की योग्यता।
- विकास संबंधी मामलों, सामाजिक नीतियों के संबंध में अद्यतन होना चाहिए और विभिन्न विभागों, संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों एवं विशेषज्ञों के साथ संपर्क करने की योग्यता होनी चाहिए।
- अच्छा कार्य व्यवहार संबंध बनाने, विश्लेषण, वार्ता करने की योग्यता अतिरिक्त विशेषता होगी।

अनुबंध-VIII

प्रबंधन अन्तरण सूचकांक

ग्रामीण आबादी प्रबंधन संबंधी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए प्रबंधन अंतरण सूचकांक हेतु संकेतकों और वेटेज की सूची।

क्र.स.	अन्तरण संकेतक	उप संकेतक के लिए वेटेज %	इकाई
1	2	3	4
1	पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का अंतरण		
1.1	पंचायती राज संस्थाओं को हैंडपंपों के अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का सृजन करने के लिए राज्य अधिनियमों तथा/ अथवा कार्यकारी आदेशों/ समझौता ज्ञापनों में जिम्मेवारी के अंतरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।	2	पूर्णतः:-1 आंशिक:-0.5 शून्य:-0
1.2	पंचायती राज संस्थाओं को एकल ग्राम पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु राज्य कार्यों तथा/ अथवा कार्यकारी आदेशों/ समझौता ज्ञापनों में जिम्मेवारी के अन्तरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।	2	पूर्णतः:-1 आंशिक:-0.5 शून्य:-0
1.3	पंचायती राज संस्थाओं को हैंडपंपों के अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का सृजन करने के लिए राज्य अधिनियमों तथा/ अथवा कार्यकारी आदेशों/ समझौता ज्ञापनों में जिम्मेवारी के अन्तरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।	2	पूर्णतः:-1 आंशिक:-0.5 शून्य:-0
1.4	पंचायती राज संस्थाओं को एकल ग्राम पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु राज्य कार्यों तथा/ अथवा कार्यकारी आदेशों/ समझौता ज्ञापनों में जिम्मेवारी के अन्तरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।	2	पूर्णतः:-1 आंशिक:-0.5 शून्य:-0
1.5	हैंडपंपों का अनुपात जिनका संचालन एवं अनुरक्षण पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित कर दिया गया है।	2	अधिकतम-1 न्यूनतम-0

1.6	एकल ग्राम पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं का अनुपात जिनका संचालन एवं अनुरक्षण पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित कर दिया गया है।	2	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
1.7	डीडब्ल्यूएससी राज्य अधिनियम/ नियमावली के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थायी/ उप-समितियां होनी चाहिए।	2	हां:-1 नहीं:-0
1.8	पेयजल स्रोतों का अनुपात जिनके लिए आईएमआईएस के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान जल गुणवत्ता जांच की गई थी।	6	हां:-1 नहीं:-0
	कार्यों के लिए जोड़:	20	
2	पंचायती राज संस्थाओं को निधियों की उपलब्धता/ अंतरण		
2.1	जिला परिषद लेखों के अधीनस्थ पंचायती राज संस्थाओं/ डीडब्ल्यूएसएम के अंतरित एनआरडीडब्ल्यूपी (कवरेज एवं गुणवत्ता) निधियों (केंद्र+राज्य अंश) का अनुपात	15	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
2.2	ग्राम पंचायत लेखों के अंतरित एनआरडीडब्ल्यूपी (ओ एंड एम) (केंद्र+राज्य अंश) का अनुपात	15	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
2.3	क्या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य योजनागत/ गैर-योजनागत से बंधनमुक्त अनुदान ग्राम पंचायतों को अंतरित किए गए हैं।	5	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
2.4	क्या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य वित्त आयोग से बंधनमुक्त अनुदान ग्राम पंचायतों को अंतरित किए गए हैं।	5	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
2.5	क्या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पेयजल आपूर्ति योजनाओं में पम्पिंग के लिए बिजली प्रभार की यूनिटें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यूनिट प्रकार की न्यूनतम स्लैब की तुलना में समान हैं अथवा कम हैं।	5	हां:-1 नहीं:-0
2.6	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संग्रहीत जल प्रभार तंत्र का प्रतिशत	5	अधिकतम-100 न्यूनतम-0
	पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित निधियों का जोड़	50	
3	पंचायती राज संस्थाओं की सहायता के लिए उपलब्ध कराए गए कर्मों		
3.1	ब्लॉकों का अनुपात जहां ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए केवल 1 लाख ग्रामीण आबादी पर एक	5	अधिकतम-1 न्यूनतम-0

	की दर से पीएचईडी/ पीआरईडी/ जिला परिषद/ बीपी में ब्लाक स्तरीय डिप्लोमा/ ग्रेजुएट इंजीनियर उपलब्ध हैं।		
3.2	डीडब्ल्यूएसएम परामर्शदाताओं के भरे गए पदों का अनुपात	5	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
3.3	बीआरसी समन्वयकर्ताओं के भरे गए पदों का अनुपात	5	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
3.4	आरडब्ल्यूएस समारोहों में कम से कम 2 दिन के लिए प्रशिक्षित वीडब्ल्यूएससी सदस्यों का अनुपात	5	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
3.5	आईईसी तथा एचआरडी गतिविधियों पर व्यय की गई एनआरडीडब्ल्यूपी सहायता का अनुपात	5	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
	पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित निधियों का जोड़	25	
4	बेहतर प्रबंधन संकेतक		
4.1	राज्य घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए गए परिवारों का अनुपात	2	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
4.2	मीटरीकृत बल्क जल आपूर्ति वाले ग्रामों का अनुपात	3	अधिकतम-1 न्यूनतम-0
	बेहतर प्रबंधन संकेतक	5	
	प्रबंधन अन्तरण सूचकांक	100	

अनुबंध-IX

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत निधियों की रिलीज के लिए प्रपत्र

राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम :

(लाख रु. में)

एससीएसपी	टीएसपी	सामान्य	कुल
----------	--------	---------	-----

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

1. पिछले वर्ष की 1 अप्रैल को उपयोग न की गई अथशेष राशि
एनआरडीडब्ल्यूपी
डीडीपी-क्षेत्र
जल गुणवत्ता (निर्धारित निधियां)
सहायक निधियां
डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियां
विशेष सहायता/आपदा, यदि कोई हों
2. पिछले वर्ष के दौरान जारी धनराशि
एनआरडीडब्ल्यूपी
डीडीपी-क्षेत्र
जल गुणवत्ता (निर्धारित निधियां)
सहायक निधियां
डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियां
विशेष सहायता/आपदा, यदि कोई हों

3. पिछले वर्ष के दौरान जारी धनराशि
एनआरडीडब्ल्यूपी
डीडीपी-क्षेत्र
जल गुणवत्ता (निर्धारित निधियां)
सहायक निधियां
डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियां
विशेष सहायता/आपदा, यदि कोई हो
4. पिछले वर्ष के दौरान व्यय
 - क. एनआरडीडब्ल्यूपी
 - क) कवरेज
 - ख) जल गुणवत्ता
 - ग) स्थायित्व
 - घ) परिचालन एवं अनुरक्षण
 - ख. डीडीपी-क्षेत्र
 - ग. जल गुणवत्ता (निर्धारित निधियां)
 - घ. सहायक निधियां
 - ड. डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियां
 - च. विशेष सहायता, यदि कोई हो (अर्थात आपदा निधि की रिलीज)
5. आईएमआईएस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष के अंत में उपयोग न की गई अंतशेष राशि
 - क. एनआरडीडब्ल्यूपी
 - क) कवरेज
 - ख) जल गुणवत्ता
 - ग) स्थायित्व
 - घ) परिचालन एवं अनुरक्षण

ख. डीडीपी-क्षेत्र

ग. जल गुणवत्ता (निर्धारित निधियां)

घ. सहायक निधियां

ड. डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियां

च. विशेष सहायता, यदि कोई हो (अर्थात आपदा निधि की रिलीज)

6. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी धनराशि

क. एनआरडीडब्ल्यूपी

क) कवरेज

ख) जल गुणवत्ता

ग) स्थायित्व

घ) परिचालन एवं अनुरक्षण

ख. डीडीपी-क्षेत्र

ग. जल गुणवत्ता (निर्धारित निधियां)

घ. सहायक निधियां

ड. डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियां

च. विशेष सहायता, यदि कोई हो (अर्थात आपदा निधि की रिलीज)

7. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल निधियां

क. एनआरडीडब्ल्यूपी

क) कवरेज

ख) जल गुणवत्ता

ग) स्थायित्व

घ) परिचालन एवं अनुरक्षण

ख. डीडीपी-क्षेत्र

ग. जल गुणवत्ता (निर्धारित निधियां)

घ. सहायक निधियां

ड. डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियां

च. विशेष सहायता, यदि कोई हो (अर्थात आपदा निधि की रिलीज)

8. अद्यतन आईएमआईएस रिपोर्ट के अनुसार व्यय

क. एनआरडीडब्ल्यूपी

क) कवरेज

ख) जल गुणवत्ता

ग) स्थायित्व

घ) परिचालन एवं अनुरक्षण

ख. डीडीपी-क्षेत्र

ग. जल गुणवत्ता (निर्धारित निधियां)

घ. सहायक निधियां

ड. डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियां

च. विशेष सहायता, यदि कोई हो (अर्थात आपदा निधि की रिलीज)

एमएनपी

9. पिछले वर्ष में प्रावधान

पिछले वर्ष में किया गया व्यय

10. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान

पिछले वर्ष के दौरान किया गया व्यय

क) कवरेज

ख) जल गुणवत्ता

ग) स्थायित्व

घ) परिचालन एवं अनुरक्षण

कुल व्यय

11. एससी/एसटी के अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान किया गया व्यय

एमएनपी		एनआरडीडब्ल्यूपी	
राशि	कुल व्यय की राशि का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय की राशि का प्रतिशत

(क) अनु. जाति

(ख) अनु. जनजाति

कुल

12. पिछले वर्ष के दौरान परिचालन एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय

एमएनपी		एनआरडीडब्ल्यूपी	
राशि	कुल व्यय की राशि का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय की राशि का प्रतिशत

13. पिछले वर्ष के दौरान स्थायित्व पर किया व्यय

एमएनपी		एनआरडीडब्ल्यूपी	
राशि	कुल व्यय की राशि का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय की राशि का प्रतिशत

14. (क) पिछले वर्ष तक अनुमत योजनाओं की लागत

(ख) पिछले वर्ष के अन्त तक किया गया व्यय

(ग) पहले से चल रही योजनाओं/अभी शुरू की जाने वाली योजनाओं को पूराकरने हेतु अपेक्षित शेष देयता (राशि)

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में.....मास तक अनुमत योजनाएं

टिप्पणी:

- (i) जिला-वार ब्यौरा अलग अनुबंध में दिया जाए।
 - (ii) यदि उपरोक्त (ग) में दी गई राशि (क) और (ख) के बीच अन्तर से अधिक है, तो उसके कारण दिए जाएं।
15. एनआरडीडब्ल्यूपी, एमएनपी, डीडीपी तथा एम एंड आई एककों के लिए अलग से निम्नलिखित प्रमाणपत्र/विवरण संलग्न करें:
- (i) विगत वित्तीय वर्ष से पूर्ण वर्ष के लिए राज्य के महालेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित व्यय के आंकड़े। यदि उपलब्ध नहीं हैं तो उसके कारण बताएं।
 - (ii) आईएमआईएस से प्रिंटआउट विवरण की प्रति जिसमें पिछले वर्ष में वास्तविक व्यय के जिलावार आंकड़ों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान के आंकड़े सूचित किए जाएं।
 - (iii) आरडब्ल्यूएस के प्रभारी सचिव द्वारा प्रमाणित पिछले वित्तीय वर्ष में एमएनपी, एनआरडीडब्ल्यूपी, डीडीपी और एम एंड आई एककों के अंतर्गत हुए वास्तविक व्यय के उपयोग प्रमाणपत्र प्रपत्र की आईएमआईएस से ली गई प्रिंटआउट प्रतिलिपि।
 - (iv) इस आशय का प्रमाणपत्र कि राज्य सरकार तैयार न हुए कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और यह कि कार्यों की गुणवत्ता तथा टिकारूपन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।
 - (v) इस आशय का प्रमाणपत्र कि समय और लागत वृद्धि के कारण एनआरडीडब्ल्यूपी योजनाओं की लागत में प्रभारों और मूल्यवृद्धि को एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों से पूरा नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

यदि इसे एनआरडीडब्ल्यूपी से पूरा किया गया है तो कृपया प्रत्येक वर्ष में राशि का ब्यौरा दें तथा क्या इस बारे में भारत सरकार से अनुमोदन ले लिया गया था।

16. कार्यान्वयन एजेंसियों को चालू वित्तीय वर्ष में रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा :

कार्यक्रम एजेंसी का नाम एजेंसी को जारी की गई धनराशि आदेश सं. तथा रिलीज की तारीख

राज्य

एनआरडीडब्ल्यूपी

हस्ताक्षर

(राज्य जल आपूर्ति के प्रभारी सचिव)

स्थान

दिनांक

अनुबंध-X

वर्ष 20.....-20..... के लिए उपयोग प्रमाणपत्र

(ग्रामीण जल एवं स्वच्छता के प्रभारी सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाए)

(एससीएसपी, टीएससी तथा सामान्य के अंतर्गत निधियों के आवंटन, रिलीज और उपयोग का अलग से पैरा 1 और 2 में उल्लेख किया जाए)

केन्द्रीय निधियां/राज्य निधियां

क्र.स.	पत्र सं. और तारीख	राशि
--------	-------------------	------

कुल

1. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार/(राज्य का नाम) से मार्जिन में दिए गए ब्यौरे के अनुसार.....के दौरान सहायता अनुदान के रूप में..... द्वारा(जैसा भी मामला हो) केवल.....रुपए की राशि प्राप्त की गई।केवल.....रुपए की राशि बैंक ब्याज के रूप में कार्यक्रम खाता/सहायता खाता*में जमा की गई थी। इसके अलावा, पिछले वर्ष, 20.....की व्यय न की गई.....रु. की अधिशेष राशि को इस वर्ष के दौरान उपयोग हेतु अग्रेषित किए जाने की अनुमति दी गई।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त केवल.....रु. की कुल निधि में से केवल.....रु. की व्यय न की गई अधिशेष राशि वर्ष के अंत में उपयोग न किए जाने

के कारण शेष थी और इस राशि को अगले वर्ष कार्यक्रम के लिए उपयोग किए जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	राशि (लाख रु. में)			
		अनु.जाति	अ.ज.जा.	सामान्य	कुल
1.	अथशेष				
2.	अनुदान की प्राप्ति (i) स्वीकृति आदेश संख्या तथा तारीख (ii) आदेश सं. और तारीख				
3.	ब्याज				
4.	अन्य प्राप्तियां				
	कुल निधि				
5.	व्यय				
6.	अंत शेष				

3. प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, उनको एतद्वारा पूरा कर दिया गया है/पूरा किया जा रहा है तथा यह कि मैंने यह देखने हेतु निम्नलिखित जांचें की हैं कि धनराशि का उपयोग वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

(i) सनदीलेखाकार/महालेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से लेखापरीक्षित दिनांक.....से.....तक के लेखों का विवरण (जैसा भी मामला हो) प्राप्त हो गया है तथा स्वीकार कर लिया गया है।

(ii) यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि वास्तविक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन भारत सरकार/राज्य*द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार है।

4. उपरोक्त निधि के उपयोग का परिणाम निम्नलिखित है:-

i) कवरेज के अनुसार परिणाम (सत्यापन के अनुसार)

क.माह तक आंशिक रूप से कवर बसावटों का कवरेज,				
क्र.स.	आबादी कवरेज की श्रेणी	वर्ष के लिए एएपी लक्ष्यतक/वर्ष के दौरान उपलब्धि	% उपलब्धि
1	0 प्रतिशत आबादी			
2	0-25 प्रतिशत आबादी			
3	25-50 प्रतिशत आबादी			
4	50-75 प्रतिशत आबादी			
5	75-100 प्रतिशत आबादी			
6	100 प्रतिशत आबादी			
7	कुल			
8	अनु. जाति संकेन्द्रित बसावटें			
9	अ.ज.जा. संकेन्द्रित बसावटें			
10	अल्पसंख्यक संकेन्द्रित बसावटें			
11	आईएपी जिलों में बसावटें			
12	कुल			

ख.माह तक गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का कवरेज (कवरेज के अंतर्गत जल गुणवत्ता निधियों के साथ)

क्र.स.	संदूषण	वर्ष के लिए एएपी लक्ष्यतक/वर्ष के दौरान उपलब्धि	% उपलब्धि
1	आर्सेनिक (संख्या)			
2	फ्लोराइड			
3	लोह			
4	नाइट्रेट			
5	खारापन			
6	अन्य रासायनिक संदूषण			
7	जेई/एईएस प्रभावित			
	कुल			

ग.माह तक गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का कवरेज (निर्धारित जल गुणवत्ता निधियों सहित)

क्र.स.	संदूषण	वर्ष के लिए एएपी लक्ष्यतक/वर्ष के दौरान उपलब्धि	% उपलब्धि
1	आर्सेनिक (संख्या)			
2	फ्लोराइड			
3	लोह			
4	नाइट्रेट			
5	खारापन			
6	अन्य रासायनिक संदूषण			
7	जेई/एईएस प्रभावित			

घ. विद्यालय एवं आंगनवाडियों का कवरेज

1	विद्यालयों की संख्या			
2	आंगनवाडियों की संख्या			
	कुल			

ii कार्यान्वित योजनाओं के अनुसार परिणाम (सत्यापन के अनुसार)

क्र.स.	कार्यान्वित योजनाओं की किस्म	वर्ष के लिए एएपी लक्ष्यतक/वर्ष के दौरान उपलब्धि	% उपलब्धि
क.	हैंडपम्प			
ख.	एकल ग्राम पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं सतही जल स्रोत भूजल स्रोत			
ग.	बहु ग्राम पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं सतही जल स्रोत भूजल स्रोत			
घ.	अन्य (डग वेल, स्वच्छता कुएं)			
ड.	श्रेणी सहित स्थायित्व ढांचे			

हस्ताक्षर

पदनाम

स्थान

तारीख

प्रति हस्ताक्षर

(ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी सचिव)

अनुबंध-XI

जल गुणवत्ता निर्धारित आवंटन-उपयोग के लिए दिशानिर्देश

पेयजल स्रोतों के रासायनिक संदूषण वाली बसावटों और जापानी इन्सेफलाइटिस/ एक्यूट एक्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम (जेई/ईएस) से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जल गुणवत्ता निधि की 5 प्रतिशत निर्धारित राशि के उपयोग हेतु दिशानिर्देश।

1.0 भूमिका

पेयजल आपूर्ति में पेयजल का रासायनिक संदूषण विशेषकर आर्सेनिक एवं फ्लोराइड मुख्य चिन्ता का विषय है। दिनांक 1/4/2011 की स्थिति के अनुसार, रासायनिक संदूषण से प्रभावित कम से कम एक स्रोत वाले राज्यों में बसावटों और आबादी की संख्या क्रमशः 1, 21, 501 बसावटें तथा 6.02 करोड़ आबादी है। पेयजल के सूक्ष्म जैविकीय संदूषण गेस्ट्रोइन्टेस्टीनलरोग का एक बड़ा कारण है जिसका शिशु मृत्युदर और डायरिया से होने वाली मौतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पेयजल में सूक्ष्म जैविकीय संदूषण के लिए कुछ हद तक एक्यूट एक्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम (ईईएस) के मामलों का भी योगदान होता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसे 60 जिलों का निर्धारण किया है जो जेई/ईएस से सबसे अधिक प्रभावित हैं जिनकी सूची इस अध्याय के पैरा 9.0 में दी गई है।

मौजूदा एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत, राज्य-वार आवंटन की 20 प्रतिशत धनराशि का जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल गुणवत्ता घटक हेतु उपयोग किया जाना है। राज्यों को जल गुणवत्ता के लिए तथा इसके विपरीत, कवरेज घटक निधियों का उपयोग करने के लिए भी छूट दी गई है। तथापि, आईएमआईएस पर उपलब्ध रिपोर्टों से

पता चलता है कि कुल व्यय की लगभग 14 प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता घटक पर खर्च होती है। भारत निर्माण के अंतर्गत यथा परिकल्पित सुरक्षित पेयजल के साथ कवर की जाने वाली शेष तकरीबन 1 लाख बसावटों को कवर करने का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना है। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि सभी जल गुणवत्ता बसावटों को कवर करने के कार्य पर अधिक बल दिया जाए।

चुनिंदा जिलों में ग्रामीण बसावटों में रासायनिक संदूषण तथा जेई/एईएस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने जून, 2012 में एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें पेयजल स्रोतों के रासायनिक संदूषण वाली बसावटों और जेई/एईएस से प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों के लिए राज्यों को आवंटन हेतु 5 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का निर्धारण किया है।

2.0 20 प्रतिशत जल गुणवत्ता घटक के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत निधि का निर्धारण

5 प्रतिशत की यह निधि एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत कुल आवंटन से अलग रखी जाएगी। ये निर्धारित निधियां अतिरिक्त निधियां हैं जिनका प्रयोग राज्यों को आवंटित 20 प्रतिशत जल गुणवत्ता घटक निधियों का प्रयोग करते हुए, कवर की जाने वाली कुल बसावटों में से जल गुणवत्ता वाली बसावटों को कवर करने के लिए किया जाना है।

3.0 राज्यों को निधियों का आवंटन

निर्धारित 5 प्रतिशत जल गुणवत्ता निधियों में से, 75 प्रतिशत राशि मंत्रालय की ऑनलाइन आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा डाली गई सूचना के अनुसार, 1/4/2011 को कवर की जाने वाली जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों में स्थित आबादी के आधार पर रासायनिक संदूषण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। शेष 25 प्रतिशत राशि जेई/एईएस से प्रभावित प्राथमिकता वाले 60 जिलों के लिए प्रदान की जाएगी इसे 1/4/2011 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय की समेकित प्रबंधन आसूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

प्रणाली (आईएमआईएस) पर प्रविष्ट किए गए इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की संख्या एवं इन राज्यों में यूनीसेफ द्वारा किए गए जल सुरक्षा सर्वेक्षण संबंधी बहुजिला आकलन के अनुसार संदूषण की मात्रा के आधार पर वितरित किया जाएगा।

राज्यों में निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार निर्धारित 5 प्रतिशत निधि का आवंटन किया जाएगा :

जल गुणवत्ता प्रभावित राज्यों के लिए निर्धारित आवंटन	संदूषण/रोग	वैटेज प्रतिशत	संदूषण	1/4/2011 की स्थिति के अनुसार संदूषण की रिपोर्ट करने वाली ग्रामीण बसावटों में जनसंख्या का वैटेज प्रतिशत में
एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन का 5 प्रतिशत	रासायनिक संदूषण	75	आर्सेनिक	40
			फ्लोराइड	45
			लोह	5
			नाइट्रेट	5
			खारापन	5
	जेई/एईएस से प्रभावित प्राथमिकता वाले जिले	25	प्रभावित बसावटों के अनुसार अनुमानित पेयजल स्रोत	100

4.0 5 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के अंतर्गत व्यय हेतु दिशानिर्देश :5 प्रतिशत जल गुणवत्ता निर्धारित निधियों का निम्नप्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए :

4.1 जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में

- राज्य सरकारों को दिशानिर्देशों के साथ संलग्न टेम्पलेट के अनुसार 20 प्रतिशत जल गुणवत्ता घटक के अंतर्गत योजनाओं के ब्यौरे के साथ अनुबंध-III तथा निर्धारित 5 प्रतिशत जल गुणवत्ता निधि के अंतर्गत योजनाओं के ब्यौरे के साथ अनुबंध-XI जल गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य योजना तैयार करना और उसे विचार-विमर्श हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को भेजना तथा निधियों की रिलीज एवं निगरानी को सुगम बनाने हेतु संशोधित करना अपेक्षित है। राज्यों को परिशिष्ट-V और परिशिष्ट-VI में बसावट-वार योजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
- कार्य योजना में जल गुणवत्ता से प्रभावित लक्षित बसावटें, पाए गए संदूषणों के ब्यौरों सहित कुल मिलाकर 2 प्रतिशत जल गुणवत्ता घटक के साथ पहले से लक्षित गुणवत्ता प्रभावित बसावटें, योजना की किस्म, अपनाई गई प्रौद्योगिकी, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन हेतु समय सीमा, पंचायती राज संस्थाओं/राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण की रीतियां शामिल होंगी। कार्य योजना में छोड़ दी गई बसावटें तथा विशिष्ट गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित बसावटों की लक्षित संख्या की जानकारी दी जानी चाहिए।
- योजना में प्राथमिकता के क्रम से गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने हेतु शुरू किया जाना चाहिए जिसमें सबसे पहले आर्सेनिक की सबसे अधिक मात्रा वाली बसावटों को कवर करने तथा उसके बाद फ्लोराइड की उच्चतम मात्रा वाली बसावटों एवं उसके बाद अन्य संदूषणों से प्रभावित बसावटों को कवर किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकारें एकल ग्राम योजनाओं, व्यापक रूप से पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं, कम लागत वाले शोधन संयंत्रों, घरेलू फिल्टरों, यथावत जल संरक्षण, सुरक्षित स्रोतों से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, मौजूदा पेयजल आपूर्ति योजनाओं आदि में अतिरिक्तता/सुधार को कवर करते हुए प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिए एक समेकित दृष्टिकोण पर परामर्श देंगे।

4.2 जापानी एन्सेफलाइटिस/एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम वाले जिले

- राज्यों को वर्ष के आरंभ में निर्धारित ढांचे (टेम्पलेट) में कार्य योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां, समयसीमाएं, अनुमानित लागत और इन निधियों से नई जल आपूर्ति योजनाओं के साथ कवर की जाने वाली बसावटों के नाम शामिल होंगे।
- आरंभ में एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) निधियों के साथ मौजूदा पेयजल स्रोतों का बेसलाइन सर्वे किया जाना चाहिए।
- जिलावार दिखाए गए जेई/एईएस मामलों को प्रत्येक जिले के लिए अवरोही क्रम में बसावट-वार दर्शाया जाना चाहिए।
- एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएमएस) निधियों के साथ विषाणु जांच सहित सूक्ष्म जैविकीय संदूषण (फेकल कोलीफार्म) के लिए सभी सार्वजनिक जल स्रोतों की जांच करना।
- एफटीके का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्मजैविकीय संदूषण के लिए निजी हैंडपम्पों की जांच करना और यदि इन्हें खपत के लिए अनुपयोगी पाया जाए, तो परिवारों को कड़ाई से यह सलाह दी जाए कि वे पीने के प्रयोजन के लिए इनका प्रयोग न करें अथवा प्रयोग करने से पूर्व इनका हेल्थ जेन टेबलेट/क्लोरीनेशन के साथ शोधन करें अथवा यदि परिवार सहमत हो तो उसको सील कर दें।
- प्लेटफार्म, सोक पिट की मरम्मत करने, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में हैंडपम्पों में वृद्धि करने, हैंडपम्पों की क्लोरीनेशन करने जैसे उपायों से आगे जल में संदूषण से बचाव करने हेतु मौजूदा हैंडपम्पों की मरम्मत करना।
- संबंधित बसावटों में इंडिया मार्क-II हैंडपम्पों द्वारा सार्वजनिक उथले हैंडपम्पों को बदलना।

- संभावित बसावटों में लघु जल आपूर्ति योजनाएं जहां जेई/एईएस मामलों की सूचना मिली है, जिनमें ऊर्जा चालित गहरे बोरवैल तथा पर्याप्त संख्या में नलों के साथ स्टैंडपोस्ट और क्लोरीनेशन की व्यवस्था शामिल है।
- पेयजल स्रोतों और आपूर्ति किए जाने वाले जल की नियमित रूप से नेमी क्लोरीनेशन।
- एनआरडीडब्ल्यूपी (कवरेज) निधियों से विद्यालयों/आंगनवाडियों में सुरक्षित पेयजल सुविधा।
- एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता) निधियों से हैंडपम्पों, स्टैंडपोस्टों के नजदीक तथा सुरक्षित साफ-सफाई की स्वच्छता जांच हेतु “क्या करें और क्या न करें” का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार।

5.0 दोहरी जल नीति

जैसाकि एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, दोहरी जल नीति को अपनाया जा सकता है जहां जल स्रोतों अथवा लागत की समस्या हो।

6.0 अन्य प्रावधान

आयोजना, स्वीकृति, निधि रिलीज प्रक्रिया, ग्राम पंचायत तथा जीपीडब्ल्यूएसपी/ वीडब्ल्यूएससी की सम्बद्धता, एसएलएसएससी द्वारा योजनाओं का अनुमोदन, निगरानी, योजनाओं की रिपोर्टिंग एवं सामुदायिक सम्बद्धता के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अन्य प्रावधान मौजूदा एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों के अनुसार ही रहेंगे।

7.0 निगरानी एवं मूल्यांकन

लक्षित बसावटों को मंत्रालय की वेबसाइट की आईएमआईएस पर अंकित किया जाना चाहिए और उपलब्धियों की आवधिक रूप से आईएमआईएस पर प्रविष्टि करनी होगी। आईएमआईएस पर

निगरानी के लिए अन्य सभी प्रावधान वहीं बने रहेंगे जैसाकि एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों और आईएमआईएस निर्देशों में निर्दिष्ट हैं।

8.0 डब्ल्यूक्यूएम एंड एस, आईईसी तथा क्षमता निर्माण

(कृपया ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए आईईसी दिशानिर्देशों संबंधी अधिक जानकारी हेतु मौजूदा एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों का अनुबंध-IV कदेखें)।

गहन आईईसी और क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिए इन बसावटों में 5 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों तथा 3 प्रतिशत जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच निधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

9.0 जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) और एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम (एईएस) से सबसे ज्यादा प्रभावित 60 जिलों की सूची

क्र.स.	राज्य	जिला	क्र.स.	राज्य	जिला
1	असम	बारपेटा	28	उत्तर प्रदेश	बलिया
2	असम	धेमाजी	29	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
3	असम	डिब्रूगढ़	30	उत्तर प्रदेश	बस्ती
4	असम	गोलाघाट	31	उत्तर प्रदेश	देवरिया
5	असम	जोरहाट	32	उत्तर प्रदेश	गोंडा
6	असम	लखीमपुर	33	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
7	असम	सिबसागर	34	उत्तर प्रदेश	हरदोई
8	असम	सोनितपुर	35	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात
9	असम	तिनसुकिया	36	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर
10	असम	उदलगुड़ी	37	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी
	असम	कुल- 10	38	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज
11	बिहार	अररिया	39	उत्तर प्रदेश	मऊ
12	बिहार	दरभंगा	40	उत्तर प्रदेश	रायबरेली
13	बिहार	गया	41	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
14	बिहार	गोपालगंज	42	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर
15	बिहार	जहानाबाद	43	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
16	बिहार	मुजफ्फरपुर	44	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
17	बिहार	नालंदा	45	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
18	बिहार	नवादा		उत्तर प्रदेश	कुल- 20
19	बिहार	पश्चिम चम्पारण	46	तमिलनाडु	करूर
20	बिहार	पटना	47	तमिलनाडु	मदुरै
21	बिहार	पूर्व चम्पारण	48	तमिलनाडु	तंजावूर
22	बिहार	समस्तीपुर	49	तमिलनाडु	तिरुवरूर
23	बिहार	सारन	50	तमिलनाडु	विल्लापुरम
24	बिहार	सीवान		तमिलनाडु	कुल - 5
25	बिहार	वैशाली	51	पश्चिम बंगाल	
	बिहार	कुल- 15	52	पश्चिम बंगाल	बांकुरा
26	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	53	पश्चिम बंगाल	बर्दवान
27	उत्तर प्रदेश	बहराइच	54	पश्चिम बंगाल	बीरभूम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

55	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग		58	पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी
56	पश्चिम बंगाल	हुगली		59	पश्चिम बंगाल	मालदा
57	पश्चिम बंगाल	हावड़ा		60	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर प.
					पश्चिम बंगाल	कुल - 10

अनुबंध-XII

जांच सूची: एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की दूसरी किस्त रिलीज करने के लिए
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत निधियों की रिलीज हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु

क्र.स.	दस्तावेज	क्या संलग्न किए गए हैं/पूरे किए गए हैं (कृपया निशान लगाएं)	
1	प्रस्तुत किए गए विशेष प्रस्ताव	हां	नहीं
	यह निर्धारित प्रपत्र में हैं	हां	नहीं
2	केन्द्रीय निधियों के लिए वर्ष 2011-12 और 2012-13 (अनंतिम) के लिए मूलरूप में उपयोग प्रमाणपत्र अलग से भेजें	हां	नहीं
	राज्य निधि	हां	नहीं
3	उपयोग प्रमाणपत्रों में फाइल का संदर्भ	हां	नहीं
	निधि प्राप्तकर्ता विभाग/बोर्ड/प्राधिकरण/निगम/निकाय के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित	हां	नहीं
	संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित	हां	नहीं
	कार्यालय मोहर के साथ	हां	नहीं
	हस्ताक्षरकर्ता का नाम	हां	नहीं
4	राज्य ने कुल उपलब्ध संसाधनों (केन्द्रीय और राज्य निधि अलग से) की 60 प्रतिशत/70 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया है।	हां	नहीं
5	वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट/लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत कर दिए गए हैं।	हां	नहीं
6	सनदी लेखाकार का नाम कैग की सनदी लेखाकार नामावली में सम्मिलित है	हां	नहीं
7	नामावली के समर्थन में कैग के कार्यालय द्वारा जारी पत्र की प्रति भेज दी गई है।	हां	नहीं
8	वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एसडब्ल्यूएसएम के पास उपलब्ध अधिशेष के बारे में बैंक प्राधिकारी से एक विवरण	हां	नहीं

	लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।		
9	अनुदान के आंकड़े	हां	नहीं
	व्यय	हां	नहीं
	(ग) अथशेष/अंतशेष	हां	नहीं
	उपयोग प्रमाणपत्रों में सूचित आंकड़े लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निर्दिष्ट आंकड़े के मुताबिक हैं	हां	नहीं
10	यदि नहीं, तो इन अन्तरों के लिए स्पष्टीकरण दे दिए गए हैं।	हां	नहीं
11	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेज दी गई है।	हां	नहीं
12	राज्य-मैचिंग अंशदान का पिछले वर्ष में उपयोग कर लिया गया है।	हां	नहीं
13	राज्य सरकार से इस आशय का प्रमाणपत्र कि पूरा न किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है, संलग्न है।	हां	नहीं
14	इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न है कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा पिछले 6 महीनों में अनुमोदित सभी योजनाएं कार्यान्वयन हेतु शुरू कर दी गई हैं।	हां	नहीं

अनुबंध-XIII

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए प्रपत्र-एनआरडीडब्ल्यूपी

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(कार्यक्रम निधि एवं सहायता निधि के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्टों को अलग से प्रस्तुत किया जाना है)

इनमें निम्नलिखित विषय शामिल होने चाहिए :-

1. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
2. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
3. आय और व्यय लेखा
4. अधिशेष तुलनपत्र
5. लेखाओं के प्रपत्र भाग पर टिप्पणियां (वास्तविक परिणाम के बारे में सूचना)
6. "अनुबंध" के रूप में लेखापरीक्षक की टिप्पणियां (यदि कोई टिप्पणी है, तो सनदी लेखाकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उत्तर अपेक्षित है)

टिप्पणी: सभी दस्तावेज मूलरूप में होने चाहिए तथा एसडब्ल्यूएसएम के सक्षम

प्राधिकारीद्वारासरकारी मोहर के साथ प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
पता

1. हमने राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ("अनुदानग्राही") "लेखा-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)" के 31 मार्च, 2012 के संलग्न तुलनपत्र और इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय तथा व्यय लेखा और प्राप्ति तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। वित्तीय विवरणों की जिम्मेवारी अनुदानग्राही प्रबंधन की हैं। हमारी जिम्मेवारी अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने यह लेखा परीक्षा आमतौर से भारत में स्वीकार किए जाने वाले मानकों की लेखापरीक्षा करने के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम तर्कसंगत विवरण प्राप्त करने के लिए आयोजना करें और उसको निष्पादित करें कि उपलब्ध कराए गए वित्तीय विवरणों में कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेखापरीक्षा में जांच करना, जांच आधार पर, वित्तीय विवरणों में धनराशि का समर्थन करने वाले साक्ष्य तथा प्रकटीकरण शामिल हैं। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा संबंधी सिद्धान्तों का आकलन एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा समग्ररूप से वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें भरोसा है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध होगा।

3. उपरिलिखित अनुबंध में अपनी टिप्पणियों के अलावा हम सूचित करते हैं कि :-

- (i) हमने सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए जरूरी थी;
- (ii) हमारी राय में, जहां तक इन लेखा बहियों की अपनी जांच से पता चला है कि अनुदानग्राही द्वारा यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियों का अनुरक्षण किया गया है;
- (iii) इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा, लेखा बहियों के मुताबिक है;
- (iv) हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा इसके साथ संलग्न हमारी टिप्पणियों के अनुसार हम यह सूचित करते हैं कि :-
 - (क) तुलनपत्र में 31/3/2012 की स्थिति के अनुसार अनुदान ग्राही के "लेखा-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)" की स्थिति एवं कार्यों का सही परिदृश्य दिया गया है।
 - (ख) आय एवं व्यय लेखा में 31/3/2012 को समाप्त अवधि के कार्यक्रम/योजना के अंतर्गत हुए लेनदेनों की सही स्थिति दी गई है।
 - (ग) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में 31/3/2012 को समाप्त अवधि के कार्यक्रम/योजना के अंतर्गत हुए लेनदेनों की सही स्थिति दी गई है।
 - (घ) आय एवं व्यय लेखा में सूचित व्यय को उक्त अवधि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र (पत्रों) में उचित रूप से दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

सनदी लेखाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

सदस्य सं.....

कैग नामांकन सूची सं. एवं वर्ष.....

दूरभाष/मोबाइल नं.....

एनआरडीडब्ल्यूपी

प्राप्तियों के घटक-वार ब्यौरे का विवरण

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन.....

यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष.....के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्राप्त निधियों का घटक-वार संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है :-

	अथशेष	अनुदान	बैंक ब्याज	व्यय	अंतशेष
कवरेज					
जल गुणवत्ता					
स्थायित्व					
परिचालन एवं अनुरक्षण					
उप जोड़					
निर्धारित वित्तपोषण (रसायन)					
निर्धारित वित्तपोषण (सूक्ष्म जैविकीय)					
आपदा					
डीडीपी					
कुल (कार्यक्रम निधि)					
एनआरडीडब्ल्यूपी सहायता					
आईईसी (सूचना, शिक्षा, सम्प्रेषण)					
एचआरडी (मानव संसाधन विकास)					
अनुसंधान एवं विकास					
एमआईएस					
अन्य					
उप-जोड़					
डब्ल्यूक्यूएम एंड एस					

कुल कार्यक्रम + सहायता निधियां					
--------------------------------	--	--	--	--	--

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सनदी लेखाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

पूरा नाम

पूरा नाम.....

कार्यालय की मोहर

सदस्यता सं.....

दूरभाष/मोबाइल नं.

कैग नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष

दूरभाष/मोबाइल नं

वर्ष 20.....के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन.....

दिनांक 1 अप्रैल, 20.....से 31 मार्च, 20.....तक की अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान
लेखा

योजना का नाम-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

(लाख रु. में)

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
1. अथशेष (i) हस्तगत नकदी (ii) बैंक में नकदी (iii) प्रभाग/जिलों आदि में जमा राशि		1. निम्नलिखित को दी गई अग्रिम (i) कार्यान्वयन एजेंसियां (ii) अन्य कोई एजेंसियां आदि	
2. अनुदान प्राप्ति (i) केंद्रीय सरकार (ii) राज्यसरकार (iii) अन्य एजेंसियां		2. एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत शुरू किए गए अनुमोदित कार्य के प्रयोजनार्थ व्यय की गई राशि	
3. बैंकों से प्राप्त ब्याज		एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम कवरेज जलगुणवत्ता स्थायित्व परिचालन एवं अनुरक्षण डीडीपी आपदा आदि	
4. निम्नलिखित से अग्रिम/ऋण/अनुदान राशि की वापसी (i) कार्यान्वयन एजेंसियां (ii) अन्य कोई एजेंसियां आदि			
5. विविध			

		<p>सहायता एवं डब्ल्यूक्यूएम एंड एस</p> <p>3. लेखा परीक्षा फीस</p> <p>4. प्रशासन संबंधी व्यय (यदि योजना के अंतर्गत अनुमत है)</p> <p>क. वेतन एवं भत्ते</p> <p>ख. यात्रा व्यय</p> <p>ग. भाड़ा, दरें एवं कर</p> <p>घ. मुद्रण एवं लेखन सामग्री</p> <p>ड. प्रचार एवं प्रसार</p> <p>च. बैंक प्रचार</p> <p>5. विविध प्रभार आदि</p> <p>6. व 7. अंत शेष</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मोहर

दूरभाष/मोबाइल नं.

सनदी लेखाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

सदस्यता सं.....

कैग नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष

दूरभाष/मोबाइल नं

वर्ष 20.....के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन.....

दिनांक 1 अप्रैल, 20.....से 31 मार्च, 20.....तक की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

योजना का नाम-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

(लाख रु. में)

व्यय	राशि	आय	राशि
1. एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत शुरू किए गए अनुमोदित कार्य के प्रयोजनार्थ व्यय की गई राशि एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम कवरेज जलगुणवत्ता स्थायित्व परिचालन एवं अनुरक्षण डीडीपी आपदा आदि सहायता एवं डब्ल्यूक्यूएम एंड एस		1. निम्नलिखित से प्राप्त अनुदान सहायता/राज्य सहायता (सब्सिडी) (क) केंद्रीय सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) अन्य एजेंसियां 2. बैंक खातों से वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज राशि जमा:वर्ष के दौरान प्राप्त घटा:पिछले वर्ष से संबंधित 3. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग न की गई अनुदान राशि की वापसी 4. विविध प्राप्तियां 5. तुलनापत्र से अग्रणीत अधिक व्यय	
2. लेखा परीक्षा फीस			
3. प्रशासन संबंधी व्यय (यदि योजना के अंतर्गत अनुमत है)			

क. वेतन एवं भत्ते			
ख. यात्रा व्यय			
ग. भाड़ा, दरें एवं कर			
घ. मुद्रण एवं लेखन सामग्री			
ड. प्रचार एवं प्रसार			
च. बैंक प्रभार			
4. विविध व्यय आदि			
5. तुलनापत्र से अग्रणीत व्यय की अपेक्षा अधिक आय			

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मोहर

दूरभाष/मोबाइल नं.

सनदी लेखाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

सदस्यता सं.....

कैग नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष

दूरभाष/मोबाइल नं

अनुबंध

वर्ष 20.....के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन.....

दिनांक 31 मार्च, 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनापत्र

योजना का नाम-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

(लाख रु. में)

पूँजीगत निधि एवं देयताएं	पिछले वर्ष की राशि	चालू वर्ष की राशि
संचित निधि		
अथशेष		
जमा/कटौती		
आय एवं व्यय लेखा से अन्तरित		
अधिशेष		
चालू देयताएं		
i. बकाया व्यय/देयताएं		
ii. कोई अन्य देयता		
कुल		
परिसम्पत्तियां		
अचल परिसम्पत्तियां		
i. वाहन		
ii. फर्नीचर व फिक्सचर्स		
iii. कार्यालय उपस्कर		

iv. कम्प्यूटर्स एवं पेरिफेरल्स		
v. अन्य आदि		
चालू परिसम्पत्तियां एवं अग्रिम		
i. स्टॉक		
ii. वसूली योग्य अन्य योजनाओं में निधियों का अस्थायी अन्तरण		
iii. अंतशेष		
(क) नकद रोकड़		
(ख) बैंक में रोकड़		
(ग) लेखा प्राप्तियां तथा वसूली योग्य अग्रिम		
i. कार्यान्वयन एजेंसियां		
ii. अन्य एजेंसियां		
iii. स्टाफ		
iv. आपूर्तिकर्त्ताआदि		
कुल		

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मोहर

दूरभाष/मोबाइल नं.

सनदी लेखाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

सदस्यता सं.....

कैग नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष

दूरभाष/मोबाइल नं

एनआरडीडब्ल्यूपी

लेखा के भाग के रूप में की गई टिप्पणियां :

आय एवं व्यय लेखा में यथासूचित उपयोग न की गई निधियों के लिए वास्तविक परिणाम (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम(सहायता)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के घटक	वास्तविक परिणाम (सत्यापन के अनुसार)
<p>कार्यक्रम</p> <p>i. हैंडपंप</p> <p>ii. एकल ग्राम पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं</p> <p>-सतही जल</p> <p>-भूजल स्रोत</p> <p>iii. बहुग्राम पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं</p> <p>-सतही जल</p> <p>-भूजल स्रोत</p> <p>iv अन्य (डगवैल, स्वच्छता कुएं)</p> <p>v श्रेणी के साथ स्थायित्व ढांचे आदि</p> <p>सहायता</p> <p>1. मानव संसाधन विकास तथा क्षमता निर्माण-प्रशिक्षण</p> <p>2. सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण</p>	

3. अनुसंधान एवं विकास	
4. एमआईएस एवं कम्प्यूटरीकरण	
5. अन्य (यदि कोई हो)	

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सनदी लेखाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

पूरा नाम

पूरा नाम.....

कार्यालय की मोहर

सदस्यता सं.....

दूरभाष/मोबाइल नं.

कैग नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष

दूरभाष/मोबाइल नं

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

वर्ष 20.....

लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का नाम:

क्र.स.	मुद्दे	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
1	रोकड़ बही से मिलान करते हुए प्राप्त एवं भुगतान लेखा का अथशेष और अन्तशेष	
2	पिछले वर्ष की अन्तशेष के साथ गणना करते हुए अथशेष	
3	क्या अनुदान ग्राही अथवा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन में इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार की किसी एक योजना, दूसरी योजना अथवा राज्य द्वारा वित्तपोषित योजना में निधियों का अपवर्तन/अन्तः अन्तरण कर दिया है? यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा दें।	
4	क्या इस वर्ष के दौरान अनुदान ग्राही अथवा किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का दुरुपयोग/असम्बद्ध व्यय तथा दुर्विनियोजन किया है? यदि हां तो, कृपया ब्यौरा दें।	
5	योजना के लिए बैंक खातों की केवल एक निर्धारित संख्या है।	
6	वर्ष के दौरान किसी भी स्थिति में कोई कम अधिशेष राशि नहीं है।	
7	क्या निधियों की रिलीज के समय मंत्रालय के स्वीकृति आदेश में कतिपय शर्तें विनिर्दिष्ट हैं, क्या उन्हें पूरा कर लिया गया है।	
8	योजना निधियों को केवल बचत खाते में रखा जा रहा है।	
9	अर्जित ब्याज राशि को योजना निधि में जोड़ दिया गया है।	

10	क्या मौजूदा दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित कार्यक्रम प्रयोजनों के लिए ब्याज धनराशि का कड़ाई से उपयोग किया जा रहा है।	
11	कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान इस वर्ष के लिए राज्य अंशदान प्राप्त हो गया है।	
12	सभी प्राप्तियों/अदायगी राशि की सही तरह से गणना कर ली गई है तथा उसका योजना के बैंक खाते में प्रेषण कर दिया गया है।	
13	राज्य कोष में योजना की निधियों को नहीं रखा जा रहा है।	
14	बैंक समायोजन को नियमित रूप से किया जा रहा है।	
15	पिछले लेखापरीक्षक का नाम और पता	

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मोहर

दूरभाष/मोबाइल नं.

सनदी लेखाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

सदस्यता सं.....

कैग नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष

दूरभाष/मोबाइल नं

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
भारत सरकार,
www.mdws.gov.in